खण्ड-120, अंक-5
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(10 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[मंगलवार, १० मार्च, १९५३]

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५)

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम डाक्टर, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा म टनकपुर–पिठौरागढ़ रोड को पक्का करने की आवश्यकता

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)— क्या निर्माण मंत्री, कृपया बतलायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में टनकपुर–पिठौरागढ़ मोटर सड़क कब तक पक्की सड़क बन सकेगी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—इस पूरी सड़क को पक्का करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मील हर साल यह सड़क पक्की की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जितनी जरूरत समझी जायगी उतनी सड़क पक्की की जायगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मंत्री महोदय ने कहा कि अब सड़क की हालत बहुत अच्छी है, यह किस आधार पर बतलाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले से बहुत अच्छी हालत है, काफी उस पर काम हुआ है और जो सिलिप वगैरा आ जाते हैं उन्हें भी हटाया जाता है और काफी दिनों सड़क चलती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चलथी व घाट में अब तक पुल नहीं बना, वहां टेम्पोरेरी पुल केवल छः महीने रहता है, जिससे छः महीने से ज्यादा मोटरें वहां नहीं चल सकतीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पुल बरसात में शायद नहीं रहता होगा, बाकी रहता है और सड़क चलती है।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मंत्री को पता है कि उक्त सड़क की हालत टनकपुर से घाट तक बहुत खराब है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क की हालत अब पहले से तो बहुत अच्छी है।

*३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि यह सड़क साल में केवल कुछ ही महीनों में चलती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । यह सड़क केवल अधिक वर्षा में स्लिप आ जाने के कारण कभी-कभी केवल कुछ दिनों के लिये ही बन्द होती है।

सचिवालय में स्टेनोग्राफर्स के वेतन की दर

*४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के वेतन दर और विधान सभा और विधान परिषद् के रिपोर्टर्स के वेतन दर में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, विधान सभा और विधान परिषद् के रिपोर्टर्स के वेतन दर सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के वेतन दर से अधिक हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स के लिये शार्टहैंड में ज्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है तथा उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का शार्टहैंड जानना आवश्यक है।

*५—श्री भगवान सहाय—क्या यह सच है कि सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं, जिनका वेतन दर और स्तर सचिवालय के सुपरिण्टेंडेंट के समान है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। यद्यपि इस समय सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स मंत्रियों के व्यक्तिगत सहायकों के पदों पर काम कर रहे हैं, पर उन पदों को उनके लिये सुरक्षित नहीं रखा गया है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों या उपमंत्रियों के पास जो सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स रहते हैं वे स्थायी हैं या अस्थायीहैं?

श्री सैयद अली जहीर—ज्यादातर अस्थायी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार ऐसी ही सुविधा विधान परिषद् और विधान सभा के स्टेनोग्राफर्स को देने की बात पर विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—उनका ग्रेड फिक्स्ड है और उनमें भी यह सूरत है कि कुछ परमानेंट हैं और कुछ टेम्पोरेरी हैं।

*६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टर्स के लिए भी कोई ऐसा स्थान निर्माण करने का विचार रखती है जिसका वेतन दर सुपरिंटेंडेंट के वेतन दर के समान हो?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है।

आजमगढ़ जिले की कुछ सड़कों पर पड़े हुए नल

*७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री को पता है कि दीदारगंज से दीदारगंज रेलवे स्टेशन, कप्तानगंज से अहिरौला और कप्तानगंज से महाराजगंज जाने वाली सड़कों पर सीमेंट की बनी हुई पुलियां फेंकी पड़ी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दीदारगंज से दीदादगंज रेलवे स्टेशन सड़क पर कोई नल नहीं पड़ा है, बाकी दो सड़कों पर कुछ नल पड़े हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन नलों की संख्या क्या है और उन पर कितनी लागत लगी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक सड़क पर तीन नल पड़े हैं और एक पर ५०।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड आजमगढ़ के पास यह आदेश गया है कि वह उन नलों को खरीदें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना यहां नहीं है।

आजमगढ़ जिले की कच्ची सड़कों की जिला बोर्ड को वापसी

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ की कुछ कच्ची सड़कें क्यों जिला बोर्ड को वापिस की गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने यह निर्णय किया था कि युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में वह कच्ची सड़कें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सन् १९४६ में ली गई थीं, वापस कर दी जायं। उसी निर्णय के अनुसार यह सड़कें जिला बोर्ड आजमगढ़ को वापस की गई हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय —क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर कितना व्यय होने के बाद जिला बोर्ड को वापस की गई थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस उद्देश्य से यह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ली गई थीं वापस करते समय वह उद्देश्य पूरा हो चुका है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —यह जिस उद्देश्य के लिए ली गई थीं वह पूरा हो जाने पर वापस की गई हैं और आशा की जाती है कि उद्देश्य कायम रहेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों को बनाने के लिए जिला बोर्ड को कुछ अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हर साल ग्राण्ट दी जाती है और बराबर दी जायगी।

*९-१०—श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

नहरों से आय तथा उन पर व्यय

*१२—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९५१-५२ में नहरों से क्या आय हुई और उन पर उक्त वर्ष में क्या खर्च हुआ ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—१९५१-५२ में उत्तर प्रदेश की सिंचाई कार्यों से कुल आय ६,५५,३८,१५० रुपया हुई और उन पर उक्त वर्ष में कुल खर्च ३,७२,३६,२४५ रुपया हुआ।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार तीन करोड़ रुपये के बजट को इन नहरों की उन्नति में ही लगाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी —यह रुपया नहरों की उन्नति में भी लगता है और और कामों में भी लगता है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नहरों से आमदनी अधिक है वहां के किसानों को क्या राहत दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहरों का पानी तो स्वयं ही बड़ी भारी राहत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किन-किन नहरों पर व्यय आय से अधिक होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर विस्तृत रूप से और निश्चित रूप से नोटिस मिलने पर मिलेगा लेकिन मैं समझता हूं कि शारदा पर ऐसा है, लेकिन और जगहों पर आमदनी हो जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शारदा नहर के अतिरिक्त और सभी नहरों पर आय व्यय से अधिक होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहरें बहुत सी हैं, बुन्देलखंड में हैं मिर्जापुर में हैं और गोरखपुर में भी छोटी-मोटी नहरें हैं, इन नहरों में ऐसा नहीं है कि आमदनी ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है। गंगा और जमुना पर अधिक लाभ होता है, प्रायः सभी नहरें घाटे में ही चलती हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी सन् १९५२-५३ का आय और व्यय अगर उनके पास हो तो हाउस के सामने रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि वह बजट में दिया हुआ है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार गंगा और जमुना की नहरों की आबपाशी की दर को कम करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—सन् १९५०-५१ के मुकाबले में १९५१-५२ में नहरों से आमदनी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो वह कैसे बढ़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ नयी नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरीज और कुयें यह सब खोदे गये और बनाये गये उससे आमदनी बढ़ी है।

*१३-१५—श्री रामभजन (जिला खीरी)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला गोरखपुर में विभिन्न सड़कों के बनवाने का विचार

*१७—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बता सकती है, कि गोरखपुर पिपराइच रोड, फुटहवा इनार से सोनवरसा पिपराइच रोड, गोरखपुर से खजनी उरुआ बड़हलगंज रोड, कौड़ी राम से बांसगांव रोड, कौड़ी राम से गोलबाजार रोड, शिकारपुर से घुघुली सिसवा रोड कब तक बनवाये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न में पूछी गयी सड़कों की व्यवस्था नीचे दी हुई है :

गोरखपुर-पिपराइच, गोरखपुर-खजनी उरुआ बड़हलगंज, कौड़ीराम-बांसगांव, कौड़ी राम-गोला तथा शिकारपुर से घुघली सड़कें जिला बोर्ड के अधीन हैं और इनके बनवाने का भार बोर्ड के ऊपर है।

फुटहवा इनार सोनबरसा पिपराइच सड़क तीन भागों में है। पहला भाग फुटहवा इनार सोनबरसा तथा दूसरा भाग सोनबरसा बेला युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में सीमेंट कांक्रीट योजना में सम्मिलित है और आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों के अन्दर ट्रैक बिछाने का काम समाप्त हो जायगा। तीसरा भाग बेला पिपराइच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया है और इसको बनवाने का भार बोर्ड के ऊपर है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर खजनी उरुआ बड़हलगंज वाली सड़क, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कब वापस की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी हाल ही में वापस हुई है।

श्री केशव पांडेय—जब तक यह पी० डब्ल्यू० डी० के चार्ज में थी तब तक उस सड़क पर कौन से निर्माण कार्य किये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)—जब तक यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के चार्ज में रही है और जिस रेशियो से उस पर खर्चा हो रहा है क्या उसी से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी रुपया ट्रांसफर करेगी?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—किया गया है उसी तरह से। वह उनको दिया गया है।

श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपनी बहुत सी सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को देने के लिये कहा था और उस पर पी० डब्ल्यू० डी० ने अभी अपना कोई फैसला नहीं दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हो सकता है। लेकिन अधिक सूचना देने के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—जो सड़कें वापस की गई हैं उन पर मरम्मत के लिये किस हिसाब से रुपया दिया गया है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—३०० रुपया फी मील के हिसाब से।

श्री केशव पांडेय—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक हालत को देख कर सरकार फिर इन सड़कों को अपने चार्ज में लेने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

*१८—श्री केशव पांडेय—[१८ मार्च, १९५३ के लिये संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर में पावर हाउस की कैपेसिटी

*१९—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या अर्थ तथा शक्ति मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गोरखपुर शहर में जो पावर हाउस है उसकी कैपेसिटी क्या है उससे कितना हिस्सा शहर का रोशन होता है और हर महीने में रात के कितने घंटे के लिये बिजली सड़क पर जलायी जाती है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—(१) गोरखपुर शहर में झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के पावर हाउस की कैपेसिटी (Capacity) ८५५ किलोवाट है।

(२) उससे कम्पनी के लाईसेन्स्ड एरिया (Licensed Area) का दो-तिहाई भाग रोशन होता है।

(३) सड़कों पर रोशनी सूरज डूबने के समय से शुरू होती है। गरमी के दिनों में बिजली २ घंटों से लेकर १० घंटों तक और जाड़ों में २ घंटों से लेकर १२ घंटों तक गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये (Street Lighting Schedule) के मुताबिक जलती है। पूरी चांदनी के दिनों में बिजली सड़कों पर बिलकुल नहीं जलती है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि यह झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रही है या कोई सरप्लस भी बाकी है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह गोरखपुर के मुताल्लिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष—वह कम्पनी के लिये कह रहे हैं। वह गोरखपुर के बारे में पूंछ रहे हैं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—उसके बारे में मालूम होगा कि वहां थोड़े दिन हुये कंट्रोल था, वह उठा दिया गया था, इसलिये कि कैपेसिटी जो बढ़ी थी वह आजकल यहां अवेलेबिल हो गई है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—यह लाइसेंस जो दिया गया है उसका लाइसेंसौर कौन है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट है

श्री इस्तफ़ा हुसैन—जो एक तिहाई-हिस्सा लाइसेंस के अन्दर रोशन करने से बाकी बच जाता है, वह कब इस लाइसेंस द्वारा रोशन किया जायगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जरूरी नहीं है कि वह इसी लाइसेंस द्वारा रोशन होगा। उसके लिये तो मुमकिन है कोई दूसरा इंतिज़ाम हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—पिछले बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर में १० लाख किलोवाट का पावर हाउस खोलने की जो योजना बनाई थी क्या वह शुरू हो गई है या नहीं और अगर नहीं तो कब शुरू होगी ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इसके मुताल्लिक सवाल आगे है।

श्री गैंदा सिंह—क्या माननीय बित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पावर हाउस से कुछ नलकूपों को भी पानी दिया जाता है और उन नलकूपों को बिजली न मिलने की वजह से पानी मिलने में दिक्कत होती है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं। इस पावर हाउस से उन नलकूपों को पानी नहीं मिलता। यह तो शहर के लिये कायम हुआ था और उससे उन लोगों को जो शहर में रहते हैं, पानी मिलता है।

*२०—श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो सरकारी पावर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी क्या है ? उस पावर स्टेशन से कितने और किन किन जगहों पर नलकूप चलाये जा रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो सरकारी पावर स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी ३०९० किलोवाट है। इस पावर स्टेशन से १०० नलकूपों को निम्नलिखित स्थानों पर बिजली दी जाती है।

गोरखपुर	२२
देवरिया	२८
बस्ती	५०
	१००

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पावर स्टेशन है उसमें काफी पावर सरप्लस है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं। उसमें तो काफी सरप्लस नहीं है, मैं इस वक्त बिलकुल डेफिनिट तो नहीं हूं, लेकिन काफी सरप्लस नहीं हो सकता।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या इस पावर स्टेशन से, चौरीचौरा, खलीलाबाद और दूसरे मुकामों पर स्ट्रीट लाइटिंग का इंतिजाम किया गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी, जरूर किया गया है । मैं यह डेफिनिटली नहीं कहता कि चौरीचौरा भी है या नहीं, लेकिन मेरा यह ख़याल है कि वह किया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या १० लाख किलोवाट का जो पावर स्टेशन गोरखपुर में बनाने के लिये पिछले बजट भाषण में घोषणा की गई थी, वह शुरू हो गया है अगर नहीं तो कब से शुरू किया जायगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, पिछले बजट में किसी पावर हाउस की योजना नहीं दी गई थी, जिसका जेनरेशन १० लाख किलोवाट हो ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नलकूपों को यहां से पावर दी जाती है उनको पावर न मिलने की वजह से वे प्रायः जितना पानी देना चाहिये उतना पानी किसानों को नहीं दे पाते ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मेरे नजदीक यह बात गलत है । अगर कोई खास शिकायत कहीं की हो तो मैं उसको देखूंगा ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि यह जो सरकारी पावर हाउस है, उसका इंजिन अमेरिकन है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे यह तो याद नहीं है कि वह अमेरिकन है या इंगलिस्तान का ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० लाख का नहीं १० हजार किलोवाट के जिस पावर स्टेशन की घोषणा ५२-५३ के बजट भाषण में की गयी थी, वह चालू हुआ या नहीं और अगर नहीं तो कब चालू होगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह अब थोड़े दिनों में चालू होने वाला है । उसके लिये मशीनरी खरीदी गई है ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार को यह पता है कि इस पावर हाउस के इंजिन का एक पुरजा जो हैंड कहलाता है वह कई बार टूट गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, सरकार के पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री रामअवध सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस पावर हाउस से सस्ते रेट्स पर सरवा नगर को मिल बिजली देने के लिये तैयार है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—नहीं ।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार गोरखपुर जिले की स्थिति को देखते हुये इस पावर हाउस की कैपेसिटी को बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह तो बढ़ने वाली ही है और १० हजार के के बढ़ाने के लिये पिछले बजट में थी ।

*२१—श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर का सरकारी पावर स्टेशन कब चालू हुआ और उसके इंजन अब तक कितनी बार खराब हुए और बदले गये ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—गोरखपुर का सरकारी पावर स्टेशन १९५० में चालू हुआ । कोई भी इंजन न तो कभी खराब हुआ और न बदला गया ।

*२२-२४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ ३३०-३३१ पर]

*२५—श्री शुकदेव प्रसाद—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर में नदियों द्वारा सिंचाई की योजनायें

*२६—श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नदियों द्वारा सिंचाई के लिये कौन कौन सी योजनायें बनायी गयी हैं और वह कब तक पूरी हो जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोरखपुर जिले में नदियों द्वारा सिंचाई के लिये निम्न-लिखित योजनायें हैं :

(१) रोहीन नहर,
(२) डांडा नहर,
(३) गंडक नहर, और
(४) घोंगी नदी द्वारा सिंचाई योजना।

पहली दो योजनायें तो करीब करीब पूरी हो गई हैं और इनसे सिंचाई भी हो रही है और यह पूर्णतया वित्तीय वर्ष १९५३-५४ तक बन जायेंगी। पिछली दो योजनाओं पर अभी जांच हो रही है।

श्री शुकदेव प्रसाद—गोरखपुर जिले में दो गंडक नदी हैं, छोटी और बड़ी। क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस नदी से यह नहर निकाली जा रही है या योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो विचार किया जा रहा है नहर निकालने का वह बड़ी गंडक नदी से है।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से यू० पी० के जिले सिंचाई के अन्दर लिये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—देवरिया और गोरखपुर।

श्री राम अवध सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अन्य और नदियों से जिन से नहर नहीं निकाली गई है, सिंचाई करने के लिये पम्पिंग सेट्स की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि ऐसा कोई सुझाव आया तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी ?

*२७-२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला अल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाट तक मोटर सड़क का निर्माण

*२९—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाट तक मोटर सड़क निर्माण करने की सरकार की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के अन्तर्गत अकालपीड़ित लोगों की आवश्यकता अनुसार रामेश्वर से गंगोलीहाट तक के सड़क निर्माण कार्य को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। घाट से रामेश्वर तक सड़क बनाने का कार्य अभी किसी योजना में शामिल नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जगह चम्पावत और पिथौरागढ़ तहसील में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो इससे कहा नहीं जा सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सड़क के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कब इन सड़कों का काम आरम्भ होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने पहले ही बतलाया कि फैमीन रिलीफ वर्क में ९० हजार रुपया इसके लिये दिया गया था और बागेश्वर रोड भी इसमें शामिल है। सारा काम फैमीन रिलीफ वर्क के खयाल से ही होता है।

जिला आगरा में वाह–अरनौटा रोड की मरम्मत

*३०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि वह वाह से अरनौटा की सड़क तहसील वाह, जिला आगरा का मुख्य यातायात मार्ग, बहुत बुरी दशा में है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उसकी मरम्मत का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस १५ मील लम्बी सड़क में से सात मील की हालत अच्छी नहीं है और उनकी मरम्मत की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सड़क ऐसी है कि इस पर न केवल गाड़ियों के बल्कि सवारियों के भी अंजर-पंजर ढीले हो जाते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हालत खराब है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा उस पर लारियां भी चलती हैं और सब काम होता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को मालूम है कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर गवर्नमेंट के पास लिख चुके हैं कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी मरम्मत की जा रही है और इस सड़क पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस सड़क पर जो मोटरें चलती हैं उनमें एम्बुलेंस और स्ट्रेचर रखने की बात सोच रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह जानने की कोशिश करेगी कि जो हालत है उसमें बिना नये तौर से मीलों के बनाये हुए जिस तरह का काम हो रहा है वह उसमें किसी तरह से सुधार नहीं कर सकता।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी बाबत पूछा जायगा।

*३१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—[२४ मार्च, १९५१ के लिये स्थगित किया गया।]

पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों से आय

*३२—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों में १९५१–५२ में क्या आय किन-किन मदों से हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— १९५१–५२ में पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों से आय की मदें तथा आंकड़ें निम्नलिखित हैं—

नाम मद	अपर डिवीजन	लोअर डिवीजन	सम्पूर्ण आय
(१) सिंचाई (Occupier's rate)	१७,३६,२१०	३१,८०,४७९	४९,१६,६८९
(२) भूमि धारण कर (owners rate)	८,३००	५,५१०	१३,८१०
(३) जल विक्रय (sale of water)	३,३०८	३४२	३,६५०
(४) वृक्षादि रोपन (plantation)	२,४३९	४१,४७८	४३,९१७
(५) अन्य नहर उत्पन्न द्रव्य (other canal produce)	१८,२०१	९,१७४	२७,३७५
(६) जल शक्ति (water power)	५१,०४७	३,०९१	५४,१३८
(७) कर दंड तथा विभिन्न (Rent fine & miscelleneous)	१८,४२७	४३,१८०	६१,६०७
योग ..	१८,३७,९३२	३२,८३,२५४	५१,२१,१८६
(८) नहर को प्राप्य भूमि कर का अंश (Portion of land revenue due to works)			४,८५,४९१
कुल योग ..			५६,०६,६७७

*३३—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५१–५२ में उपर्युक्त डिवीजनों में कुल क्या व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त नहर के दोनों डिवीजनों में १९५१–५२ में व्यय निम्नलिखित हैं—

	रुपये
अपर डिवीजन ..	६,८५,८५५
लोअर डिवीजन ..	८,५६,६३८
योग ..	१५,४२,४९३

*३४—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तावान (सिंचाई) से क्या आय हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तावान सिंचाई से १९५१–५२ में निम्नलिखित आय हुई:—

	रु०
अपर डिवीजन ...	१५,३५६
लोअर डिवीजन ...	६७,०१९
योग ...	८२,३७५

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तावान किन किन कारणों से लगाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूरा डिटेल देना कि किस किस पर तावान लगाया गया और किस वजह से लगाया गया यह तो यहां बताना मुश्किल है। लेकिन तावान जिन वजहों से लगता है उन्हीं वजहों से लगाया गया।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोअर डिवीजन में अपर डिवीजन की अपेक्षा क्यों अधिक तावान लगाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां तावान लगाने लायक अधिक जुर्म हुये होंगे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—मिसलेनियस प्रश्न ३२ में रेंट, दंड आदि से १८,४२७ रुपये अपर डिवीजन से और ४३,१८० रुपये लोअर डिवीजन से दिखाये गये हैं मगर प्रश्न ३४ के जवाब में अपर डिवीजन से १५,३५६ और लोअर डिवीजन से ६७,०१९ रुपये बताये गये हैं। तो यह अन्तर क्यों है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह मेरा खयाल है कि एक तो रेंट है, दंड और मिसलेनियस इसका हेड है। अगर इसका डिटेल आप चाहेंगे तो दे दिया जायगा।

श्री बलवन्त सिंह—क्या यह बात सही है कि यमुना कैनाल के अपर और लोअर डिवीजन में कुलाबे छोटे कर दिये गये हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर नहर काटते हैं और इस वजह से अधिक तावान लगाना पड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी बात नहीं है कि सभी कुलाबे छोटे कर दिये गये, जहां जरूरत समझी गयी वहां छोटे किये गये।

अलीगढ़ में कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिये पानी की कमी

*३५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि रजबहा सुम्मेरा, सर्किल तीन डिवीजन अलीगढ़ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से जनवरी तक सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रजबहा सुम्मेरा २६ दिसम्बर, १९५२ तक बराबर चलता रहा। बाद में रोस्टर के अनुसार यह रजबहा बंद कर दिया गया। जब इस रजबहे का रोस्टर के हिसाब से फिर चालू करने का नम्बर १५ जनवरी, १९५३ को आया इससे सींचे जाने वाले क्षेत्र में वर्षा हो गई और पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रही। अतः इस रजबहे को उस समय न चला कर २४ जनवरी, १९५३ को चलाया गया और तीन हफ्ते बराबर चलता रहा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि रजबहा सुम्मेरा चलता रहा लेकिन इसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा और करीब १,४०० बीघे भूमि बिना पानी भरे रह गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेंगे कि यह जमीन बिना पानी भरे हुये रह गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना अगर सरकार के पास आयी तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—रोस्टर के अनुसार किस तरीके पर पम्प बन्द होता है और किस तरीके पर खुलता है यह किस आधार पर तय किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह रजबहा चार हफ्ते में एक बार चलने के हिसाब से खुलता है और उसी हिसाब से खुला होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वहां पर इतनी वर्षा नहीं हुई थी और वहां के किसान जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंचे कि इस वक्त हमको पानी दे दिया जाय लेकिन इंजीनियर महोदय ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हुई होगी यह तो इस उत्तर से ही स्पष्ट है क्योंकि १५ को खुलना चाहिये और २४ को खुला। लेकिन इतनी वर्षा जरूर हुई होगी कि कुछ वक्त टाल कर खोला जाय।

*३६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि नौजरागोकुलपुर, नरहरपुर, दोस्तपुर, बाजीदपुर, बबरोई आदि गांवों में भूड़ भी नहीं भरी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन गांवों में बोई हुई सम्पूर्ण रबी की फसल के क्षेत्र में सिंचाई हुई है।

गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों की सिंचाई

*३७—श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों को कितनी बार किस हिसाब से पानी मिलता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी की सिंचाई के लिये कोई समय निश्चित नहीं है। जब इसके क्षेत्र में रबी की सिंचाई के लिये पानी की मांग होती है, नहर खोल दी जाती है। प्रत्येक खेत में कितनी बार सिंचाई हुई इसका कोई हिसाब नहीं रक्खा जाता है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या उनके पास इस रामगढ़ नहर से पानी लेने वालों की शिकायतें आई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पानी की कमी की शिकायत आयी थी।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी इन शिकायतों पर गौर करेंगे और तहकीकात करा के उनको उचित सुविधा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जो शिकायतें आती हैं उन पर उचित कार्यवाही की ही जाती है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस नहर के कच्चे बांध इतने टूट गये थे कि उससे पानी का काफी नुकसान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप किस जगह की बंधियों की बात कह रहे हैं, कई जगह नहरें काटी भी गयी थीं।

श्री इस्तफा हुसैन—मैं यह सवाल करता हूं कि इस नहर की जो बंधियां हैं वे काफी टूट गयीं उसके मुताल्लिक कुछ किया गया या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहरें और बंधियां तो टूटती ही रहती हैं और जब वे टूटती हैं तो उनकी मरम्मत तो होती ही है।

पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जिला बोर्ड मुजफ्फ़रनगर को वापस दी हुई सड़कें

*३८—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि मार्च, १९५२ के बाद कितनी सड़कें मुहकमा पी० डब्ल्यू० डी० ने जिला बोर्ड मुजफ्फ़रनगर को वापस कीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उन सड़कों की सूची जो मार्च, १९५२ के बाद जिला बोर्ड मुजफ्फरनगर को पी० डब्ल्यू० डी० ने वापस की है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८८ पर)

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को दी गईं थीं उनका माईलेज कितना था और उनके रखरखाव के लिये कितना रुपया बोर्ड को दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माइलेज तो इस वक्त बतला नहीं सकता लेकिन १९५२-५३ में १६ हजार रुपया दिया गया था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा —क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हरएक जिले को प्रति मील रखरखाव के लिये एक ही हिसाब से खर्चा दिया गया था?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां, एक ही हिसाब से दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले की सड़कों के लिये २०० रुपया फी मील दिया गया है जब कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि ३०० रुपया दिया गया है तो यह फर्क क्यों है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं उन पर जिस कदर खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी उतना ही खर्चा उनको दिया गया है।

तराई भावर खाम स्टेट की कुछ सड़कों को पक्की बनवाने का सुझाव

*३९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि तराई भावर खाम स्टेट में हल्द्वानी-देवलचौड़-चांदनी चौक-रामपुर सड़क खेड़ा-किसनपुर सड़क व खटीमा-सितारगंज-किछा सड़क बहुत बुरी हालत में है? अगर हां, तो सरकार उपर्युक्त सड़कों को पक्का करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हल्द्वानी, देवलचौड़, चांदनी चौक, रामपुर तथा खटीमा, सितारगंज, किच्छा सड़कों के जो भाग निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं उनकी हालत बुरी नहीं है। उनको पक्का करने का अभी कोई विचार नहीं है। खेड़ा-किशनपुर सड़क तथा उपरोक्त सड़कों के शेष भाग सुपरिंटेंडेंट तराई भावर स्टेट के अधीन हैं। इनके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है, जो माननीय सदस्य को बाद में दी जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि निर्माण विभाग के अन्तर्गत हल्द्वानी देवलचौड़-चांदनी चौक रामपुर सड़क, खेड़ा-किसनपुर सड़क व खटीमा-सितारगंज-किछा सड़क का जो हिस्सा है वह इतना कम चौड़ा और ऊबड़-खाबड़ है कि उस पर बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई इत्तिला नहीं है, सूचना की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि निर्माण विभाग इन सड़कों के अपने हिस्से के रखरखाव पर कितना खर्च करता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—कच्ची सड़कों की बाबत अभी बतलाया गया है कि उनपर ३०० रुपया प्रति मील के हिसाब से खर्च होता है।

जौनपुर जिले में एक साल से अधिक समय के फौजदारी व माल के मुकदमे

*४०—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में वे कौन कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जिनके पास एक वर्ष से अधिक समय के फौजदारी के और माल के मुकदमे बिना फैसला के पड़े हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जौनपुर जिले में ऐसे जुडीशियल अफसरों के नाम जिनके यहां एक साल से अधिक के कुछ फौजदारी और माल के मुकदमे बिला फैसला रह गये हैं, निम्नलिखित हैं :-

१—श्री अवधेश नारायण,
२—श्री हरिहरप्रसाद चौबे,
३—श्री बांकेबिहारी लाल जौहरी ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक साल से किसने अधिक साल तक के मुकदमें किस कारण बिना फैसले के रह गये ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें तो एक साल का सवाल है । उसके कारण बहुत से हैं। मैं दो चार बतलाये देता हूं। कुछ तो यह हुआ कि कुछ मुकदमे जो माल के थे वे रोक दिये गये। जमींदारी टिनेंसी ऐक्ट में जब तरमीम हो रही थी और जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जेरे गौर था तो इस वजह से उनका फैसला नहीं हुआ। इसी तरह से बाज मुकदमे में यह तय हुआ कि बहुत से जमींदार जो फरीक थे, उनमें कई मर गये और उनके वारिस कायम होने में दिक्कत व देर हुई। बाज़ मुकदमों में यह हुआ कि वे अपील में चले गये थे, फिर वहां रिमांड हुये और फिर वहां से कायम हुये और फिर उसके बाद आगे चले। अदालतों ने यह भी लिखा है कि जौनपुर जिले में खासतौर से लोग मुकदमेबाजी के बहुत ही शायक हैं और जरा जरा सी बात को लेकर मुकदमेबाजी को तूल देते हैं। इसी तरह से दो चार और वजहें हैं जिनकी वजह से ये मुकदमे एक साल तक बिना फैसल रह गये लेकिन अब इसका इंतजाम हुआ है और तीन जुडिशिअल आफिसरों को फौजदारी का काम दे दिया गया है और तीन को महज माल का काम दिया गया है। इत्तिला पहली नवम्बर, सन् ५२ से जब से यह इन्तजाम किया गया है उस वक्त से काम तेजी से हो रहा है और मुकदमे जल्दी फैसल हो रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार को पता है कि श्री हरिहर प्रसाद चौबे के इजलास...

श्री अध्यक्ष—मैं किसी व्यक्ति के बारे में सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि कितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किस सन् से, किस अभिप्राय से बढ़ाये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर आप पूरे जुडिशिअल मैजिस्ट्रेट के लिये पूछते हैं तो इस वक्त उसकी मेरे पास सूचना नहीं है। इन तीनों के मुताल्लिक भी इत्तिला नहीं है कि जो तीन नाम मैंने दिये हैं वे वहां कब से हैं और कब तक और रहेंगे।

* * *

आगरा जिले में सिंचाई के साधन

*२२—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किये जायेंगे ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—आगरे की सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये पंच-वर्षीय योजना में अपर गंगा नहर की कैपेसिटी (capacity) को ८५०० क्यूसेक्स

नोट— तारांकित प्रश्न २२ व २४ श्री रमेश वर्मा ने पूछे ।

(cusecs) से बढ़ाकर १०,५०० क्यूसेक्स (cusecs) किये जाने की तजवीज है इस बढ़ाव के फलस्वरूप आगरा जिले में लगभग १५,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बार गंगा नहर में पानी की गुंजाइश कब तक हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं आशा करता हूं कि कदाचित् गंगा की कैपिसिटी बढ़ाने का जो काम है वह इस वर्ष समाप्त हो जायगा।

श्री रमेश वर्मा—क्या सूचना मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या सरकार नहर के अलावा और किसी अन्य साधन का आविष्कार इस क्षेत्र के लिये कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बाह तहसील में कुछ ट्यूबवेल खोदने की योजना चलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ थोड़े से बांध भी बनाने की योजना है जिसमें भारा, नगला दुलेखां आदि हैं। इनमें कुछ का सर्वे हो चुका है और कुछ का हो रहा है।

*२३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

समाचार-पत्र जांच समिति की रिपोर्ट

*२४—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कभी कोई समाचार-पत्र उद्योग के संबंध में जांच कमेटी बनी थी ? यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी थी ? उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, प्रदेशीय समाचार-पत्र उद्योग जांच समिति सन् १९४७ में बनाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, १९४९ में शासन को दी। यह रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन ही थी कि भारत सरकार ने प्रेस कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी। चूंकि संबंधित विषय भारत संविधान के अनुसार भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार की सम्मिलित सूची में है, इसलिये यह उचित समझा गया कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाय।

श्री रमेश वर्मा—क्या सूचना मंत्री जी को विदित है कि इस समिति ने कुछ सिफारिश ऐसी की थी जो प्रादेशिक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तो क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रेस कमीशन ने जो प्रश्नावली प्रकाशित की है उसको यदि माननीय सदस्य ने देखा होगा तो उनको ज्ञात होगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो उसके क्षेत्र से बाहर हो। वह सभी प्रश्न विचाराधीन हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर सेशन जज के इजलास में सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों की सूची तथा उनकी फीस

१—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि गोरखपुर सेशन जज के इजलास में सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमात की पैरवी करने के लिये कौन कौन से वकील सूची (Penal) में हैं और उनको किस हिसाब से फीस दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—गोरखपुर सेशन जज के इजलास में तथा अन्य इजलासों में सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमात की पैरवी करने के लिये निम्नलिखित वकील सूची (Penal) में हैं।

१. श्री हर नारायण लाल,
२. श्री पांडे जगदम्बा प्रसाद,
३. श्री राज महीपत राय,
४. श्री नर्मदाप्रसाद,
५. श्री कृष्ण सेवक,
६. श्री शारदा चन्द्र ।

सूची के वकीलों के लिये निर्धारित फीस १६ रु० प्रतिदिन है। यदि किसी एक दिन में काम ढाई घंटे या उससे कम होता है तो फीस ८ रु० दी जाती है।

२—श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार यह बतलायेगी कि गोरखपुर सेशन जज के इजलास में उन मुलजिमान के मुकदमात की पैरवी करने के लिये जिन के निज अपने वकील नहीं होते कौन-कौन से वकील (Amicus curie) की सूची में हैं और इन वकीलों को किस हिसाब से फीस दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—गोरखपुर सेशन जज के इजलास में उन मुलजिमान के मुकदमात की पैरवी करने के लिये जिनके अपने वकील नहीं होते हैं सेशन जज स्वयं नियम २२२ (१) लीगल रिमेम्बरेंसर मैनुअल के अधीन जब कभी भी आवश्यकता प्रतीत होती है वकील नियुक्त करते हैं। अतएव ऐसे वकीलों की सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

ऊपर कहे गये नियम के अधीन नियुक्त किये गये वकीलों को प्रतिदिन तीन घंटा व इससे अधिक समय तक कार्य करने के लिये २४ रु० के हिसाब से फीस दी जाती है और तीन घंटे से कम समय के कार्य के लिये १२ रु० दी जाती है।

३—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—[२४ मार्च, १९५३ ई के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा में गरुड़-बागेश्वर मोटर सड़क के गिरे हुये पुल

४—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में गरुड़-बागेश्वर मोटर सड़क जो आज कल निर्माण हो रही है उसमें अधिकांश पुल जो अभी जाड़ों में बने गिर गये हैं जबकि अभी तक कोई मोटर भी उसमें नहीं चली ?

श्री गिरधारी लाल—जुलाई, १९५२ ई० में इस सड़क के पुलों में कुछ नुकसान हुआ था। उत्तरदायी अधिकारियों और ठेकेदारों को उचित दंड दिया गया है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी पर डेढ़ घंटा बहस की जाय, अनुदान संख्या ४ और ६ दोनों पर १५ मिनट दिया जाय और बाकी समय न्याय प्रशासन के लिये दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो समय विभाजन इस प्रकार से हुआ कि राज्य आबकारी का जो अनुदान ३ है वह १ बजकर १५ मिनट तक रहेगा। २-१५ से २-३० तक अनुदान संख्या ४ और ६ रहेगा। इन दोनों नम्बर ४ और ५ यानी अनुदान ४, ५ को एक साथ ले लिया जायगा। फिर उसके बाद २-३० से लेकर ५ बजे सायंकाल तक अनुदान संख्या १५ चलेगा।

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी में कटौती का जो प्रस्ताव होगा उसके प्रस्तावक को १० मिनट का समय रहेगा और बाकी लोगों को ७ मिनट दिया जायगा।

अनुदान संख्या ४ और ६ जो नम्बर ४ और ५ के क्रम में हैं उनके लिये १५ मिनट का समय होने की वजह से समय नियुक्त नहीं करता हूं। उसमें २, १ मिनट में बोलकर खत्म कर सकते हैं।

अनुदान संख्या १५ में समय ढाई घंटे का है तो कटौती के प्रस्ताव करने वाले को १५ मिनट का समय मिलेगा और बाकी लोगों के लिये उसमें १० मिनट का समय मिलेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कटौती के प्रस्ताव के लिये १५ मिनट तो रख दिया जाय, किन्तु और बाकी लोगों के लिये ७ मिनट रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है उसके लिये ७ मिनट कर दिया जायगा क्योंकि उसमें अधिक लोग बोल सकेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३ राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०७,९५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह जो मांग की गई है इसके मुताल्लिक मैं कुछ तादाद बतला देना चाहता हूं इसमें से ८० लाख रुपया तो पावर अलकोहल खरीदने के लिये खर्च किया जायगा जिसके माने यह हैं कि जब वह पावर अलकोहल कम्पनी को बेच दिया जायगा तो हमको यह ८० लाख रुपया वापस मिल जायगा। इस तरह से ७ लाख दस हजार छः सौ रुपया अफीम खरीदने के लिये रखा गया है और जब यह अफीम के लाइसेंस दे दिये जायेंगे तो यह हमको मिल जायगा। तो कुल रुपया जिस विभाग के अखराजात के लिये जरूरत है उसकी तादाद २०,८४,४०० है।

अब आमदनी के मुताल्लिक सूरत यह है कि इस साल यह उम्मीद की जाती है कि हमारी आमदनी ५ करोड़ ६९ लाख ९ हजार ९०० रुपये के करीब होगी हालांकि इससे पहले साल १९५१–५२ में ६ करोड़ ४१ लाख ५१,३५२ हुई थी और आइन्दा साल का हमारा अन्दाजा ५ करोड़ ४९ लाख ३०,३०० रुपये की आमदनी का है। यह कमी जो आमदनी में हुई है वह काबिल गौर है और उम्मीद ऐसी है कि आइन्दा साल वह कम ही होगी और इसकी वजह खुली हुई है कि सूबे की आर्थिक एकनामिक हालत अब इतनी अच्छी नहीं है कि लोग इस तरह की फजूलयात पर ज्यादा खर्च कर सकें। हालांकि कुछ इसका भी असर है कि जो प्रोपेगन्डा सरकार और मुखतलिफ प्राइवेट एजेंसी के जरिये शराबखोरी वगैरा के खिलाफ किया जा रहा है, उसका भी कुछ न कुछ असर पड़ ही रहा है लेकिन एक अन्दाजा, जिसकी वजह से आमदनी कम हो रही है और जिसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते, वह यह है कि गैर कानूनी तरीके से जो शराबकशी वगैरा होती है या और तरह की चीजें जो चल रही हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा जैसे बाहर से हमारे सूबे में कुछ चीजें आकर बिकती हैं, इसकी वजह से भी आमदनी घट रही है, लेकिन ५ करोड़ ४९ लाख से कुछ ही ज्यादा की उम्मीद है और शायद इससे जायद आइन्दा साल में आमदनी न होगी।

जहां तक कि जरायम का संबंध है देखना यह है कि ४९–५० में १५,९०० यानी १६,००० के करीब मुकदमे पकड़े गये थे गैरकानूनी शराबकशी वगैरा के। सन् ५०–५१ में उनमें एक हजार की कमी हो गई यानी उनकी तादाद १४,९४३ रह गई। सन् ५१–५२ में १४,००० के करीब रह गई वह तादाद, गोकि यह जरूर है कि हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जरायम पकड़ रहा है और जुर्म में कमी भी हो रही है लेकिन यह इतमिनानबक्श हालत नहीं है लेकिन जहां तक कि इत्तला अनआफिशियल तरीके से हमें है पब्लिक की तरफ से उससे पता लगता है कि गैरकानूनी

[श्री सैयद अली जहीर]

चीजों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इनके रोकने के लिये मुख्तलिफ कार्यवाहियां गवर्नमेंट ने की हैं मसलन १९४९-५० में स्पेशल गांजा स्कवैड गवर्नमेंट ने गोरखपुर में कायम किया ताकि वह इसको रोकने की कोशिश करे। बदकिस्मती से गांजे का चोरी से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जो गांजा गवर्नमेंट की दूकानों में दिया जाता था वह ईस्ट पाकिस्तान से आता था। वह बहुत ज्यादा पापुलर था और लोग उसको शौक से खरीदते थे। लेकिन जब से वह सोर्स बन्द हो गया और वहां से गांजा नहीं मिलता तो जो गांजा हम दे रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसको पब्लिक शौक से इस्तेमाल करे। इसका नतीजा यह हो रहा है कि नैपाल से जिसकी सरहद हमारे मुल्क से मिली है वहां नैपाल में गांजे के ऊपर कोई रोक-थाम नहीं है। इसकी वजह से वहां से बहुत बड़ी तादाद में गांजा हमारे मुल्क में बराबर चला आ रहा है। मैं बतलाऊंगा कि इसकी वजह से किस कदर हमारे यहां इस्तेमाल इसका बढ़ गया है और जो दूकानों में बिकता था वह अब करीब-करीब नहीं के बराबर हो गया है और बहुत कम दूकानों पर बिकता है। यह चीज ऐसी है जिसके लिये हमें कुछ न कुछ करना है, लेकिन बदकिस्मती से प्रान्तीय गवर्नमेंट इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती कि इस किस्म की चीजों की रोक-थाम करे पुलिस वगैरह के जरिये से, ताकि नैपाल से वह न आने पाये। लेकिन बावजूद हमारी सब कोशिशों के कम से कम पूरे तौर से कामयाब नहीं हो रहे हैं। अभी हमने पहली दिसम्बर, १९५२ से एक और उसी तरह से स्पेशल चर्स स्क्वैड मुरादाबाद में कायम किया है। उसके पीछे भी यही चीज है। चर्स भी नैपाल से आती है। यह जाहिर है कि इसका इलाज जभी हो सकता है कि जब दोनों तरफ से रोक-थाम हो यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से हम नैपाल गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर डाल सकें और उनको भी आमादा कर सकें कि वह अपने यहां भी पाबन्दी लगायें ताकि बाहर न जाने पायें। तभी इसमें कामयाबी हो सकती है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की है वह यह है कि बाज-बाज अजला में मसलन देहरादून, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा झांसी, गोरखपुर में यह फैसला किया है कि एक-एक और ऐडीशनल एक्साइज इंस्पेक्टर यहां मुकर्रर हो जायगा जिसका काम यह होगा कि वह उन जरायम को जो निषेध के सिलसिले में होते हैं उनको जहां तक हो सके रोके और उसकी इत्तला जल्द पहुंचाये।

दूसरी चीज जो गवर्नमेंट कर रही है वह यह है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो इलाहाबाद में है। जहां पर इक्साइज का दफ्तर है। उसका काम यह है कि जितने इस किस्म का मशकूक आदमी उनकी एक तारीख और अंगूठे का निशान वगैरह वहां पर जमा करें और तमाम मालूमात उनके मुताल्लिक हासिल करें और एक रजिस्टर में रखा जाय। इस किस्म के तमाम जो जुर्म होते हैं उनको दरियाफ्त करें कि किस-किस तरीके से यह जुर्म रोके जा सकते हैं। अभी तक यह मुहकमा काम तो कर रहा था लेकिन आदमी कम थे और काम बहुत ज्यादा हो गया। अब हमने यह भी इरादा किया है कि १९५३-५४ के बजट में इस ब्यूरो को और ज्यादा मुफीद बनाने के लिये कुछ थोड़े से अफसर मुअय्यन किये जायं जो इस बात पर बराबर गौर करते रहें कि क्या जराये इन जरायम के रोकने लिये किये जा सकते हैं जिसके जरिये से हम इसको रोक सकें। बहरहाल यह दिक्कतें हैं और यह सूरतें हैं जिसकी वजह से हमारे यहां अभी तक जरायम को रुक जाने चाहिये थे और जितनी कि मद्य-निषेध को कामयाब होना चाहिये था उतना बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत में सवाल यह उठता है कि आइंदा हमारी पालिसी क्या होनी चाहिये। यह एक बहुत ही मुश्किल और मेरे ख़याल में एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर हम सबको बहुत ठंडे दिल से वग़ैर जज़बात से मुत्हर्रक हुए सोचना चाहिये और फैसला करना चाहिये।

आप अगर देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जो नकशा है हिन्दुस्तान का, अगर आप शुरू करें आसाम से तो आप देखेंगे कि आसाम में कोई प्राहीबीशन नहीं है। उसके बाद आप बंगाल में जायं, वहां कोई प्राहीबीशन नहीं है। बंगाल के बाद बिहार आता है वहां भी प्राहीबीशन नहीं है। बल्कि वहां एक मंत्री महोदय साहब ने तो अभी

यह कह दिया कि "प्राहीवीशन इन बिहार इज नाट यट पासिबिल" कृष्णवल्लभ सहाय जी ने, जो रेवेन्यू और एक्साइज के मंत्री जी हैं उन्होंने यह कहा और उन्होंने आगे कहा,

"That there are many people in the state who consider use of drink as part of their culture and civilization."

श्री अध्यक्ष—इसका हिन्दी में तर्जुमा होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—जनाब, कृष्णवल्लभ सहाय जी ने यह कहा कि शराब नोशी हमारी कल्चर और तहजीब का एक जुज है। तो आप खयाल करें कि किस क़दर फर्क है हमारी पालिसी में और हमारे बराबर की जो स्टेट हैं यानी बिहार, जहां के ऊपर खुद कांग्रेस गवर्नमेंट है और शुरू से चल रही है और मैं समझता हूं कि कामयाबी के साथ चल रही है, उन्होंने यह बयान कर दिया और यह भी कहा कि हम···

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)— यह इन्फार्मेशन अखबार से पढ़ रहे हैं, या और किसी इत्तला से?

श्री सैयद अली जहीर—अखबार की कटिंग है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक बयान है जो कि असेम्बली के सिलसिले में उनकी रिपोर्ट छपा करती है। बहरहाल यह चीज है। मैं तो खुद समझ रहा हूं कि एक ग़लत सी चीज है। वहां पर प्राहीवीशन नहीं है, यह वाकया है। मैं तो अपनी जो पालिसी है वह अब बताने जा रहा हूं।

इसी तौर से अगर आप देखेंगे तो खुद मद्रास में जहां के ऊपर कि बिल्कुल बन्द कर दी गयी है, पूरे प्रान्त में यही सवाल पेश हुआ और उन्होंने कहा कि १७ करोड़ का नुक्सान हमारा हो रहा है। वहां उनसे सवाल किया गया कि अगर आप प्राहीवीशन को बन्द कर दें तो फिर क्या सूरत होगी तो जवाब दिया गया कि कम से कम १७ करोड़ की आमदनी तो नहीं होगी अगर फिर से जारी कर दें और यह भी कहा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन इतना बढ़ गया है कि अगर हम इस वक्त प्राहीवीशन को छोड़ करके फिर अपने पुराने रास्ते पर आ जायं तो हमारी उतनी आमदनी नहीं हो सकती। वहां के राजा जी के मुताल्लिक यह बयान किया गया है कि उन्होंने ऐसा कहा।

तो एक कोने से आपने देखा। बहरहाल यह सूरत है हमारे और सूबों में जो हमारे आस-पास हैं। जैसा मैं बतला रहा था कि बिहार तक तो कोई मुमानियत नहीं है। हमारे सूबे में अब तक मुमानियत नहीं है, सिर्फ ११ जिलों में और तीन मजहबी मुकामात पर शराबबन्दी की है। इधर अगर आप पंजाब पहुंचियेगा, दिल्ली पहुंचियेगा और उसके बाद काश्मीर जाइयेगा तो कहीं भी आपको नशाबन्दी नहीं मिलेगी। अगर नक्शे को सामने रखते हैं तो यह देखते हैं कि ११ जिले और ३ शहर बीच में पूरे नार्थ इंडिया में मिलते हैं जहां मद्यनिषेध अमलदरामद है। जाहिर है कि यह इत्मिनान-बख्श हालत नहीं है। हमको यह फैसला करना है कि उनको क्या करना चाहिये। बहरहाल हमने एक एक्सपेरीमेंट किया अपने यहां इसलिये कि हम इसको मुफीद समझते हैं। हम यह जानते हैं कि शराब पीने के क्या नतायज होते हैं और उसके जरिये से किस तरह से लोग तबाह होते हैं और खास कर गरीबों में क्या परेशानी फैलती है और उनके बच्चों और औरतों की क्या हालत होती है। इन सब बातों को देखते हुए और उसकी मारल जरूरियात के ऊपर गौर करते हुए हमने यह जरूरी समझा कि

[श्री सैयद अली जहीर]

हम अपनी इस पालिसी को चलावें और हमारी यही अब तक नीति रही है कि इस पालिसी को आगे बढ़ायेंगे लेकिन इसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते यह सवाल जरूर उठेगा और इसका जवाब हमें देना है। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि यह जो हमने एक्सपेरीमेंट किया है उसके सिलसिले में हमने एक क्वेश्चनायर बनाया है, कुछ जवाब मांगे हैं और वह हमने तमाम सर्कुलेट किये हैं। उसके जरिये से हम यह अन्दाजा लगाना चाहते हैं कि जो हमारे यहां ४ वर्ष या ३ वर्ष जहां-जहां इस तरह की शराबबन्दी रही है तो उसके नतायज क्या हुए हैं। आया उसकी वजह से लोगों की हालत कुछ बेहतर हुई है या नहीं उसी तरह से यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाजायज चीजें जो फैली हुई है उनकी रोक-थाम के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाय। यह क्वेश्चनायर हमने तैयार किये हैं और इनके जवाब का इन्तजार कर रहे हैं। बहरहाल आगे इसकी क्या शक्ल होगी यह उन जवाबों के आ जाने पर मालूम होगा। हम सोचते हैं कि उसके बाद हम बेहतर हालत में होंगे इस बात का तस्फिया करने के लिये कि हम कौन नये-नये जराये और अख्तियार करें जिससे कि हम अपने यहां इसको बढ़ा सकें और बढ़ा करके जो असली इसकी गरज है यानी यह कि गरीब लोग इसकी तबाही से बच सकें उसमें कैसे फायदा हो।

बहरहाल जो सूरत इस वक्त है वह यही है कि हम एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर हैं और बदकिस्मती से जैसी कि रिपोर्ट हमारे पास आ रही है और जो इत्तला-आत पहुंचती हैं उनसे जो अन्दाजा मिलता है वह यह है कि हमारे यहां बजाय इसके कि लोग तहरीक करें और गवर्नमेंट की यह पालिसी जो है उसको कामयाबी हो, इसके बजाय एक नाजायज तरीके से शराब वगैरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह फायदा जो कि गवर्नमेंट नाजायज समझती है और उस फायदे को हासिल नहीं करना चाहती, दूसरे लोग जिनको कि परवाह नहीं है, मुजीर किस्म की चीजें लोगों में फैलाकरके उससे फायदा उठाना चाहते हैं, नफा कमाना चाहते हैं। तो बहरहाल यह चीज हमको किसी न किसी तरह से रोकनी है और अगर हमें इसके रोकने में कामयाबी हो गई तभी इस बात का मौका आयेगा कि हम अपनी प्राहीबीशन पालिसी को आगे बढ़ायें, लेकिन अगर हमारी प्राहीबीशन पालिसी का नतीजा सिर्फ यही हुआ कि गवर्नमेंट ने तो अपनी रेवेन्यू बन्द कर दी लेकिन बजाय इसके नाजायज किस्म की शराब और नाजायज किस्म की चीजें लोगों में छिपी चोरी से ज्यादा बढ़ गईं तो बड़ी मुश्किल हमको पड़ेगी और उससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। लिहाजा एक तरफ तो हमको अपने प्रोपोगेंडे को और अपने इस काम को इस तरह करना पड़ता है कि लोगों में इसकी तरफ से एक नफरत पैदा हो, लोग इसको बुरी चीज समझें इस प्रोपोगंडे को और ज्यादा मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ जो लोग कि इंसान की इस कमजोरी का कि वह शराब पीना चाहता है और नशे की चीजें इस्तेमाल करता है, इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उनको भी हमें रोकना है और उनके दिमाग में यह डालना है कि जो भी ऐसा करेगा वह यकीनन सजा पायेगा। और सजा ऐसी सख्त होगी कि उसके लिये यह मुनासिब न होगा कि वह अपने इस नाजायज फ़ेल को जारी रखे। यह चीजें हैं और यह उसी वक्त कामयाब हो सकती हैं जिस वक्त कि पब्लिक ओपिनियन का हमारे प्रान्त में ऐसी डेवलप हो जाय कि जिसकी वजह से इन दोनों बातों, एक तरफ से शराब की बुराई और दूसरी तरफ उसके नाजायज तरह से पैदा करने या उसका इस्तेमाल करने की जो बुराई है उसके मुताल्लिक भी हमारे यहां काफी जज्बा लोगों में पैदा हो जाय। अगर यह हो गया तब तो यकीनन हमारी प्राही-बीशन की पालिसी कामयाब होगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि अभी तक तजुर्बा हुआ है, हमको कोई कामयाबी नहीं हुई है। इसीलिये हम इस स्कीम को आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझते हैं। यह सूरत है जो कि सरेदस्त हमारे सामने है।

डिपार्टमेंट के मुताल्लिक कास मुझे नहीं कहना है सिर्फ यह बतलाना है कि जैसा फारेन लिकर है उसमें भी कुछ हद तक हमारे यहां इस्तेमाल घट गया है और जितना पुराने सालों में आता था वह अब कम हो गया है। मसलन सन् १९५१-५२ में १ लाख ६१ हजार गैलन के करीब आया था और अब के साल याने ५२-५३ में सिर्फ ९६ हजार गैलन के करीब आया है। एक चीज अल्बत्ता इस सिलसिले में है जिसका कोई ताल्लुक हमारी शराब नशा पालिसी से नहीं है। वह पावर अल्कोहल का मामला है। पावर अल्कोहल जैसा आप जानते हैं वह चीज अब गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अपने अख्तियार में ले ली है लेकिन अब भी उसका तकसीम जो कि हमारे सूबे में पैदा होता है उसका इन्तजाम हमारे मुताल्लिक है जिसकी सूरत यह है कि हमारे यहां जितनी फैक्टरीज लगी हुई हैं उनमें करीब-करीब १ करोड़ ३ लाख ८० हजार गैलन पावर अल्कोहल बन सकता है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल इस वक्त है वह महज ५२ लाख ३४ हजार गैलन है। आपको मालूम है कि पावर अल्कोहल की वजह से हमारे पेट्रोल के खर्चे में बहुत कमी होती है क्योंकि एक्सपर्टस ने यह तय कर दिया है कि ८० फीसदी पेट्रोल हो और २० फीसदी पावर अल्कोहल हो तो इससे मोटर के इंजिन में भी कोई खराबी नहीं आती है बल्कि इंजन अच्छा ही होता है। जहां तक इसका ताल्लुक है हमारे यहां इसका तिजारत है जिससे हमारे प्रान्त को काफी फायदा होता है। यदि यह और सूबे में भी इस्तेमाल हो तो और ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वक्त यह सिर्फ हमारे सूबे में और दिल्ली में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन उम्मीद है कि अब पंजाब में भी इसका इस्तेमाल होने लगेगा। इसके इस्तेमाल में जो मुश्किलात है वह यह है कि इसको पेट्रोल के साथ मिलाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां जितनी भी पेट्रोल की कम्पनियां हैं वे बाहर की हैं और हमारी अपनी कोई नहीं है। वह कम्पनियां नहीं चाहती हैं कि उनके पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जिसकी वजह से मिक्स करने वाले डिपो की भी कमी है। बहरहाल हमारे यहां रामपुर और मुरादाबाद को छोड़कर और सब जगह यह काम मुकम्मल हो गया है। हमारे यहां हर जगह पेट्रोल और पावर अल्कोहल मिलाकर बेचा जाता है। दिल्ली में भी ऐसा होता है। लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से पंजाब में भी ऐसा हो जायेगा। यह एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक शराब से नहीं है। बहरहाल उसका जुज है जो कि हमारी शुगर केन इन्डस्ट्री है उसका बाय प्रोडक्ट है। इन फैक्टरीज में मोलसेज से यह बनता है। यह ऐसी चीज है जिसमें उम्मीद है कि अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा तो इससे हमारी आमदनी में काफी इजाफा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जरूरी बातें थीं वह मैंने आपके सामने बतला दी हैं और कोई खास बात नहीं है जो जिक्र करने से रह गई हो। बहरहाल अगर कोई बात रह गयी हो तो वह बाद में अर्ज कर दूंगा, इन अल्फाज के साथ मैं यह मांग आपके सामने रखता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह साल भर के त्योहारों में से होली का त्योहार आता है उसी तरह से सब अनुदानों में से जब यह अनुदान हमारे सामने आता है तो हम लोग जौली मूड में आ जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने आज जो पालिसी इस सरकार की होगी और उस पर रोशनी डाली उससे यह साफ मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में भी प्राहिबिशन की जो पालिसी अख्तियार की गई है वह बिल्कुल फेल हो गई है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी बड़ी हिम्मत के साथ और यह हुकूमत बड़ी हिम्मत के साथ यह ऐलान कर देती है कि अगर प्रहीबीशन की पालिसी फेल हो

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

और हम उसको बन्द कर देते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक कि हम चारों तरफ से जनता को समझा बुझाकर इस स्टेट पर न पहुंचा दें कि वह उसे खुद छोड़ दे, तब तक इस प्राहीबीशन की पालिसी को वह खत्म कर देते हैं। हमारे सी० पी० में अभी हाल ही में एक कमेटी गवर्नमेंट की बैठी तो उस कमेटी में एक राय का इजहार हुआ कि वहां की पालिसी ठीक नहीं है। जब कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला...

श्री सैय्यद अली जहीर—कौन सी कमेटी के बारे में आपने कहा ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—सी० पी० की कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला उसमें भी प्रहीबीशन की पालिसी की कोई चर्चा नहीं थी ? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर डाक्टर देशमुख साहब हैं उन्होंने भी इसके लिये बतलाया है कि हमारी पालिसी बिल्कुल नाकामयाब रही है और इससे कोई फायदा मुल्क को नहीं रहा। चारों तरफ से यही कहा गया और हमारे कांग्रेस के हाई कमांडर एक सदस्य ने भी कहा कि यह पालिसी ठीक नहीं रही। मैं समझता हूं कि जब इस देश के अन्दर फाइव ईयर प्लान चल रहा और इस वक्त यह हमारी पालिसी नाकामयाब हो गई है तो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर आप इसका कारण देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने केवल जो ११ जिलों के अन्दर प्राहीबीशन कायम किया है, उसी से यह नाकामयाब रही। अध्यक्ष महोदय, दो चीजें, मोहब्बत और शराब ऐसी हैं कि जितनी इनको दबाने की कोशिश की जाय उतनी ज्यादा वह उभड़ती जाती हैं। मेरे अगल बगल के मित्र इसकी ताईद करेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे और इसके लिये कंट्रोल हुआ तो इस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। मैं समझता हूं कि जहां ११ जिलों में आपने यह प्राहीबीशन की स्कीम को लागू किया है वहीं नाजायज तौर पर सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है। आप यहीं पर देख लीजिये कि कानपुर में प्राहीबीशन है लेकिन लखनऊ में नहीं है। लोग कानपुर से लखनऊ आते हैं और यहां पी जाते हैं, फिर कानपुर वापस चले जाते हैं। यह तो आपकी प्राहीबीशन की पालिसी है। आपको प्राहीबीशन की पालिसी सारे प्रान्त में करना चाहिये। जैसे चीनी का कंट्रोल था उस जमाने में जितना लोग चाहते थे, उतना ब्लैक मार्केट से ले सकते थे। इसलिये अगर आप सारे प्रान्त में प्राहीबीशन करेंगे तो वह एक जिले से दूसरे जिले में शराब पीने के लिये न जा सकेंगे। इसलिए वह सारे प्रान्त में लागू की जाय तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि लोग शराब पीना बन्द कर दें, लेकिन सिर्फ महात्मा जी कह गये कि प्रोवीहीशन होना चाहिये, इसलिये आप इसे कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। महात्मा जी कह गये थे कि अगर शराब की जगह हम नीरा रख दें, तो वह ठीक होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे असेम्बली चेम्बर के सामने अन्नपूर्णा कैफटेरिया खुलने वाला है, उसमें भी अगर नीरा दी जाय, तो हम ऐसी आशा करते हैं, कि सब माननीय सदस्य वहां पीने के लिये जायेंगे। शराबबन्दी के बारे में अभी गवर्नमेंट को फैसला करना है जो इस वक्त का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जरिये से प्राहीबीशन की पालिसी कभी भी हम कामयाब नहीं कर सकते हैं बल्कि इससे हमको करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। नैनीताल में खाटिमा और सितारा दो जगहें हैं जहां थारू लोग रहते हैं, उनको शराब बनाने के लिये लाईसेंस के बजाय परमिट दिया जाता है। वह एक पीपा शराब बनाने का परमिट लेते हैं लेकिन उससे वह चार-चार पीपा बनाकर बेचते हैं। वहां के लोगों ने इसको बन्द कराने की बड़ी कोशिश की और हमारे नारायणदत्त जी के पास एक हजार आदमियों का रेप्रिजेंटेशन आया कि पर्मिट सिस्टम बन्द करा दिया जाय, ताकि स्टेट की आमदनी बढ़े, लेकिन सरकार उसकी तरफ देखती नहीं है।

यही कह देना काफी नहीं होगा कि जब समय आयेगा तब हम जनता को समझायेंगे। जनता को समझाने के लिये हमने किया ही क्या ? हमारे इलाके में एक विल्सन साहब हैं। उन्होंने अच्छे-अच्छे गाने तैयार किये हैं और वे रात-दिन यही सुनाया करते हैं कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो, शराब मत पियो। उनको केवल ८ रुपये तनख्वाह के मिलते हैं और जिस जलसे में कहिये वहीं पहुंच जाते हैं। वे स्कूलों में चले जाते

हैं और बच्चों के कान पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब दशा यह है कि जब बच्चे देखते हैं कि बिल्सन साहब आ गये हैं, तो जो बीड़ी नहीं पीते हैं वे भी बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं और उनका मजाक उड़ा देते हैं। इस सम्बन्ध में न कोई प्रचार हुआ है और न कोई उत्साह ही दिखाया गया है। यदि प्रचार किया जाय और लोग शराब न पियें तो खुशी की बात है और हम सब मिल करके इस काम को करने के लिये तैयार हैं। और हम समझते हैं कि हमें काफी इसमें कामयाबी हो सकती है। फिर देखना है कि शराबबन्दी कहां की गयी? हरद्वार में शराबबन्दी की गयी, अब शायद वृन्दाबन में भी शराबबन्दी करने का इरादा हो, लेकिन मुझे एक शैर याद आ रहा है—

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता जहां पर खुदा न हो।

इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो भी पालिसी इस सम्बन्ध में रही है, वह ग़लत रही है। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी को आज ही के दिन वर्ड आफ आनर मिला है। यह सम्मान केवल उनका ही नहीं बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य का है। चीफ स्टूअर्ट आफ ह्यूमन फैलोशिप, यू० एस० ए०, को इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ दि वर्ल्ड पीस क्रसेडर्स ने सम्मान देकर अपना मेम्बर बना लिया है। ये दोनों क्या बलायें हैं यह भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हां इस आर्गेनाइजेशन के वे मेम्बर हुये हैं और और पहले भारतीय हैं इसलिये यह सम्मान केवल उनका नहीं है बल्कि इस सम्मानित सदन के हर माननीय सदस्य का है। मुझे उम्मीद है कि अगले बजट के आने तक कोई हवाई होनोलूलू से भी सम्मान आ जायेगा जिससे सबका बड़ा सम्मान होगा।

जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े मेरे पास बहुत हैं। मैं किताब नहीं लाया हूं लेकिन मुझे सब आंकड़े याद हैं। आंकड़ों के सम्बन्ध में हमारे माननीय गृह मंत्री जी की यह राय है कि "लाइज, डैम लाइज ऐण्ड बेन स्टैटिस्टिक्स।" तो मैं इन डैम लाइज के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। उम्मीद की जा रही है कि आमदनी कम होगी पैरसाल भी उम्मीद की गई थी कि आमदनी कम होगी लेकिन आमदनी बढ़ गई। हमारी सरकार ने कम आमदनी इसलिये लगाई है चूंकि हाफ रेट सिनेमा चल रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक दो चीजें और बतलाना चाहता हूं। यह इल्लिसिट डिस्टिलेशन जैसा मैंने बताया गांवों के अन्दर बहुत चल रहा है और काटेज इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है जिससे और इंडस्ट्रीज खत्म होने जा रही हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपनी यादगार के लिये भी कुछ करना चाहिये। रम का नाम बदल देना चाहिये और उसके बजाय जहीर रम रख देना चाहिये। कहीं काटेज इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर साहब न शिकायत करने लगें, इसलिये मैं समझता हूं कि ठर्रा का नाम हुक्म ठर्रा रखा जाय। हमारे बहुत से नारायण हैं जैसे राजनारायण जी, नारायण दत्त जी, रामनारायण जी, कहीं ये लोग न बिगड़ जायं, इसलिये मेरी राय है कि "जिन" का नाम राजनारायण "जिन" रखा जाय। इसमें सब नारायण कवर हो जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि हमारी पार्टी यह चाहती है कि प्रोहीबीशन अवश्य हो, लेकिन अगर प्रोहीबीशन स्कीम को हम ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम इस स्कीम को चालू रखें शराब और जिलों में भी खुल जाएं और बने, ताकि इतनी ज्यादा शराब बनने लगे कि लोग परेशान हो करके स्वयं शराब पीना बन्द कर दें।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, इस आबकारी के मसले के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो अभी तहरीर भवन के सामने की सबने उसे गौर से सुना, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने जो सूरतेहाल थी उसको साफ-साफ हाउस के सामने रख दिया। मैं यह भी जानता हूं कि उनको कुछ दिक्कतें हैं और इस से ज्यादा साफ शायद वह कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन फिर भी हमने उनकी तकरीर से यह नतीजा निकाल लिया कि प्रोहीबीशन इस सूबे में अब तक कैसे चला और इसके क्या क्यूरक्स

[श्री सुल्तान आलम खां]

हैं और इसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद हो सकती है । मैं आपके से साफ तौर पर कह सकता हूं और म जाती तौर पर यह पसन्द करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्रोहीबीशन एक अच्छी है । अगर मुमकिन हो सके तो प्रोहीबीशन को ट्राई करें और इसको कामियाब बनायें । लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा यह भी अकीदा है कि प्रोहीबीशन फेल हो चुका, प्रोहीबीशन में कामयाबी होने की कोई उम्मीद नहीं । प्रोहीबीशन को फिर चलाना बिल्कुल एक ऐसी चीज होगी जैसे कि एक आजमाई हुई चीज को दोबारा आजमाया जाय, और उसके ऊपर वक्त और रुपया सर्फ किया जाय । जनाब वाला, आज से नहीं चार साल पहले से यह मसला इस हाउस के सामने आता रहा । मुझे यह भी याद है कि मौजूदा माननीय मंत्री की खिदमत में भी हम लोग कुछ कहते रहे और इससे पहले उनके जो प्रेडेसेसर थे, इस हाउस में उनके सामने भी यह पेश किया जाता रहा । कई मर्तबा यह बात सामने आयी कि जो प्रोहीबीशन हो रहा है जिसके मातहत हमारी आमदनी बराबर घटी है उसका हमें पूरा अचीवमेंट नहीं मिलता, यह सही है कि इस सूबे की जमींदारी खत्म हो चुकी है और जमींदारी खत्म होने के पहले रेवेन्यू छोड़ने के बाद सबसे बड़ा आइटम जो था वह प्राविन्शियल एक्साइज का था और वह आमदनी अब रफता २ कम हो रही है । काश यह आमदनी कम हो जाती और आमदनी कम होने के बाद प्रोहीबीशन के सिलसिले में हम कुछ अचीवमेंट करते तो शायद हम इसे पसन्द करते कि ऐसा किया जाय । चूंकि मैं इस बात को मानता हूं कि सोशल वेलफेयर के कामों में शराब बन्दी का काम सब से पहले है इससे मुल्क के लोगों को एकोनामी और सेहत को नफा पहुंचता है, इसलिये आया हम इसको कामियाब बनाते रहे लेकिन तजुर्बे ने यह चीज बतलायी कि यह नामुमकिन और इमप्रैक्टिकेबिल है । तब कम से कम अभी इस स्टेज में हमारा मुल्क नहीं पहुंचा है कि हम इस को कामियाबी से चलायें । मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी ने एक आइडियल हमारे सामने रखा और मैं उसके सामने सर झुकाता हूं । मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े आइडियल के इन्सान थे और वाकई उन्होंने हमारे सामने बहुत से आइडियल छोड़े लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज तक हम लोग जो इस वक्त उनके पैरों हैं कितने उन आइडियल्स को कामियाबी से चला सके हैं । बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आयीं जो महात्मा जी की आडियल्स थीं उनको हम नहीं चला सके । हमें अपनी गलती का एतराफ करना पड़ा और हमने उसको वापिस लिया । इस तरीके पर मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट के सामने कई मर्तबा यह तजवीज रखी गई कि हम करोड़ों रुपये की आमदनी को फोरगो कर रहे हैं उसके बदले में हमें अचीवमेंट कुछ नहीं मिलता । मैं आज यह देख रहा हूं कि गांवों में हर जगह शराब की भठ्ठियां कायम हैं । और नाजायज शराब खीची जाती है । लोग नाजायज शराब इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है, मैं समझता हूं कि यह कोई अचीवमेंट नहीं हुआ । गवर्नमेंट से दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि वह कोई ऐसा कानून बनाये कि इस सिलसिले में ज्यादा पनिशमेंट बढ़ा दिये जायं । क्योंकि जब सजा ज्यादा होती है तो जुर्म कम होता है और जब सजा कम होती है तो जुर्म ज्यादा होता है । एक मुसीबत यह भी है कि जो लोग चोरी और डकैती करते हैं उनके खिलाफ लोग शहादत देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन एक्साइज के जो मुलजिम होते हैं उन्हें इन्नोसेंट मुलजिम बनाकर लोग उनको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर इसे इस काम से बन्द किया गया तो यह चोरी और डकैती करना शुरू करेगा । यह छोटा सा जुर्म है, इसमें कोई हर्ज नहीं है । इसलिये अगर सजा मैक्सिमम एक साल के बजाय सात साल या दस साल कर दी जाय तो मुझे यकीन है कि इसमें किसी हद तक कमी हो सकती है ।

बारम्बार यह तजवीज गवर्नमेंट के सामने आई लेकिन उसने पता नहीं किस मसलहत से इस वक्त को नहीं माना इससे पहले जो मिनिस्टर इन चार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा बिल लायेंगे जिससे एक्साइज ऐक्ट को तरमीम करें लेकिन आज तक वह बिल नहीं आया । दूसरी बात यह है कि इसे चलाने के लिये कुछ प्रोपेगण्डा भी नहीं किया गया है और

रिवार्डस भी बहुत कम रखे गये हैं। इसके अलावा हमारी प्रोपेगण्डा की मशीन भी बिलकुल गलत है। मैंने आज तक कहीं भी यह नहीं देखा कि उस मशीन ने सही काम किया हो। हमारे सूबे में सिर्फ ११ जिलों में जो प्राहीबीशन है तो इसलिये प्राहीबीशन चलना नामुमकिन है जब कि यह और दूसरे अजला में भी न हो। अगर इसमें डेटेरेंट सजा रखी जाती और इनामात अधिक रखे जाते और प्रोपेगण्डा ठीक तरह से होता तो यह बहुत कुछ कामयाब हो सकता था। मैं समझता हूं कि अगर दिन का भूला हुआ रात को आ जावे तो उसे भूला हुआ नहीं समझना चाहिये। आज हमें डेवलपमेंट के लिये रुपये की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि हम इस चीज पर गौर करें। या तो गवर्नमेंट खुद फैसला करे या एक कमेटी बनावे जो इस बात पर गौर करे कि वाकई अब प्राहीबीशन की जरूरत नहीं है। अगर हम प्राहीबीशन वापस ले लें तो प्लांनिंग और डेवलपमेंट के लिये बहुत सा रुपया मिल सकता है।

श्री गंगा धर शर्मा (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के सिलसिले में जो अनुदान आपके सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर विभिन्न प्रकार से विचार किया जा सकता है और किया गया है। माननीय मंत्री जी महोदय ने कहा कि किन-किन परिस्थितियों के कारण मद्यनिषेध को वे पूर्णतया अपने प्रान्त में नहीं लागू कर रहे हैं। दूसरे सूबों की बात क्वोट करके वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मद्यनिषेध का करना हमारे लिये कोई लाजमी चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चीज वास्तव में खराब है तो चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी उसे अच्छा और सही सिद्ध करना चाहे वह सही नहीं हो सकती है। आज यदि मद्यनिषेध पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है तो उसके कारण ढूंढने चाहिये जब हममें से ही लोग उसके विपक्ष में हैं तो फिर उसकी सफलता कहां? एक मनुष्य एक डिग्री गिरता है, दूसरा २ डिग्री और तीसरा तीन डिग्री। आज दिल्ली से लेकर एक गांव की छोटी झोंपड़ी तक कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू के शिकार नहीं हैं। उनके और उनके बच्चों के दिल जल रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि यह कह सके कि बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू भी मादक वस्तु सूची में रक्खी जावें और उनके खिलाफ भी वैसा ही जिहाद बोला जाय जैसे शराब के लिये कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद उसमें गर्क हैं तो कैसे उसे अलग करने के लिये दूसरों से कह सकते हैं, यह कारण है जिसकी वजह से मद्यनिषेध सफल नहीं हो पाता। यदि वास्तव में हम डिटरमिनेशन से उस पर जुट जावें तो कोई वजह नहीं है कि मद्यनिषेध प्रान्त में सफल न हो। हमें यह नहीं कहना चाहिये कि हाय हमारी सरकार की आमदनी कम होती जाती है हम कैसे इसे छोड़ें। जब हम खुद इसमें गर्क हैं तो कैसे उसे छोड़ें? यदि आमदनी ही बढ़ानी है तो और तरीकों में चोरी डकैती से भी आमदनी हो सकती है। इनसे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है तो क्या यह उचित होगा मैं तो कहूंगा कि जितनी खराबी पैदा करने वाली चीजें हैं उनको आप कभी भी आय के लोभ से प्रोत्साहन न दें। यदि अभी तक मद्यनिषेध से कोई विशेष फल नहीं मिला है तो उसके मानी यह नहीं कि मद्यनिषेध की बात ही छोड़ दी जाय। कतई नहीं। यह पूरे तरीके से लागू किया जाय और सारे सूबे में लागू किया जाय तो आप देखेंगे कि चाहे आसाम हो, चाहे पंजाब हो और चाहे कोई और सूबा हो सब मात हो जायेंगे और आपके सूबे में शराब बन्दी अच्छी तरीके से हो सकेगी। आज आप करते कुछ नहीं हैं और बातें करते हैं कि शराब बन्दी सफल हुई नहीं और महात्मा गांधी की बात चली नहीं। यह तो सब बातें मैं बहाने की समझता हूं। यदि शराब बन्दी करना है तो आप शराब की दूकानें कतई नीलाम न करें, शराब सरकारी दूकानों पर कमीशन के तौर पर बेंचने का अधिकार हो। उनपर जो आदमी शराब लेने जावें उनके नाम नोट किये जावें और जो शराब पीते हैं उनको लायसेंस दिया जावे। अगर इस तरह से हो तो आप देखेंगे कि पांच सात साल में कितना परिवर्तन हो जायगा। करते कुछ नहीं हैं इधर उधर की बातें बनाकर इस प्रश्न को टालते हैं कि शराबबन्दी को करें या न करें।

[श्री गंगाधर शर्मा]

शराब बन्दी के साथ-साथ मैं यह बात भी रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराब के लिये कहा जाता है उसी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट वगैरह मादक चीजें हैं। फिर भी फिल्मों की ही भांति देखिये शहरों में बड़ा प्रोपेगेण्डा उसका होता है और ऐसे ऐसे नाच स्वांग देखाये जाते हैं जिससे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे बीड़ी, सिगरट पीने लगे। दो-दो और तीन तीन साल के बच्चों का हृदय जलता चला जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिये मैं कहता हूं कि शराब बन्दी के साथ-साथ इन सारी बातों को भी दिमाग में रखना है जिनके लिये मैंने अभी आपके सामने अपने विचार रखे हैं। यदि आप इनको ले लें और हमारी सरकार और हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर डिटरमिन्ड हो जायं कि यह सब दूर हो जायेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ही इसका श्रेय मिलेगा कि आपके सूबे में ही सबसे पहले सच्ची शराबबन्दी हुई।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो इस समय सदन के सामने उपस्थित है मैं इसके समर्थन के हेतु उपस्थित हुआ हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा था कि यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बजट भी पेश कर रहा है। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि सबसे बड़े सूबे का सबसे सुन्दर कार्य है जिसको हमारे न्याय मंत्री जी कर रहे हैं। आज जब कि बिहार पंजाब वगैरह में कहीं भी शराबबन्दी नहीं चल रही है यह श्रेय हमारे प्रान्त को ही है कि वह अपने यहां शराबबन्दी कर रहा है। हमारे यहां, राम, कृष्ण और भगवान बुद्ध जैसे लोग पैदा हुये उसी तरह से इसी देश की मिट्टी में महात्मा गांधी भी पैदा हुये और हम उनके कदमों पर चलने के लिये तैयार हैं। हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि आजकल लोग होली में मस्त हैं और शराब का नशा है। उनको इसका नशा हो सकता है। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि शराब ने क्या-क्या किया है। शराब के कारण महाभारत इस देश में हुआ। उसी के कारण मीरजाफर और मीरकासिम ने यह देश अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया और इसी लखनऊ में इसी के कारण हमारे नवाब साहबान गिरफ्तार कर लिये गये। यही कारण है कि शराब का पीना हर धर्म के लोगों ने मना किया है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो और चाहे ईसाई हो। मैं माननीय सुल्तान आलम साहब से कहना चाहता हूं कि चन्द रुपयों के लिये हम अपने आदर्शों से हटने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे कितना ही नुकसान हमारा क्यों न हो। हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो या न हो लेकिन शराब को हम टालरेट नहीं कर सकते। हमारी खूबी तो तभी है जब हम शराब बन्दी भी करें और पंचवर्षीय योजना को भी सफल बनावें। यह शराब बड़ा अभिशाप है। बड़े बड़े पाप यह करवाता है। हमारी बहू, बेटियां और बच्चे जो गरीब हैं उनके आदमी दिन भर कमाते हैं और शाम को भट्टी खाने में जाकर दिन भर की सारी कमायी दे आते हैं और उनके बच्चों को खाने तक को नहीं रहता। मैंने देखा है कि इक्के और रिक्शे वाले दिन भर काम करते हैं और शाम को शराब पी लेते हैं और घर पर जाकर अपनी स्त्री को डंडे मारते हैं और जाड़े तथा गर्मियों में बिला खाना खाये यों ही पड़ रहते हैं।

गांजे के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में गांजा उगता है जो नैपाल के आस पास है। वहां से गरीब लोग चालबाजी करके लोटा वगैरह में भरकर गांजा ले आते हैं और उसे फिर बेंचते हैं। जैसा अभी यहां पर कहा गया है कि एक करोड़ का घाटा आया यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं और बहुत लोग छिपाकर भी यह काम करते हैं, जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि लोग कानपुर से लखनऊ आकर शराब पीते हैं। यह तो रुचि का सवाल है और हैबिट की बात है और यह आदत धीरे-धीरे दूर होगी। कोई बच्चा अगर बीड़ी पीता है तो उसकी आदत को बाई एंड बाई दूर की जा सकती है। हमारे गांधी जी ने कहा था कि हमने भी एक मर्तबा सिगरेट पी थी। लेकिन बाद में ज्ञान हो जाने पर हमने उसको छोड़ दिया। इस तरह से धीरे-धीरे आदत

दूर को जा सकती है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमें अमल करना है। हमारे बहुत से सदस्यों ने सपोर्ट किया कि इसका प्रावीजन नहीं होना चाहिये लेकिन मैं कहता हूं कि जरूर होना चाहिये। हमारे देश के लिये यह एक आदर्श होगा क्योंकि भारतवर्ष सदैव संसार का गुरू रहा है और हमेशा रहेगा और सबको इससे प्रकाश मिलेगा। भारतियों ने कदम उठाया, इसको सब लोग कहेंगे और इसका श्रेय माननीय मंत्री जी को मिलेगा अगर वह सफल हो गये।

पंडित लोग आज मंदिरों में बैठकर भंग घोटते हैं। बनारस के गंगा के पवित्र तट पर यह पंडित लोग भंग घोटते हैं। मैं कहूंगा कि इस पर भी सख्त प्रतिबन्ध होना चाहिये। जैस कि इस सदस्य ने कहा कि बहुत सख्त कानून बनाया जाय और उसमें कम सजा या कम जुरमाना न रखा जाय और कोई किसी किस्म की रिआयत न होनी चाहिये। सरकार को इस ओर अपना विशेष कदम उठाना चाहिये और इसमें काफी पैसा खर्च करना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा कि मद्यनिषेध के बारे में कुछ काम नहीं हो रहा है। यह कैसे कहते हैं कि नहीं हो रहा है। यह बिजली का बटन नहीं है कि दबाया और लाइट हो गई। बिगड़ी हुई चीज को बनाना है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विचार पर अटल रहे और देश का इसी में कल्याण है और हमारे गांधी जी ने जो आशा और कल्पना की थी रामराज्य की वह इससे पूर्ति होगी, अगर हमने मद्य-निषेध को पूरा कर दिया।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद और अपने निजी तजुर्बों से भी हम इस नतीजे पर अवश्य पहुंचे कि जब से हमने नशेबन्दी की नीति चलाई तभी से हमारी आमदनी घट गई और जिस सिद्धांत और भावना को लेकर हमने नशाबन्दी शुरू की थी उसमें भी हम सफल नहीं हुये। उसके कारण यह थे कि हमने केवल सद्भावना और जज़बात से काम लिया और उन कारणों को जिनसे मनुष्य यह जानता है कि शराब पीना नाजायज है और यह भी जानते हुये कि इसमें रुपया खर्च होता है और शरीर का नाश होता है फिर भी शराब पीता है, मालूम करने की कोशिश नहीं की और न उनको दूर करने की ही कोशिश की। यही कारण है कि हम नाकामयाब हुये।

जैसा कि हमें तजुर्बे से मालूम होता है और देखते भी हैं कि ज्यादातर वही लोग शराब पीते हैं जो मैनुअल लेबर करते हैं यानी ज्यादा मशक्कत का काम करते हैं, जैसे भंगी, धोबी वगैरा। हां कुछ एक्सेप्शन्स जरूर हैं जैसे कुछ बड़े-बड़े वकील भी शराब पीते हैं क्योंकि बिना शराब पिये उनका दिमाग काम नहीं करता है। शेख सादी हुये हैं वह भी शराब पीते थे क्योंकि उनका भी बिना शराब पिये काम नहीं चलता था। लेकिन यह तय है कि ज्यादातर शराब ज्यादा मशक्कत करने वाले लोग ही पीते हैं। वह अपने गम को दूर करने के लिये शराब पीते हैं क्योंकि और कोई रिलेक्सेशन और मनोरंजन उनके पास नहीं होता है। वह शराब अपनी तकलीफ को भुलाने के लिये पीते हैं।

अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि श्री कुमारप्पा खानों में गये थे वहां पर उन्होंने मजदूरों की हालत को देखा। वहां पर उनके खान के मालिक ने पूछा कि आपने देखा अब आप कोई अपना सुझाव दीजिये। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो यह चाहता हूं कि शराब की दूकानें खुलवा दीजिये। मालिक ने पूछा कि आप तो महात्मा गांधी को मानने वाले हैं आप ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप उनसे काम लेते हैं और मजदूरी देते हैं लेकिन उनके मनोरंजन के लिये दो घंटे भी नहीं देते तो कम से कम शराब ही शुरू करा दीजिये जिससे २ घंटे उनको रिलेक्सेशन के लिये मिल जायं। मेरा कहना यह है कि जब तक रिलेक्शन के

[श्री केशव गुप्त]

दूसरे जराय नहीं निकालेंगे, मैनुअल लेबर की थकन को दूर नहीं करेंगे, उनके गम को गलत करने के लिये कोई मनोरंजन के साधन नहीं निकालेंगे तब तक आप यह चाहें कि नशा करना एक सस्ता से नुस्खा, जो उनके पास है, जिससे वह गम गलत करते हैं, उसे बन्द कर दें, इसमें आप असफल रहेंगे, अब भी असफल रहे और आगे भी रहेंगे। नशाबन्दी करने के पहले आपको चाहिये कि आप उनके लिये मनोरंजन के साधन का प्रबन्ध कर दें जो सुखप्रद हों, जिससे शरीर तन्दुरुस्त हो और उनका गम गलत हो सके। इस बात की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। वर्ना आप तमाम सूबे में नशाबन्दी कर दें, तमाम भारत में कर दें जब तक गरीबी है, जब तक यह हालत है जब तक कुछ लोग मशक्कत से काम करते हैं और कुछ लोग ऐश आराम से जिन्दगी व्यतीत करते हैं उस वक्त तक आप इस शराबबन्दी को, इस सोशल ईविल को कानून के जरिये से दूर करना चाहें तो उसमें आप हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। ये चीजें रहेंगी और किसी न किसी रूप में रहेंगी। कानून लाइयेगा तो दूसरे जरिये निकल आयेंगे जैसे आपने कहा कानपुर में बन्दी कर दी तो कानपुर के नजदीक दूसरी जगहों पर जा कर पी लेते हैं। अमेरिका वालों ने भी यह कैद लगाई तो लोग समुद्र में तीन मील दूर जा कर लंगड़ डाल देते थे और वहां जा कर पी लेते थे। इसलिये मुझे यही निवेदन करना है कि पहले कारणों को मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये। पहले भी मैंने यही कहा था कि आप एक डकैत को सजा दीजिये लेकिन पहले यह भी मालूम कर लीजिये कि डकैती डालने के कारण क्या हैं, उसने समाज के अन्दर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। उन कारणों के लिये समाज जिम्मेदार है। लेकिन समाज को आप सजा नहीं देते महज डकैत को सजा दे देते हैं। और उसके घर वालों को सजा दे देते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पहले आप कारणों को मालूम करने की कोशिश कीजिये। ऐसे मनोरंजन के साधन जुटाइये जिससे वे अपने आप इन चीजों को छोड़ दें। वे जानते हैं कि शराब नाजायज है, वे जानते हैं कि इससे हमारी तन्दुरुस्ती खराब होती है लेकिन उनके पास साधन नहीं है इसलिये शराब पीने के लिये मजबूर हो जाते हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस वक्त तक आप जब तक साधन न जुटा सकें तब तक उनको शराब ही पीने दीजिये। मुझे वही शेर याद आता है जो शेर श्री मदन मोहन उपाध्याय जी को याद आया था कि जब तक आप दूसरे साधन नहीं ढूंढते तब तक---

"न पीना हराम है न पिलाना हराम है ,
पीने के बाद होश में आना हराम है।"

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आबकारी मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बावजूद इसके कि सरकार की जो पालिसी है मद्यनिषेध की आबकारी मंत्री जी ने जो सही हालात हैं उनको सदन के सामने लाने की कोशिश की। मैं इसमें उनके साथ हूं कि जो हालात उन्होंने बतलाये वे सही हैं। जहां तक शराब पीने का संबंध है माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुन कर ऐसा लगता है कि उन्होंने माननीय मदन मोहन जी को गलत समझा कि वह शराब पीने के पक्ष में हैं और वह नशाबन्दी की मुखालिफत कर रहे हैं और गवर्नमेंट शराब पीने वालों को मौका दे। वे ऐसा चाहते हैं। यह सही बात नहीं है। सही बात तो यह है कि शराब पीने वाले तो पियेंगे ही किसी भी हालत में बन्द नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में दो पाप उनसे क्यों कराये जायं। एक पाप तो शराब पीना है और दूसरा पाप यह कि वह लुक छिप कर घर वालों से और दोस्त अहबाबों से शराब पियें। और झूठ बोलें। अगर पीना ही है तो खुल कर पियें ताकि समाज समझ सके कि ये शराब पीते हैं और समाज को उनके बारे में गलतफहमी न रहे। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो कुछ भी माननीय आबकारी मंत्री जी ने कहा बहुत सही कहा है और इस रास्ते पर हमको चलना चाहिये। महात्मा जी हमेशा इस बात के मुखालिफ थे कि कोई पाखंड

करे। महात्मा जी बाहर और भीतर दोनों एक समान के पक्षपाती थे और अगर बाहर भीतर एक समान नहीं है तो ऐसी हालत में सही हालत सब लोग जान सकें इसमें कोई शर्म हमको नहीं आनी चाहिये।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मद्रास की तुलना हमारे सामने की गयी। लेकिन मैं इस संबंध में थोड़ा सचेत सरकार को करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां लोग शराब कम पीने वाले होंगे वहां पर इस हुकूमत के लिये कम हमदर्दी होगी। जो कांग्रेस की हुकूमत वहां है उसके लिये मद्रास के लोगों में हमदर्दी कम है और कुछ ऐसा लगता है कि मद्रास की हुकूमत ने शराब बंदी की, इसलिये १७ करोड़ का नुक्सान भी मद्रास सरकार ने उठाया और मुमकिन है कुछ लोगों को पीछे खयाल आया हो और उस खयाल के आने का नतीजा यह हुआ हो कि उन्होंने कांग्रेस को कम वोट दिये और वहां पर मुश्किल से कांग्रेस की हुकूमत बन पायी। तो अगर यह डर हो कि न पिलाने से कांग्रेस के लिये मुसीबत पैदा हो जायगी तब तो उसके लिये दूसरी पालिसी चलनी चाहिये। लेकिन मैं इसको उस रोशनी में नहीं लेता हूं। मैं यही कहता हूं कि अगर सही में लोग शराब पीना चाहते हैं तो उसके रोकने का दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय और वह तरीका यह है कि मौजूदा पीढ़ी जो शराब पीती है उस पीढ़ी को तो हम रोक नहीं सकते। इसलिये जितने मंहगे से मंहगे दाम हम शराब के उनसे ले सकते हैं वह लें और आगे के लिये हम यह तरीका अपनायें कि जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी को शराब पीने से बचायें ताकि वह स्वयं सोचने लगे कि हमको शराब नहीं पीना चाहिये। ऐसा करने से वास्तव में सरकार का काम बहुत हल्का हो जाता है। इसमें मैं कोई धार्मिक या और ऐसी कठोर बात नहीं समझता। यह नहीं होना चाहिये कि एक शान में हम चले जायं और वस्तुस्थिति से आंख मूंद लें।

एक बात इस संबंध में मैं शिकायत के तौर पर माननीय आबकारी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने शीरे और पावर अलकोहल जैसी चीजों पर इतनी कम रोशनी डाली है कि वह मुनासिब नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी आमदनी शीरे से हमारे प्रदेश को हो सकती है और शुगर इंडस्ट्री जिस हालत में हमारे यहां है, जो मुसीबत हुकूमत के सामने भी आया करती है चीनी और गन्ने की पैदावार के सिलसिले में उसका एक इलाज यह है कि जो शुगर फैक्टरियों हैं उनमें बाई प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जाय और उस बाई प्राडक्ट्स में सबसे बड़ी चीज है शीरा। शीरे की पालिसी पिछले जमाने में बहुत ही स्कैंडल्स रही है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं वक्त नहीं है कि उनकी खिदमत में कुछ ज्यादा अर्ज कर सकूं लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि वह इस संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि इस शीरे से क्या-क्या चीजें बनायी जा सकती हैं। शीरे से स्प्रिट बनायी जा सकती है, पावर अल्कोहल बनाया जा सकता है और जो पहले से एक टार्गेट मुकर्रर हुआ है कि इतना पावर अल्कोहल हम बना सकेंगे इस प्रदेश में उसको पूरा करने की कोशिश करें। अभी जो सेमिनार लखनऊ में हुआ था, मेरे सामने वे फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक पैनेल बनाया था सन् १९४६ में। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो इस समय मेरे पास मौजूद है। इन तमाम चीजों को देखकर कोई ठोस नीति शीरे के संबंध में बनानी चाहिये जो हमारे सूबे की एक बड़ी भारी सम्पत्ति हो सकती है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं।

रही एक बात शराब बन्दी के सिलसिले में। उसके बारे में तो हम यह समझते हैं कि अगर हमने पूरे सूबे में इस पालिसी को लागू कर दिया कि हम प्रोहिबिशन करेंगे तो उस हालत में जिस तरह से मद्रास में कार्टेज इंडस्ट्री चलती है उसी तरह से इस सूबे में भी चालू हो जायगी। क्योंकि हमारे गुड़ की खपत सबसे अधिक अगर

[श्री गेंदा सिंह]

कहीं है तो वह है मद्रास में और बम्बई की तरफ और इन दोनों प्रांतों में इसलिये है कि वहां पर घर-घर में लोगों ने जिसे डिस्टिलरी कहते हैं वह खोल रखी है। वहां लोग शराब बनाते हैं क्योंकि अन्य कहीं शराब मिलती नहीं है इसलिये वही शराब लेकर काम चलाते हैं। तो वैसी हालत में हम पब्लिक के मारल को और सरकार के भी मारल को खराब करेंगे यदि पूरे प्रदेश में बिना सोचे समझे शराब बन्दी नाम की योजना लागू कर दें। हमको गलत प्रतिष्ठा की भावना में पड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिये और इसी के साथ ही साथ मुकदमें बाजी और दूसरे तरीकों से मुकद्दमें चलाने या सरकार के ऊपर व्यर्थ की परेशानी लेकर नहीं चलना चाहिये। सरकार इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करे और विचार करने के बाद ही उस पर कोई फैसला करे।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय जो बहस इस वक्त हुई उसमें मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात जाहिर किये गये लेकिन एक बात जाहिर है और वह यह कि हर स्टेट की गरज यही होनी चाहिये कि वह प्राहीबिशन यानी मद्यनिषेध की पालिसी पर अमल करे। जाहिर और इसमें कोई शक नहीं कि प्राहीबिशन ऐसी चीज है कि जिसको अगर कोई स्टेट या मुल्क यह चाहे कि २,४ वर्ष में या ५,१० वर्ष में कोई नतायज पूरे तरीके से निकाल लिये जायं और उसमें कामयाबी हो जाय तो यह नहीं होने का। इंसान का नेचर ऐसा होता है कि खासतौर से जब कोई बुरी आदत पड़ जाती है तो उसका छोड़ना दुश्वार हो जाता है। एक जमाना था लोग इसके आदी हो गये थे और आज-बाज ऐसे लोग हैं और ऐसी कौमें भी हैं जिनकी बिरादरी में खास मौकों पर शराब होनी ही चाहिये और अगर उन मौकों पर शराब न पी जाय तो समझा जाता है कि बुरा काम किया। हमारे यहां इस किस्म के ट्रेडीशंस कायम हैं। रात भी एक जगह बाल्मीकियों का जल्सा था जहां यह कोशिश हो रही थी और उनसे यह वायदा कराया जा रहा था कि इस रवाज को बदल दिया जाय। असल चीज यह है कि हमको इसमें किसी न किसी तरह से कामयाबी हासिल करना है और हमारे बीच में जो छोटे आदमी हैं उन लोगों की हालत को बेहतर बनाने के लिये शराब को बंद कराना है सवाल सिर्फ इतना ही है कि यह मकसद कैसे पूरा हो सकता है। मेरे खयाल में यह जब ही पूरा हो सकता है जब कि कम से कम एक जेनरेशन पूरी तरह से इस ऐटमासफियर में ग्रो हो जिसमें इस किस्म की चीज को बुरा समझा जाता हो और जिसमें इस किस्म का कोई टेम्पटेशन न मिला हो। जब कि शराबखाने खुले होते हैं और एक नौजवान इधर से गुजरता है और १००,५० आदमियों को वहां बैठे हुये देखता है तो उसका जी चाहता है कि वहां जायें और वहां जाकर पी कर देखें। जब वह ऐसा करता है तो उसको आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर यह बन्द कर दिया जाय तो ऐटमासफियर बदल जायगा तो नयी जनरेशन ऊपर उठेगी और चोरी से मिले चाहे जिस तरह से मिले या जहरीली चीजों की शक्ल में ही क्यों न मिले, इस तरह वह शराब पीकर अपनी जिन्दगी को बरबाद न करेगा सरकार इस तरह से अपने प्रांत की हालत को बेहतर करना चाहती है लेकिन जैसा कि मैंने कहा वह इस वक्त आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। अभी तक कोई ऐसा ऐफीशियेन्ट तरीका नहीं मिल पाया है। जिससे इस प्राब्लम को साल्व किया जा सके। यह नहीं है कि ऊपर से महज गवर्नमेंट इस चीज को दिखा रही हो और अन्दरूनी तरीके से उसके इस्तेमाल को बढ़ा रही हो। हम ११ जिलों में ऐक्सपेरीमेंट कर रहे हैं और उससे कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारी पालिसी का सवाल है वह वही है जो पेश्तर में थी उसके अलावा दूसरी और कोई पालिसी नहीं है, न होने का कोई सवाल ही है। अगर किसी को यह खयाल हो कि गवर्नमेंट अपनी उस पालिसी को बदलना चाहती है तो मेरे खयाल में उनकी यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिये। लोगों की हालत को सुधारने के लिये इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि वह अपनी

पालिसी को बढ़ाये नीचे जो लेबर क्लास और काश्तकार आदमी हैं, जो इस किस्म के लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी माल हालत अच्छी नहीं है, उनके मयार जिन्दगी को ऊंचा करने के लिये हमें अपनी इस पालिसी को कामयाब बनाना है।

श्री गेंदा सिंह जी ने इसके मुताल्लिक कुछ जिक्र किया। बहरहाल हम लोग जानते हैं कि अपने यहां यह एक बहुत अहम इंडस्ट्री है और अगर उसकी बेहतरी या तरक्की के मुताल्लिक आप कुछ मालूमात जानना चाहेंगे या कुछ तजवीज पेश करेंगे तो उनको अख्तियार है कि जब उनका जी चाहे वे उसके मुताल्लिक अपने खयालात का इजहार करें। और हम लोग इस बात को समझते हैं कि उसकी क्या अहमियत है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री और भी तरक्की करे ताकि हमारे उनमें कोई फर्क न हो। मैं इन अल्फाज के साथ यह अर्ज करूंगा कि यह मांग यह हाउस मंजूर करे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसलिये देते है कि उन्होंने काफी साफ मामले इस सदन के सामने रखे। मैंने तो उनसे भी ज्यादा साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि हमारे इस सूबे में नैपाल से बहुत ज्यादा गांजा आता है जिससे हमारी रेवेन्यू तो कम हुई लेकिन लोग गांजा पीते ही हैं। जहां तक गांजा की बात है माननीय शिवनारायण जी जो नैपाल के बहुत ही करीब रहते हैं क्योंकि बस्ती इलाका ही उनका है, उनको इस चीज का काफी तजुर्बा होगा और जो उन्होंने कहा ठीक ही होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी को शायद यह खयाल हुआ है कि मैं शराब पीता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। म खुश इस बात पर हूं कि मैं बिना शराब पिये ही मस्त रहता हूं। यह तो मैं चाहता नहीं हूं कि लोग शराब पीयें लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि बिलकुल फाल्स प्रेस्टीज की बात किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज आप हमारे प्रांत के जिस रेस्टरां में चले जाइये, जिस होस्टल में चले जाइये, जहां चाहें चले जाइये, हर जगह आर्मी रम की बोतलें मिलेंगी। पल्टन वालों को ये बोतलें बहुत काफी तादाद में मिलती हैं और उन पर कोई ड्युटी नहीं पड़ती और आप पायेंगे कि इस प्रांत में जो लोग शराब जो पीते हैं उसमें आर्मी रम काफी होती हैं। तो सरकार द्वारा प्रोहिबिशन के सिलसिले में जो लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जो स्टाफ रखा गया है कि वे इस काम को रोकें और वे इसे रोक नहीं सकते तो फिर मेरा कहना यह है कि फाल्स प्रेस्टीज में न जाकर जो उसकी जड़ है जिसकी वजह से लोग शराब पीते हैं उसी को बन्द कर दिया जाय। जैसा कि गुप्त जी ने कहा कि लोग शराब इसलिये पीते हैं ताकि हमारा दुःख दूर हो। वे समझते हैं कि अगर हम शराब लें तो हमारा दुःख दूरा हो जायगा और हमारे अमीर लोग इसलिये पीते हैं ताकि वे ऐश करें। तो ये जो दो बीमारियां हैं, एक तो गरीब लोगों को जो दुःख है उसे सरकार दूर करने की कोशिश करे तो उनका शराब पीना बन्द हो सकता है और दूसरे जिनके पास ज्यादा रुपया है जो ऐश में खर्च करते हैं उनसे सरकार रुपया लेले तो सारा मसला हल हो सकता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक जेनरेशन लग जायगा कि लोग इस बात को महसूस करें और इसका पीना बन्द हो जाय। गांधी जी का नाम लेकर माननीय शिवनारायण जी ने एक बड़ा लम्बा चौड़ा लेक्चर दिया है कि ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये। हम सब जानते हैं और बहुत वर्षों से जानते हैं कि ऐसा होना चाहिये। इस हिन्दुस्तान की आजादी की तहरीक में भी हमने पिकेटिंग की है और रानीखेत में शराब की भट्ठी पर जब हम लोग जमीन पर पड़ जाते थे और सत्याग्रह करते थे तो शराब पीने वाले जूता पहने हुये हमारी छातियों पर चढ़ चढ़ कर हमें क्रास करके चले जाते थे। हम धरना देते थे और उनसे कहते थे कि शराब न पियें। आज ३०–३२ वर्ष हो गये लेकिन उसका क्या असर हुआ है? क्या माननीय मंत्री जी कोई जिला भी ऐसा बतला सकते हैं जहां शराब न पी जाती हो?

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मेरी समझ से तो शराब का पीना बढ़ गया है और रेवेन्यू कम होती जा रही है। मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट इस पर विचार करें। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आमदनी के और भी जरिये हो सकते हैं। इसमें कुछ हर्ज नहीं है। और भी जराये हो सकते हैं लेकिन जो हैं उनको क्यों न किया जाय। टीचरों की तनख्वाह के लिये कहा जाता है कि रेवेन्यू नहीं है। अगर भंगी हड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। पटवारियों के लिये पैसा नहीं है। स्कूल टूटे पड़े हुये हैं उनको ग्रांट नहीं दी जाती है। उधर कहा जाता है कि महात्मा गांधी को शांति नहीं मिलेगी जब तक यह मद्यनिषेध न हो जाय। मैं कहता हूं कि हमारे पास खबर आई है उनको शांति नहीं है। वह अशांत हैं। यदि आप उनकी इच्छा के अनुसार करते तो उनको शांति प्राप्त होती लेकिन अब उनको शांति कहा है। आप कोई कार्यक्रम चालू करें तो शांति मिले।

मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सन् १९४१ ई० में चरस गांजा २१,५३३ सेर पिया जाता था और सन् १९५० ५१ में वही ८,८२८ सेर हो गया। जबकि हमारी आबादी बढ़ी तो आप इसका अन्दाजा लगाइये कि हमारी रेवेन्यू कितनी कम हो गयी। भांग की बाबत मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९३९—४० में ८४,४२२ सेर पी गयी थी और वही सन् ५०—५१ में १,५९,००५ सेर बिकी थी तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी वह बढ़ गयी। जहां-जहां पर पैसे में कमी हुयी है वहां पर वह कमी नहीं है वहां पर तो वह रेवेन्यू कम हुई है। इसलिये सरकार की तरफ से जो आंकड़े यहां पर आते हैं उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह के रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां भी एक स्थान है गरुड़। वहां पर अक्सर फौज के लोग जाया करते हैं। वहां पर काफी दुकानें हैं। गांव वाले लोग धीरे-धीरे लोग शराब पीने लगते हैं। जितने मोटर वाले या आसपास के गांवों के लोग वहां पर जो हैं वहां पर आकर पीते हैं। उसके बारे में गवर्नमेंट को लिखा गया कि इसको ऐसी जगह पर रखा जाय जहां पर लोग न पी सकें लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। तो बजाय इसके कि जहां पर लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर बन्द किया गया लेकिन वहां पर बन्द किया गया जहां से फायदा होता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के घरों में भी शराब बनती है और पी जाती है। मगर आज सोसाइटी की दशा बहुत खराब है और उसके लिये कोई ला नहीं हुआ करता है। बात केवल इतनी है कि गरीब आदमी असल में परेशान है उसके लिये ध्यान पूर्वक सोचना है। उनके लिये कोई वेलफेयर फंड होना चाहिये कि कहीं पर दूध पिला दिया जाय या और दूसरा इसी प्रकार का इन्तजाम कर दिया जाय तो यह चीज कम हो सकती है। जितने रुपये का नुकसान हमारे प्रांत को हो रहा है उतना रुपया दूध पिलाने में या मिल्कबार खोल कर आप यह काम करें तो यह चीज हल हो सकती है। मुझे आशा है कि वह इस पर ध्यान देकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर इस बात को कहूंगा कि यह बात नहीं है कि कुछ किये जाने वाला हो या कोई और जिला लिये जाने वाला हो। यह पालिसी १० साल से चल रही है मगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अगर इसको आप बन्द कर दें तो तब कुछ सोचा जायगा इस तरह से नहीं रहेगा। जब देश आर्थिक उन्नति कर लेगा उस समय प्राहिबिशन की बात हो, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिखा है, कांस्टीट्यूशन की आड़ लेकर प्राहिबिशन का नाम लेना कोई ठीक बात नहीं है। शिवनारायण जी को पता नहीं कि बम्बई में हो गया मदरास में हो गया और इस प्रांत में तो अभी ११ जिलों में हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह ईमानदारी से विचार करें और अगर वह समझते हैं कि हम फेल कर गये हैं जैसे बहादुरी के साथ सी०पी० में कहा गया और शंकर देशमुख ने कहा है वह भी साफ कहें और आगे के लिये बतावें कि उनको कौन सी पालिसी चलाना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी गांधी जी की फौज में रहा है उनमें से हर एक चाहेगा कि हमारे यहां शराब बन्दी हो और हमारे यहां शराब

न चले और जब तक यह बन्द न होगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। इस बात को मंत्री महोदय जरा ईमानदारी से सोचें और प्रेस्टीज का कोई खयाल न करें।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो २ मिनट में कह सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—मुझे अब कोई खास बात अध्यक्ष महोदय, कहना नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक गांजे का ताल्लुक है उसके बारे में जो कहा गया वह सही है और मैंने यह तसलीम किया है कि हमारे सूबे में ४० हजार सेर गांजा दुकानों के जरिये बिकता था और उससे हमारी आमदनी ९७ लाख रुपये की होती थी लेकिन ४९-५० में हमारी आमदनी सिर्फ ४७ लाख रुपये रह गई और बजाय ४० हजार सेर के बस हजार सेर गांजा हमारे यहां बिका इसकी वजह जैसा कि मैंने बताया, एक तो यह थी कि हमारी दूकानों से जैसा गांजा निकलता है वह अच्छा नहीं समझा जाता, हमने वह बलूचर और अहमदनगर से मंगाना चाहा लेकिन वह पापुलर नहीं हुआ, और उसकी बिक्री घट गई, दूसरी वजह यह भी है कि यहां नैपाल से भी गांजा आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इस बात की जरूरत भी है कि नैपाल गवर्नमेंट भी अपने यहां कुछ रोकथाम करे तब मुमकिन है कि यह मसला किसी हद तक हल हो सके। और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके मुताल्लिक मुझे अर्ज करना है। आर्मी रम के मुताल्लिक मेरी ऐसी इत्तला नहीं है कि वह इतनी ज्यादा तादाद में बगैर लाइसेंस के बिक रही है और जिन दूकानों को लाइसेंस दिया हुआ है वह गवर्नमेंट को मालूम है और जो ब्लैकमार्केट या खुफिया तौर से बिक रही है वह वही हैं जो लोग खुद खींचकर बेचते हैं। आर्मी रम के मुताल्लिक मेरे पास कोई खास शिकायत ऐसी नहीं है अगर डिटेल दें तो मैं पता लगा सकता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो मैं दस बोतल आर्मी रम की अभी ला दूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपया की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—(लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०७,९५,००० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ४ लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६ लेखा शीर्षक ११—रजिस्ट्री

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९ स्टाम्प के अन्तर्गत ५,०१,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें सुविधा होगी यदि माननीय न्याय मंत्री दूसरे अनुदान को भी इसके साथ साथ पेश कर दें।

श्री सैयद अली जहीर--मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री के अन्तर्गत १३,७२,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

जहां तक स्टाम्प का ताल्लुक है, जो फिगर्स उस में दिये हुये हैं उन से यह मालूम होगा कि २५५ लाख अबकी साल इसकी आमदनी की मद है और पारसाल २४० लाख थी। यह १५ लाख का जो इजाफा है यह इस वजह से हुआ कि जब इस सदन ने यू० पी० स्टाम्प अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५२ और यू०पी० कोर्टफीस अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५२ को मंजूर किया और जब वह २२ नवम्बर से लागू हुये उसकी वजह से इसमें इजाफा हुआ ।

अखराजात के सिलसिले में ५,०१,६०० रुपया इस साल रखे गये हैं। पारसाल ४,८३,५०० रुपये थे। इसमें बढ़ौती सिर्फ १८,१०० रुपये की है और यह महज इस वजह से है कि तनख्वाहें वगैरा जो सालाना बढ़ती हैं वह बढ़ेंगी । इस वजह से कोई १८,१०० रुपया खर्च होगा, तो इसमें कोई खास तरमीम साल भर में नहीं हुई है और जो सूरत थी वही है और इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि यह मांग मंजूर की जाय ।

इसी तौर से रजिस्ट्रेशन की भी हालत है। हमारे प्रांत में तकरीबन २ लाख कागज रजिस्ट्री में सालाना पेश किये जाते हैं । मगर इधर दो तीन वर्ष से जब से जमींदारी अबालीशन के ऊपर कार्रवाई हो रही थी उसकी तादाद कुछ घट गयी थी और बिल आखिर आमदनी में जो पहले हुआ करती थी उसमें कमी थी । पारसाल की आमदनी २६,२६,५०० रुपया थी मगर इस साल यह खयाल है कि अब चूंकि जमींदारी अबालिशन कानून हो गया है लिहाजा गालिबन रजिस्ट्री का काम और बढ़ेगा। इस वजह से इसमें कुछ रखा गया है और २६,९६,००० रुपये की आमदनी की उम्मीद की जाती है आइंदा साल में।

जहांतक अखराजात का ताल्लुक है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। १३,३२,८०० रुपया गोया मौजूदा साल में था, लेकिन आइंदा साल के लिये १३,७२,६०० रुपया रखा गया है। यह जो इजाफा है, महज इस वजह से है कि लोगों की ग्रेड वगैरह की तनख्वाहें बढ़ेगी इसकी वजह से तनख्वाहों में इजाफा हो जायगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके सिलसिले में कोई खास बात बतलाने के लिये नहीं है। यह तो सदन को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में एक स्कीम चल रही है जिसके जरिये से कुछ सब रजिस्ट्रार्स जो एल०एल०बी० हैं उनको यह अख्तियारात दे दिये जाते हैं कि वह फौजदारी के मुकदमात का भी फैसला करें और इस वक्त ४९ ऐसे सब रजिस्ट्रार्स हैं जिनको इस किस्म के अख्तियारात दिये गये हैं। गवर्नमेंट बराबर देखती रहती है कि वह कैसा काम कर रहे हैं और जिनके खिलाफ कोई शिकायत होती है और यह खयाल होता है कि यह अपने फरायज को सही तौर से अंजाम नहीं दे रहे हैं तो उनके अख्तियारात फौरन ले लिये जाते हैं। लेकिन आम तौर से यह देखा गया है कि उनके पास वक्त था और वक्त होने की वजह से जब से यह काम उनको दिया गया है वह काम अमली तौर से अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा उनका वक्त जो बेकार जा रहा था उस वक्त से गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो रहा है और फौजदारी के मुकदमें जो उनके यहां भेजे जाते हैं उनका जल्दी फैसला हो जाता है। इन चन्द अलफाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह दोनों मांगें मंजूर की जायं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४--स्टाम्प के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कटमोशन तो एक ही माना जायगा क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मुझे दो ही तीन शब्द कहने हैं। स्टैम्प के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि स्टैम्प की फीस, कोर्ट फीस वगैरह वगैरह पर बहुत से जिलों से शिकायत है कि स्टैम्प ठीक तौर पर मिलते नहीं हैं। जिन लाइसेंसदारों को स्टैम्प दिये जाते हैं वह उसकी फीस में जितना उसका मूल्य है उससे ज्यादा दाम लेते हैं। तो इधर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और इसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो मूल्य स्टाम्पों के हैं उसी मूल्य पर जनता को स्टैम्प मिल सके। दूसरी चीज रजिस्ट्री के बारे में मुझे यह कहनी है कि ज्यादातर जगहों पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जितनी उनको फीस नहीं देनी पड़ती है उससे ज्यादा घूस देना पड़ता है और यह सभी लोग जानते हैं, यह बिलकुल खुले आम चीज है। मैं यह नहीं कहता कि आपके सब रजिस्ट्रार घूस लेते हैं लेकिन ऐसा होता है और यह सबके नालेज में है तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि वह इस तरह की चीजें न कर सकें। इतने ही चन्द लफ्जों के साथ मैं चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव को सदन मान लें।

श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और माननीय न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं। चूंकि दोनों अनुदान साथ लिये जा रहे हैं इसलिये मैं दोनों के विषय में साथ ही अपना विचार इस सदन के सामने प्रगट करना चाहता हूं। जहां तक रजिस्ट्री का संबंध है रजिस्ट्रेशन में हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया कि चूंकि रजिस्ट्रेशन का काम कम हो गया है इसलिये कुछ सब-रजिस्ट्रारों को मैजिस्टीरियल पावर दे दिये गये हैं जिससे कि वह फौजदारी के मुकदमे कर सकें। यह मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह जरूर है कि मैजिस्ट्रेट का काम मुश्किल काम है लेकिन यह जो प्रथा शुरू हुई है, इससे मुकदमें वालों को काफी इसमें शिकायत हुई कि आनरेरी कोर्ट्स न रखी जायं। उसके अलावा जब से यह सब-रजिस्ट्रारों को मुकदमों का काम दिया गया है तब से उन लोगों को चाहे वह बिलकुल जस्टिस करते हों लेकिन जो मुकदमा उनके सामने पेश होता है उन मुकदमें वालों को संतोष नहीं होता है कि और वह यह नहीं समझ पाते हमारे मुकदमें में न्याय होगा या नहीं होगा या न्याय यहां होता है या नहीं होता है। तो मेरी अर्ज यह है कि सब-रजिस्ट्रारों को जो मैजिस्टीरियल पावर दिया गया है वह उनको न देकर उनको रजिस्ट्रेशन का ही काम दिया जाय और अगर वह तादाद इतनी ज्यादा है कि रजिस्ट्रेशन के काम के लिये जितना जरूरी होनी चाहिये उससे कहीं बढ़कर है तो उनका रीट्रेचमेंट करके खर्चा कम किया जा सकता है या यही हो कि जब सब-रजिस्ट्रारों से मैजिस्ट्रेट का ही काम लेते हैं तो उनको रजिस्ट्रार के काम से फारिग करके मैजिस्ट्रेट के काम ही दे दिये जायं क्योंकि जैसा मैं देखता हूं आमतौर से कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जहां सब-रजिस्ट्रार मैजिस्ट्रेट का काम करते हैं और जनता उनसे संतुष्ट भी रही है तथा वे ठीक काम दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास फौजदारी और माल के मुकद्दमें होते हैं वह तो अपने काम को एडजस्ट कर लेता है मगर रजिस्ट्रेशन का काम और मुकद्दमें भी तय करना मुमकिन नहीं है। इसलिये मेरी अर्ज है कि मैजिस्ट्रेट की पावर हटा दी जाय।

दूसरा रजिस्ट्रेशन के बारे में अर्ज करना है। वह यह है कि आप के कुछ ऐसे स्टैम्प इंस्पेक्टर हैं जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस में जाकर यह देखते हैं कि जो रसीद बेचने वाले ने दूसरे को दी है वह कैसी है। उन्होंने दिखलाया है कि जिन्होंने लारी और ठेले

[श्री बलवीर सिंह]

दूसरों से खरीदें हैं वे सेल डीड में आते हैं लिहाजा उनको सेल डीड में करार दिया गया है। इस गड़बड़ से वे लोग परेशान हैं और उनको नोटिस भी जारी किये जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप अपने चीफ इंस्पेक्टर से यह तहकीकात कर लें कि आया वे डाकुमेंट्स इम्पैन्ड होने के काबिल हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाय ।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, दो चार बातें इस सिलसिले में कही गई हैं मैं एक एक का जवाब अर्ज करता हूं। पहली बात यह है कि शिकायत यह की गई कि बाज जगह स्टैम्प नहीं हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां स्टैम्प नहीं मिलते हों। इत्तिफाक से हो सकता है कि किसी तरह से स्टैम्प नहीं पहुंचे हों क्योंकि अभी पहली नवम्बर से नये स्टैम्प गये हैं। इस वजह से पहुंचने में देरी हो गयी है। अगर कोई दूसरी वजह स्टैम्प न पहुंचने की हो तो उसकी निगरानी की जायगी । इसके बारे में डिपार्टमेंट में भी सख्ती होती रहती है कि यह देखा जाय कि स्टैम्प सब जगह पहुंच जायं।

जहां तक रजिस्ट्रेशन में करप्शन का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि यह मुहकमा बदकिस्मती से कुछ बदनाम जरूर है लेकिन बुरा इतना नहीं है । जबसे मैंने इस विभाग को अपने चार्ज में लिया है तब से जो भी शिकायत आती है उसकी तहकीकात होती है। इस के बारे में यह कहना है कि अगर किसी पर करप्शन का मुकदमा चला और अदालत में यह साबित न हो पाया कि इसने करप्शन किया, लेकिन यह बात साबित है कि इसने करप्शन किया तो उसके खिलाफ डिपार्डमेंटल कार्यवाही की जायेगी। उसमें यह देखा जाता है कि इस शख्श का पिछला रिकार्ड कैसा है उसके अनुसार फिर कार्यवाही होती है। अभी इन लोगों की एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें मैंने भी जोर दिया कि जो बदनामी हो गयी है उसको धोना है। यह डिपार्टमेंट अब इतना करप्ट नहीं रह जायेगा। बदनाम है, बहरहाल, इन चीजों में वक्त लगेगा । अगर कोई खास केस सरकार के सामने आयेगा तो उसके मुताल्लिक जो सजा हो सकती है वह दी जायेगी ।

श्री बलवीर सिंह जी ने जो मैजिस्ट्रेट की पावर के बारे में कहा है कि यह सब-रजिस्ट्रार को नहीं मिलनी चाहिये थी। मैंने अपनी शुरू तकरीर में कहा कि वे अपने फरायज को कैसे अन्जाम दे रहे हैं। मुकदमों में हमेशा यह होता है कि एक कामयाब होता है और एक नाकामयाब होता है। जो नाकामयाब होता है वह समझता है कि दूसरी पार्टी ने न मालूम क्या देकर और कैसे मैजिस्ट्रेट को अपने साथ कर लिया है। मेरे ख्याल में जहां तक तजुर्बा अब तक का है और जो मैंने इत्तिला फराहम की है तो ज्यादा खराबी इस में नहीं है। दो चार जगह खराबी कुछ हुई है तो वहां पावर ले ली गई है और वह बदले भी गये हैं और इस तौर से डिपार्टमेंटल कार्यवाही उनके खिलाफ हुई है। वह लोग समझते हैं कि यह एक्सपेरिमेंटल बात है और साथ ही यह भी समझते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो यह पावर उनके पास नहीं रहेगी ।

दूसरी बात श्री बलवीर सिंह जी ने जो रिइम्पैन्ड करने की बात कही है वह एक टेक्निकल मामला है। श्री बलवीर सिंह ने इस सवाल पर जो कुछ कहा है, तो उसके लिये जो ऐसे मामले हैं, उनके लिये इस कानून के अन्दर इलाज मौजूद हैं। वह मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दे कि वहां जो इनफारमेशन है वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसके लिये वहां इलाज मौजूद है और उनको अदालत से ठीक कर सकता है। यही मुझे अर्ज करना है और अब मैं अर्ज करूंगा कि ये दोनों मांगें स्वीकार की जायें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय न्याय मंत्री जी की इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक नहीं करता हूं कि करेप्शन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं होता है। करेप्शन है और पहले से ज्यादा है और इसके लिये मैं जो कुछ सुझाव देना चाहता

अनुदान संख्या ४---लेखा शीर्षक ९---स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक ११---रजिस्ट्री

हूं, वह यह है कि जितनी रजिस्ट्रारों के बारे में शिकायतें हैं, उनको आपको कतई ज्यूडिशियल पावर नहीं देना चाहिये। लेकिन जहां शिकायतें नहीं हैं और जो लोग निहायत ईमानदारी से काम करते हैं उनको आप जूडिशियल पावर दीजिये और इसके लिये उन्हें भत्ते भी देना चाहिये। इतना ही मेरा सुझाव है, मैं आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस करते हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल---जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४ के अन्तर्गत ५,०१,६०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १३,७२,६०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री(श्री सैयद अली जहीर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,२२,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। इस मांग को पेश करते हुये कुछ थोड़े से फीगर्स में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इस साल जो न्याय का खर्चा है वह १ करोड़ ४७ लाख ५६ हजार है बरखिलाफ इसके मौजूदा साल जो खत्म हो रहा है उसमें सिर्फ एक करोड़ ४३ लाख ५० हजार खर्चा था। इस साल इसमें ४ लाख ६ हजार ज्यादा है। यह एखराजात इसलिये बढ़ाये गये हैं कि सन् ४७ और ४८ में जो ज्यादा खर्चा हुआ था उसकी वजह से हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा होता रहा है। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि यह जो इजाफा हुआ है, उसमें किसी खास या अहम चेन्ज हुआ है, यह यहां किसी वजह से किया गया है। बहरहाल मैं इसके मुताल्लिक दो, तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं और वह यह हैं कि आम तौर से ये शिकायतें हो रही हैं कि मुकदमों के फैसलों में देर हो रही है। इसके मुताल्लिक कई असबाब हैं। हाई कोर्ट में जहां तक एक्यूमूलेशन का ताल्लुक है, हम लोगों ने अपनी तरफ से इसके लिये कोई ताकीद नहीं की है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेज का तकर्रुर जैसा कि सदन को मालूम है महज एक किसी आला आफिसर के हाथ में नहीं है। उसमें कई डिपार्टमेंट को गौर करना पड़ता है और वह एक बहुत अहम चीज होती है। इस वजह से उसमें देर होती है। चूंकि अब तक कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकीं, इसी वजह से किसी कदर इसमें ताखीर हुई है।

जहां तक स्टेट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमने सन् १९४९ में १५ मुंसिफ बढ़ा दिये और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट और सिविल सेशन्स जज की तादाद ४५ से बढ़ा कर ८७ कर दी। इसके साथ-साथ अभी थोड़े दिन हुये हैं जब हमने १६ अफसरों को बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज के कनफर्म किया है और ४५ को सिविल ऐंड सेशन्स जजेज

[श्री सैयद अली जहीर]
की हैसियत से कनफर्म किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब बहुत सी जगहें मुंसिफों की खाली हो गई हैं। उनका इम्तहान हो चुका है, अब उनमें से चुने जायंगे और मुंसिफ मुकर्रर हो करके पूरे कैडर की तकर्ररी हो जायगी। खयाल यह है कि जिस वक्त यह मुंसिफों के अप्वाइंटमेंट्स हो जायेंगे, उसके बाद जो ताखीर दीवानी के मुकदमों के फैसलों में हो रही है और जो आफिसरों की कमी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, वे बाकी नहीं रहेंगी।

एक चीज और इस सिलसिले में कहनी है कि इस वक्त जो हालत हमारे सूबे की है उसको देखते हुये यह फैसला कर देना कि जो यह तादाद है वह काफी है या कम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमने जमींदारी अबालिशन का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर पड़ेगा। हमको यह देखना है कि उसका किस किस्म का असर पड़ता है, किस दर्जे के अफसरों में कमी पड़ती है और किस दर्जे के अफसरों में कमी नहीं पड़ती है। लिहाजा इस की वजह से हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिसकी वजह से बाद में तजुर्बे के बाद हमको कोई तब्दीली करना पड़े। हम सरेदश्त यह देख रहे हैं कि इसका असर किस किस्म के मुकदमों पर पड़ता है। जब हमको इसका तजुर्बा हो जायगा तब हम उसका वैसा इंतजाम करेंगे।

इसके अलावा जहां तक हमारे कानूनों का ताल्लुक है उसमें भी हमने अभी कोई तब्दीली नहीं की है। लेकिन हमारे यहां एक कमेटी बैठी थी जिसके जस्टिस वांचू प्रेसीडेंट थे और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट इस वक्त गवर्नमेंट के जेरेगौर है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनके जरिये से हम कानूनों में तरमीमें करेंगे और हमको उम्मीद है कि उसकी वजह से मुकदमों के फैसला करने में आसानी होगी।

जहां तक हायर जुडीशल सर्विसेज के ग्रेड्स का ताल्लुक है, उसके मुताल्लिक रूल्स जेरेगौर थे। मुझे मालूम हुआ है कि बहुत जल्दी रूल्स बन करके आजायेंगे और उसमें उनके ग्रेड्स भी तय कर दिये जायेंगे और यह भी तय कर दिया जायगा कि हायर जुडीशल सर्विस की क्या शक्ल होगी।

एक मसला और है जो हमेशा जेरे गौर आया करता है और वह मसला जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव के एक दूसरे से अलग किये जाने का है। इस मसले पर भी मुझको आप से यही अर्ज करना है कि जहां तक उसूल का ताल्लुक है वह तो हम तसलीम कर चुके हैं और एक हद तक हम उसको अमल में भी ले आये हैं इसीलिये हमने जुडीशल आफिसर्स की एक तादाद मुकर्रर कर दी और उनका सिर्फ यही काम है कि फौजदारी के जो मुकदमें जिले में हों उनका वे फैसला करें। जुडीशियल आफिसर्स डाइरेक्टली वहां के कलेक्टर के मातहत नहीं होते बल्कि वे एडीशनल मैजिस्ट्रेट की मातहती में काम करते हैं। इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि मौजूदा हालत में कोई ऐसी चीज कम से कम मेरे इल्म में नहीं आयी कि जिससे यह मालूम हो कि जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेप्रेशन न होने की वजह से किसी किस्म का अन्याय हो रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है जो न होनी चाहिये या जो गलत है। उसमें भी हमको देखना है कि अपने देश की हालत किस तरह से बदलती है। अभी तक तो एक बिल्कुल मेलटिंग पाट की हालत हमारी सोसाइटी की है और खास कर जो देहात में लोग हैं वह नहीं जानते हैं कि आखिरी शक्ल जो हम यह सब करने वाले हैं, ऐसे प्लान जो बनाने वाले हैं, यह सब जब मुकम्मिल हो जायंगे, उनकी क्या होगी। जमींदारी अबालिशन हो करके जो लोग बेकार हो गये हैं वह काम में लग जायेंगे और वह काम करने लगेंगे तब हमारी जिन्दगी ऊंची होगी, उस वक्त उनकी हालत क्या होगी, यह ऐसी चीजें हैं जिनका असर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस पर पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ हमारा सिस्टम जो है ऐडमिनिस्ट्रेश

आफ़ जस्टिस का, जाहिर है कि वही है जो कि हमारे यहां अंग्रेज ले आये और उन्होंने यहां रायज किया। हम उसको अख्तियार किये हुये हैं लेकिन उसमें हमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी अपने जरूरियात के लिहाज से, इन सब बातों के ऊपर हम को गौर करना है। यह मसायल ऐसे हैं जिनके लिये यकीनन हम को वक्त मिलना चाहिये और इसमें वक्त लाजिमन लगेगा भी। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके माने यह नहीं हैं कि गवर्नमेंट उसको सेपरेट नहीं करना चाहती या उस उसूल को नजरअन्दाज कर देना चाहती है बल्कि वह समझती है कि हमको यह करना है मगर उसे जिस तरह से करना है उसमें थोड़ा सा वक्त इन बातों की वजह से जो मैंने आपके सामने अर्ज कीं, उसमें जरूर लगेगा। इस सिलसिले में एक चीज मैं और अर्ज करूं। इसमें मुझको जरूरत इस बात के कहने की है कि आप हमारे मेम्बरान जो हैं और जितने भी यहां इस प्रांत के रहने वाले हैं उन सब को समझना चाहिये कि क्या शक्ल इस वक्त हमारी है और इस सूबे की हो रही है। हर तरफ से इस वक्त और खास तौर से जब कि गृह मंत्री का बजट पेश था, यह कहा गया कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं और खास कर देहातों में तरह तरह के लोग जुर्म करने के ऊपर तुले हुये हैं और जुर्म की तादाद ज्यादा पहुंचती जा रही है। मालूम नहीं कि यह सच है कि गलत लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि जो हम देख रहे हैं वह यह है कि जो मुकदमे चलते हैं और जो मुकदमे अक्सर ऐसे मुलजिमों के ऊपर जो निहायत खराब किस्म के जुर्म किये हुये होते हैं उन पर चलाये जाते हैं तो वह अक्सर इस वजह से कि सबूत काफी नहीं मिलते, हम मुकदमों में कामयाब नहीं होते। इस की बराबर मिसालें मेरे पास आती रहती हैं जिसमें इस किस्म का मुझे तजुर्बा होता है। बहरहाल एक ऐसी चीज है जो अगर बढ़ी तो लाजिमी तौर से हम को कोई न कोई ड्रैस्टिक इलाज करना पड़ेगा वरना जाहिर है कि कोई जुडिशल सिस्टम जो कि जुर्म को रोक न सके और उसको जो कि असली मुजरिम हो उसे सजा न मिले तो वह उतना ही बुरा है जितना कि एक बेगुनाह आदमी फंस जाय और उसे सजा मिल जाय। लिहाजा हम को जब हमारे ऊपर इस सूबे के अमनोअमान कायम रखने की जिम्मेदारी है, देखना है कि जो मुजरिम हैं उनको सजा होती है और वह यह न समझने पायें कि हम जो चाहे जुर्म करें लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस ऐसा है कि हमें सजा तो हो ही नहीं सकती। अगर हम मुकदमे की पैरवी करेंगे तो हम छूट जायेंगे। अगर यह खयाल पैदा होगा तो किस कदर उसकी वजह से हमारे सूबे की अमनोअमान में खलल पड़ सकता है। यह चीज भी हमको देखना है कि किस तरह से हम तब्दीली करें कि जिसकी वजह से इस वक्त जो सूरत पैदा हो गयी है कि एक सिस्टम बाहर का आया हुआ हमारे मुल्क में रायज है जिसे हम अच्छी तरह से समझते नहीं जिसमें कुछ कमियां और खामियां रह जाती हैं, उसकी वजह से मुजरिम जो हैं वह छट जाते हैं। उस के बाद फिर एक हवा यह फैल जाती है कि चाहे जो गुनाह करो, चाहे जो जुर्म करो कोई सजा नहीं मिलेगी। यह एक ऐसी बात है जिसमें गवर्नमेंट अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, इसमें हम को इस बात की जरूरत है कि पब्लिक की भी पूरी-पूरी सहायता हमारे साथ शामिल हो। हमारे यहां एक आम जजबा यह है कि जुर्म करने के बाद अगर उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत देना है या गवाही देना है तो लोग कहते हैं कि कौन परेशानी में पड़े, हमको क्या जरूरत है कि हम गवाही देने जायं। यह एक ऐसी चीज है कि इस खयाल को दिमाग से निकाल देना चाहिये।

अगर जुर्म करने वाला किसी का कितना भी अजीज हो उसका यह फर्ज है बहैसियत एक नागरिक के कि वह उसे सजा दिलाने में सरकार की सहायता करे। यह नहीं होना चाहिये कि चूंकि हमको इसके साथ हमदर्दी है इसलिये हम इसके खिलाफ गवाही न दें। एक बात और है कि मुकदमों में गवाही देने को या तो ऐसे लोग आते हैं जिनको मुजरिम से पहिले से दुश्मनी होती है और दुश्मनी की वजह से उनकी गवाही अदालत नहीं मानती या ऐसे आदमी आते हैं जो इत्तिफाक से वहां पहुंच जाते हैं और उनको अदालत

[श्री सैयद अली जहीर]

इस बात पर रिजैक्ट कर देती है कि ये इत्तिफ़ाकी गवाह हैं और वहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी। नतीजा होता है कि एक अजीब असर हमारी अदालतों में पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे मुकदमें जिनके मुताल्लिक निजी तौर से मालूम होता है कि यह सही हैं वे भी छूट जाते हैं। हमें इन बातों को सामने रख कर अपना प्रोग्राम बनाना है। हम यह भी नहीं चाहते कि कोई इन्नोसेंट आदमी सजा पाजाय। लेकिन हमें हिम्मत और जोश के साथ ऐसी भी कोशिश करनी चाहिये कि या तो लोग जुर्म न करें और अगर करते हैं तो उनको उन्हें पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिये। बहरहाल ये चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक हम जल्दी फैसला नहीं कर सकते। हमें अपने यहां की हालत और कानून बदलना है और ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाना है।

जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है जो खास-खास बातें हम लोग कर रहे हैं, वे ये हैं। बहुत सी जगहों पर दीवानी अदालतों की इमारतें बहुत बुरी हालत में हैं चूंकि पुरानी इमारतें कम से कम ५० बरस पुरानी हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा पुरानी हैं। हम उन्हें रफ्ता रफ्ता बदल रहे हैं और इस साल भी कोई २ लाख रुपया इमारतों के लिये रखा है। इसी तरह कुछ रुपया किताबों के लिये है ताकि वे अदालतों में पहुंचाई जा सकें। ५,००० रुपया एडवोकेट जनरल की लाइब्रेरी के लिये रखा गया है।

इसके साथ साथ हिन्दी को अदालतों में रायज करने की कोशिश की गई है। यह समझ कर कि अब काम हिन्दी में होगा। यह हुक्म जारी कर दिया गया है कि जहां तक हो सके अब महज हिन्दी के टाइप राइटर खरीदे जावें। टेहरी-गढ़वाल का मामला हमारे सामने आया कि वहां पहले सारा काम फैसले वगैरह हिन्दी में होते थे। जब वह रियासत हमारे प्रांत में मिल गई तो यह सवाल उठा कि जैसे और अदालतों में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में काम होता है वैसे ही वहां भी हो। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि अब तो हम सब जगह हिन्दी रायज कर रहे हैं इसलिये कम से कम जहां हिन्दी रायज है वहां से हमें हिन्दी को नहीं हटाना चाहिये। इसलिये वहां काम अब हिन्दी में होता रहेगा और नक़लें वगैरह भी, जहां तक हो सकता है, हिन्दी में मिलेंगी। इसी तौर से कुमायूं में सिविल कोर्ट का मामला है। आप जानते हैं कि वहां जितने मुकदमे दीवानी वगैरह के होते थे वह सब तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट वगैरह किया करते थे, वहां दीवानी अदालतें नहीं थीं। मगर अब सरकार ने यह फैसला किया है कि वहां भी उसी तरह से दीवानी अदालतें कायम हों जैसी और जगह हैं और इस साल के अन्दर ही वहां दीवानी अदालतें कायम हो जायंगी।

एक बात और कि जिस समय से कांग्रेसी हुकूमत आई है उसने तीन जिलों में डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुस्तकिल तौर से कायम कर दिया है और अब आगे साल, दो और जिलों में जौनपुर और बहराइच में डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुस्तकिल बना दिया जायगा।

यही इस मांग की मोटी मोटी बातें हैं और इनके साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह सदन इस मांग को मंजूर करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, किसी भी देश का न्यायाधिकरण यानी जुडीशियरी उस देश की जनता के सभी स्तरों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय देने के लिये सबसे बड़ा आवश्यक अंग होता है। यह इस प्रांत की और इस देश की जनता की सौभाग्य की बात है कि जहां तक जुडीशियरी के ऊंचे स्तर का सवाल है इस देश की जुडिशियरी ने काफी निष्पक्ष रूप से और काफी ऊंचे स्तर के फैसले दिये हैं और इस प्रांत में भी और अन्य प्रांतों

में भी समय समय पर हाई कोर्ट की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसले हुये उन्होंने इस देश की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा को स्थापित रखा है। जहां तक व्यक्तिगत न्याय का प्रश्न है या सिविल और क्रिमिनल केसेज के न्याय का प्रश्न है कुछ सैद्धांतिक बातों की ओर माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि केसेज के फैसले होने में देरी होती है और जो व्यवस्था पहले से चली आई है उसमें लिटीगेशन बढ़ता है। दोनों पक्षों का रुपया बहुत ज्यादा खर्च होता है और नतीजा यह होता है कि अन्त में फैसला होते तक वादी और प्रतिवादी दोनों का चकनाचूर हो जाता है। मुझे यह मालूम है कि सन् १८५५ से जब से यहां पर न्याय व्यवस्था चल रही है उस समय स्लीमैन साहब ने यह पूछा लोगों से कि तुम न्याय की व्यवस्था चाहते हो या अराजकता और उस समय उन लोगों ने यही जवाब दिया था कि जिस प्रकार से खर्च होता है और जितनी देरी इस न्याय व्यवस्था में होती है उससे तो पुरानी अवध की अराजकता ही, जिसमें कोई प्रोसीज्योर नहीं था, हमें पसन्द है। तो आज की देरी को देखते हुए और जितना खर्चा होता है उसको देखते हुये बहुत कुछ स्थिति आज भी वही मौजूद है।

माननीय मंत्री ने एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग करने की जो बात कही है उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो आशा करता था कि माननीय मंत्री जी यह कहते कि हमने १८ जिलों में एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग कर दिया है और अब कुछ और जिलों में इसको अलग करने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने तो वही दृष्टिकोण लिया जो आपके आफिसर्स ने सन् १९५० में एक्जीक्यूटिव आफिशियल्स कानफ्रेंस में लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक्जीक्यूटिव आफिसर्स जब एक्जीक्यूटिव का काम करते हैं तो एक्जीक्यूटिव की और जब वे जुयिडशियरी में काम करते हैं तो जुडिशियरी उनके एक्जीक्यूटिव आफिसर होने से कोई असर जुडीशियरी के काम में नहीं पड़ता। जो न्होंने उस कांफ्रेंस में कहा था वही माननीय मंत्री जी ने यहां आज कहा है। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊं कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इस प्रांत की जनता को यह आश्वासन दिया था कि आने वाले वर्षों में वे एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से बिलकुल अलग कर देंगे। इस संबंध में इसकी आवश्यकता को बताने के लिये कि क्यों एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग किया जाय कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माननीय चीफ़ मिनिस्टर साहब का वह भाषण और उनके वह विचार ही काफ़ी हैं। मैं माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ड्यूरेशन की तरफ कि आज भी जब सरकार दावा करती है कि मुकदमे घट रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में मुकदमें घट रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी घट रहे हैं तो फिर उनके डिसपोजल में समय ज्यादा क्यों लगता है? मेरे पास कुछ तथ्य हैं। सिविल कोर्ट्स में जिन केसेज में पूरी डायल हुई उनमें सटस का ड्यूरेशन १९४९ में २५५ था। वही १९५० में बढ़कर के २६७ हुआ और १९५१ में बढ़कर के २७७ हो गया और जो पैंडिंग सूट्स थे, एक माननीय सदस्य ने प्रश्न भी किया था कि हमारे जिले में कितने पैंडिंग केसेज हैं। मेरे पास पूरे प्रांत के पैंडिंग केसेज के आंकडे हैं, ऐसे मुकद्दमात के जो साल से ज्यादा के हैं। १९४९ में वह १९२१५ थे, १९५० में बढ़कर २५५७९ हो गये और १९५१ में २६७४३ हो गये, जो एक साल से ज्यादा के कोर्टस में हैं और जिनमें बहस चल रही है। यह रहा सिविल केसेज की बात।

अब मैं आपको बतलाता हूं कि क्रिमिनल केसेज में क्या ड्यूरेशन था magisterial courts के duration में २० और १९५१ में २३ हो गया। सेशन्स कोर्ट्स में जो थे वह १९४८ में ९७ थे और १९५१ में बढ़कर ११० हो गये। इससे एक बात साबित होती है कि अगर हम सरकार के दावे को मान भी लें कि मुकद्दमे घट रहे हैं तो फिर ड्यूरेशन क्यों बढ़ा। इससे तो सिद्धांत की बात जो माननीय मंत्री जी ने कही वह स्पष्ट नहीं होती है। इस प्रकार जहां तक क्रिमिनल केसेज का सवाल है, माननीय मंत्री जी की गलतफहमी दूर करने के लिये शायद यह विचार हो कि क्रिमिनल केसेज घटे हैं तो सन् १९४९ ई० में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर ऐंड स्पेशल लोकल लाज़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में २ लाख ७५ हजार केसेज आये थे और सन् १९५० में वह बढ़करके २ लाख ९३ हजार हो गये और सन् १९५१ ई० में वह बढ़करके ३ लाख १३ हजार हो गये तो माननीय मंत्री जी की गलतफहमी की बात उनके आंकड़े, उनकी सेवा में समर्पित हैं।

मैं यह साबित करना चाहता था कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन काम को हल्का करने के लिये और कोर्ट्स के भार को कम करने के लिये है। मैं इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी का ध्यान वांचू कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं जो डेढ़ साल के करीब हुआ उनके पास आ गई है। पिछले बजट का समय था और उस समय यह कहा गया था कि उस पर कंसीडरेशन हो रहा है। आज डेढ़ साल के करीब हो गया लेकिन अभी तक उसका कंसीडरेशन पूरा नहीं हुआ है। एक बात और है जो कानूनी परिवर्तन हैं उनके लिये तो यह समझा जा सकता था कि कुछ ऐसे ऐक्ट्स हैं जिनको पार्लियामेंट या गवर्नमेंट आफ इंडिया ही बदलेगी, लेकिन जिन ऐक्ट्स को प्रांतीय सरकार ही बदल सकती थी, यह भी मान लिया जाय कि कानूनों के बदलने में देर होती तो बहुत सी ऐसी बातें भी थीं जो बिना कानून के बदले हुये भी बदली जा सकती थीं। जैसे प्रेजाइडिंग आफिसर्स का पीरियोडिकल इंसपेक्शन महीने में एक दफा हो, तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में जो बिल्डिंग बनाई जायं उनको डिसेंट्रेलाइज किया जाय और हर जगह पर अदालत हो। इसके अलावा जमानत की अर्जियों का डिसपोजल एक दिन में हो जाना चाहिये। बोर्ड आफ रेवेन्यू और कमिश्नर वगैरह की पोस्ट को एबालिश कर दिया जाय और कमिश्नर का काम डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट जज को दे दिया जाय और जहां तक जो अनएवायडेबिल एडजर्नमेंट हैं जिनमें बहुत दिन लगते हैं या गवाहियों में बहुत दिन लगते हैं तो रिकार्डिंग आफ स्टेटमेंट्स और फिक्सिंग लांग डेट्स आफ आरगूमेंट्स के संबंध में लम्बी तारीखें लगा दी जाती हैं उनके नियमों में संशोधन करना, कुछ सुझाव ऐसे थे जिनको माननीय मंत्री जी बिना ऐक्ट को बदले हुये साल डेढ़ साल में जब से रिपोर्ट आई थी कभी न कभी कार्यान्वित कर सकते थे। बहुत सी रिकमेंडेशंस थीं जिनको डेढ़ साल के अन्दर स्वीकार कर लेने में माननीय मंत्री जी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी। जैसे सिविल केसेज में मुंसिफों के रिक्रूटमेंट में दो साल की प्रैक्टिस बार में कम्पलसरी कर देना। हाई कोर्ट में पांच हजार से लेकर १० हजार तक की जितनी अपीलें हों उनको हाई कोर्ट में दो जजों की बेंच के सामने पेश करना। अपील के केसेज में एडवोलेरम कोर्ट फीस लगती है उसका आधा कर देना। ये ऐसे मामले हैं जिनको माननीय मंत्री जी इसी बीच में कर सकते थे। क्रिमिनल केसेज में असेसर और जूरी के जरिये जो ट्रायल की प्रणाली है उसको समाप्त किया जा सकता है। थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को समाप्त किया जा सकता है और ऐसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिनको दस साल का तजुर्बा है उनको इस बात की सहूलियत दी जा सकती थी कि वे सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की अपील को सुन सकें। मैंने आपकी आज्ञा से ऐसे उदाहरण दिये जिनको माननीय मंत्री जी सुधार की दृष्टि से सरलता, समय और कम खर्च में कर सकते थे। इससे खर्च में भी कमी होती और भार में भी कमी होती अगर इन सुझावों को कार्यान्वित किया जाता। लेकिन एक बात के बारे में मैं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि कमेटी का यह भी सुझाव है कि अदालती पंच चुने हुये नहीं होने चाहिये और अदालती पंचों को जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामजद करें। वांचू कमेटी का यह जो सुझाव है मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि कहीं पंचायत राज्य ऐक्ट के संशोधन में इस सुझाव के जरिये से वह ऐसा करने का गजब न करें क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामजद करेंगे पंचों को तो पंचायती अदालतें जैसा कि आजकल विधान है चुनी हुई नहीं होंगी। इससे पंचायती राज्य विधान को भारी धक्का लगेगा। यह ठीक है कि जज चुने हुये नहीं होने

चाहिये लेकिन पंचायती अदालतों के ऊपर जो भार है वह उस स्तर का नहीं है जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज का होता है। इसलिये माननीय मंत्री कमेटी की सिफारिश पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करें।

कुछ मैं हाई कोर्ट के प्रबंधों के बारे में भी कहना चाहता हूं। यह बड़ा अच्छा हुआ कि पिछले वर्षों के अन्दर अवध चीफ कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का अमलगमेशन हुआ। इस प्रांत की जनता की यह बहुत दिनों से मांग थी लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थायें हुई हैं जिनको देख कर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ इलाहाबाद और लखनऊ की बहस इस हाई कोर्ट के मामले में खड़ी हो गई। लखनऊ के बार एसोसियेशन का कहना है कि लखनऊ चीफ़ कोर्ट में पांच लाख रुपया हाई कोर्ट की बेंच बनाने के लिये खर्च किया गया जिसमें तीन कोर्ट रूम्स और पांच चैम्बर बने जब कि इलाहाबाद में साढ़े बारह लाख रुपया नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाने और एक्सटेंशन करने में खर्च हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सही है? इन ५ लाख रुपयों को खर्च करके जो ३ कोर्ट रूम्स और ५ चैम्बर्स को बनाया गया उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है? दूसरी शिकायत उनकी यह है कि पहले चीफ कोर्ट में ६ जजेज रहा करते थे लेकिन जैसे ही ये जगहें खाली होती हैं उन जगहों में यहां जजेज मुकर्रर नहीं होते लेकिन इलाहाबाद में हो जाते हैं। यहां की बेंच में केवल तीन जजेज रह गये हैं। क्या यह उनकी शिकायत सही है? इसके साथ साथ यह भी है कि यहां बेंच तो अवश्य हैं लेकिन यहां पर काम बढ़ने के कारण इलाहाबाद से जजेज को लगातार आना पड़ता है और इस आने जाने में जो एक असाधारण खर्च होता है ३०,४०. हजार रुपये साल का यह कुछ समझ में नहीं आता। अगर यहां पर काम ज्यादा है तो क्यों न बेंच में दो एक जज और बढ़ा दिये जायं ताकि यह जो खर्च होता है और जजों को भी इलाहाबाद से लखनऊ आने जाने में जो दिक्कत होती है वह बच जाय? तो अगर काम के अनुसार बेंच में जजों की संख्या कर दी जाय तो यह प्रबंध बड़ा अच्छा होगा। मैं इलाहाबाद और लखनऊ की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और न मैं यह चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी ही इस में पड़ें। हमें तो प्रदेश की जनता के हित के दृष्टिकोण से काम करना चाहिये। फ़ैजाबाद और सुल्तानपुर जिलों के मुकदमे पहले लखनऊ आते थे लेकिन अब एक आर्डर के जरिये इलाहाबाद भेज दिये गये और जहां तक मुझे सूचना है फैजाबाद और सुल्तानपुर की जनता और वहां के बार यह कहते हैं कि हमें लखनऊ ज्यादा नजदीक है तो हमको इलाहाबाद क्यों भेजा गया? शायद माननीय मंत्री जी को इस बारे में ज्यादा सूचना हो लेकिन अगर ऐसी बात है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिये और इस हद तक पुनर्विचार होना चाहिये कि लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट काम करता है इनमें जिलों का मामला रीजनल दृष्टिकोण से आना चाहिये ताकि जैसे हमारे यहां का कुमायूं डिवीजन है अगर हमको लखनऊ नजदीक पड़ता है तो हमारे यहां के मुकदमें लखनऊ आने चाहिये और जिनको इलाहाबाद नजदीक पड़ता है उनके मुकदमे इलाहाबाद जाने चाहिये। यह कोई शहर के दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं है बल्कि चूंकि हमको मुकदमों में होने वाले खर्च को भी कम करना है इसलिये हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि कौन सा जिला किसके नजदीक पड़ता है। मुझे आशा है कि यदि माननीय मंत्री जी इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो वह एक काफ़ी सुन्दर बात होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी मेरे मित्र पंडित नारायणदत्त जी ने हाई कोर्ट के अमलगमेशन के संबंध में कुछ कहा। मेरा अपना विचार है कि यदि जिन्होंने उनको इस संबंध में बातें बताई अगर वह पूरी तरह से उनको बताते और फिर वह कहते तो ज्यादा मुनासिब होता। अगर मुझे समय मिला तो इस विषय में उनकी कुछ गलत-फहमी को दूर करने की चेष्टा करूंगा।

[श्री शिवनाथ काटजू]

इस संबंध में कुछ जरूरी बातें मुझे कहनी हैं और मैं माननीय मंत्री जी से गोआद्दि-बाना गुजारिश करूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के मामले में गौर करें। अभी मुझको सन् ५१ की रिपोर्ट मिली है। मुनासिब होता अगर सन् ५२ की रिपोर्ट भी छप जाती और बजट के वक्त इस सदन के मेम्बरों को यह मालूम होता कि सन् ५२ तक यहां क्या शक्ल थी। लेकिन सन् ५१ की रिपोर्ट से जो मालूम होता है उससे मैं अन्दाजा लगा सकता हूं कि सन ५२ में भी कोई ऐसी इतमिनान देने वाली तरक्की नहीं हुई। हाई कोर्ट में जितने मुकदमें फैसला हुये हैं अगर उनके आंकड़े को देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में काफी शिथिलता आ गयी है और मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर सन् १९५१ में हाई कोर्ट में जितने फैसले हुये हैं उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि बजाय हालत सुधरने के दिन व दिन बिगड़ती ही जाती है। अगर सरकार देखे तो करीब करीब हर किस्म के मुकदमों में चाहे वे फर्स्ट अपीलें हों, चाहे वे सेकेंड अपीलें हों, चाहे वे रिवीजन्स हों सन् ५१ के शुरू में जितना बकिया मुकदमों का नम्बर था और सन् ५१ में जितनी अपीलें दायर हुईं और सन् ५१ में जितने मुकदमें फैसल हुये उन पर अगर ग़ौर किया जाय तो मालूम होगा कि बजाय बकाया मुकदमे फैसल होने का बकाया की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि सिंगल जज (Single judge) फर्स्ट अपीलस को लीजिये। सन् ५१ के शुरू में १५८ अपीलें पहले साल की थीं और १०२ अपीलें सन् ५१ में दायर हुईं, टोटल २६० अपीलें हो गईं। फैसल कुल ३३ ही हुईं। यानी १०२ अपीलें नयी दायर हुईं। बकाया को तो जाने दीजिये, और फैसल हुईं कुल ३३ तो शक्ल यह है कि सन् ५१ के आखिर में २२७ अपीलें बिला फैसल हुये मौजूद हैं। इसी तरह से First appeals from order सन् ५१ के शुरू में ३१७ थीं फिर सन् ५१ में १७५ और दायर हुईं। टोटल हो गया ४९२ और फैसल हुईं कुल ८१। इसी तरह से हर मद के मुकदमों पर अगर गौर किया जाय तो एरियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और घटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् ५१ में हाई कोर्ट में २० जज थे। प्रेसीडेंट के हुक्म के मुताबिक २४ जज हाई कोर्ट में होने चाहिये। बजट के मुताबिक भी २२ जजेज हाई कोर्ट में होने चाहिये लेकिन मेरा ख्याल है कि सन् ५१ में २० की तादाद भी कभी पूरी नहीं हुई। गालिबन ज्यादा से ज्यादा १९ की तादाद रही। या तो किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसकी जगह भरने के लिये काफी वक्त लगा या कुछ जजेज कुछ काम के लिये चले गये और कुछ इक्जायरी वगैरह में चले गये। नतीजा यह कि जितनी तादाद वहां की थी कचहरी में फैसला करने के लिये उतने भी न मिल सके। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यही हालत चलती रही तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस करीब करीब खत्म हो जायगा, करीब-करीब कोलेप्स हो जायगा। बांचू कमेटी ने भी यही कहा था कि अगर इसकी यही शक्ल रही तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस कोलेप्स हो जायगा। अब वक्त कम है इसलिये मैं सिर्फ दो बातों की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा। एक तो यह कि जितने फौजदारी के मुकदमे कमिट किये जाते हैं, सेशन्स को भेजे जाते हैं, उनकी तादाद को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें से ६० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि छूट जाते हैं। बहुत से मैजिस्ट्रेट अपने आपको पोस्टआफिस की तरह समझते हैं उनके सामने मुकदमा आया कि उन्होंने कमिट कर दिया। तो सरकार इस बात पर गौर करे कि जितने मुकदमे चलाये जाते हैं उनमें से कितने छूटते हैं और कितनों में सजा होती है। अगर इस पर तवज्जह की जाय और कम से कम मुकदमे चलाये जायं इससे अदालत का काम और वक्त बच जायगा।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से हाई कोर्ट में काफी तादाद में अपील दायर की जाती हैं और मैंने देखा कि सन् ५१ की रिपोर्ट में गवर्नमेंट

ने काफ़ी तादाद में अपील दायर की है । मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं फिगर बताता लेकिन जितनी अपीलें दायर की गयीं उनमें से बहुत कम में सजायें हुई, बहुत कम मंजूर हुईं और काफ़ी तादाद में खारिज भी की गयीं। मेरा ख्याल यह है कि अगर सरकारी अपीलों के बाबत भी गवर्नमेंट गौर करे तो हाई कोर्ट का काफी वक्त बच सकता है ।

तीसरी बात असेसर्स के बारे में है । वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी असेसर्स का रखा जाना आजकल के जमाने में एक प्रकार से गलत बताया गया है । आजकल के वक्त को देखते हुये असेसर्स बेकार हैं। जब कि यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी जो कि यहां की भाषा नहीं समझते थे उस जमाने में तो इनकी कोई जरूरत मालूम भी होती थी लेकिन आजकल के जमाने में मैं निवेदन करता हूं कि ये असेसर्स हटा दिये जायं ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जो लीगेसी उनके जमाने में कायम थी वह आज भी कायम है और वह यह है कि हमारे देश में न्याय का ढांचा और न्याय का तरीका जो उस जमाने में था वही आज भी है, आज भी बदस्तूर कायम है। हम यह ख्याल करते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे इस ढांचे में कुछ क्रांतिकारी और मौलिक परिवर्तन होंगे । उस जमाने में हम यही कहा करते थे कि हमारा न्याय का ढांचा बिल्कुल सीधा-साधा, ऐसा आसान और सरल होगा कि गांव की साधारण जनता को बहुत कम खर्चे में न्याय प्राप्त हो सकेगा और समय भी कम लगेगा। लेकिन अगर पहले किसी न्याय के मिलने में ६ मास लगते थे तो अब उसको प्राप्त करने में १ साल से ज्यादा लगता है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अदालतों में इतना वक्त लगता है और उसकी दौड़ भाग में किसानों का इतना धन खर्च हो जाता है कि उनकी मालीहालत बिलकुल खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जहां ५० रुपये की मालियत का झगड़ा है उस मामले में न्याय प्राप्त करने में आज कल मौजूदा अदालतों में कम से कम पांच सौ रुपये के करीब खर्च हो जाते हैं जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वकील लोग ले लेते हैं और तब जाकर उसको कहीं न्याय मिल पाता है। सबसे पहली चीज न्याय व्यवस्था के अन्दर यह होनी चाहिये थी कि जहां पर अदालतों के मौजूदा ढांचे को बदलते, उस ढांचे को बदलने के साथ साथ यह भी देख सकते कि कम से कम व्यय में किस प्रकार से न्याय प्राप्त किया जाय। और उसके लिये मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस बात के देखने की जरूरत थी कि वकीलों का तबका जो न्याय प्राप्त कराने के लिये किसानों और अदालतों के बीच में ऐसा है उसको किस प्रकार से रोका जाय । वकील लोग किसानों का खुद तो शोषण करते ही हैं उसके साथ ही अपने मुहर्रिर को भी कुछ दिलवाते हैं और इसी तरह से कागजात आदि को प्राप्त करने में जो एक तरह की रिश्वतखोरी चल रही है जिसको रिश्वत न कहकर हक का नाम दिया गया है उसको भी बिलकुल बन्द किया जाना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में हम यह कहा करते थे कि वकीलों का प्रोफेशन त्याज्य है, हीन है और उसको डिसकरेज करना चाहिये लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उसी प्रोफ़ेशन को दिन प्रतिदिन इनकरेजमेंट देते चले जा रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आज हम स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वकीलों के इस प्रोफ़ेशन को किसी प्रकार से डिसकरेज नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी बातें इस सदन में वांचू कमेटी रिपोर्ट के संबंध में कही गयी हैं। मुझे उस संबंध में इस समय केवल एक ही बात कहनी है और वह यह है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने उस वांचू कमेटी रिपोर्ट के संबंध में यह कहा कि जहां तक पंचायती अदालतों का संबंध है, जहां तक पंचों और सरपंचों

[श्री शिवकुमार शर्मा]

का संबंध है वे नोमीनेटेड न होकर एलेक्टेड हो । वांचू कमेटी की रिपोर्ट का सोलह आना समर्थन करता हूं इस आधार पर कि पिछले चार पांच सालों में हमने जो पंचायतों का अनुभव किया है, जितने पंच और सरपंच एलेक्ट होकर हमारे सामने आये हैं, उस क्षेत्र से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति पंचायती अदालतों में नहीं आया है। क्योंकि कोई भी विद्वान पुरुष, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो ईमानदारी को अपना कर किसी केस का फैसला करे वह पंचायतों के चुनाव में आने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने भी पंचायती अदालतों के अन्दर पंच या सरपंच हों वे नामिनेटेड होने चाहिये चाहे उनकी एजेंसी कोई हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या कोई दूसरा हो। लेकिन अगर गलत तरीके से न्याय का वितरण किया जाय और सिर्फ उन लोगों के लिये किया जाय जो लोग कि एलेक्टेड हैं या चुने हुए हैं, इस तरह से पक्षपात पूर्ण फैसला ठीक नहीं है। तो यह सुनकर सदन के माननीय सदस्यों को ताज्जुब होगा कि जिस प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार न्याय में ऊंचे स्तर पर कहीं-कहीं देखने में आता है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह पंचायतों में भी चल पड़ा है। हो सकता है कि किसी बिना पर इसकी तरदीद हो लेकिन हर एक व्यक्ति जिसने न्याय के अन्दर जाने की कोशिश की है उसे मालूम है कि पंचायतों के अन्दर भी भ्रष्टाचार का अंकुर खड़ा हो गया और जो वहां चुने हुये नुमाइन्दे होते हैं लिहाजा वे अपने आदमियों के पक्ष में होकर मुकदमों का फैसला करते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह सबसे पहले इस प्रश्न को अपने सामने रखे और पंचायती अदालतों में जितने भी पंच व सरपंच होते हैं वे नामिनेटेड ही हों, चाहे इसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करे या कोई दूसरा करे ।

तीसरी बात यह है कि हमारे न्याय के अन्दर जिस प्रकार का स्थान हिन्दी भाषा को मिलना चाहिये वैसा नहीं मिल सका है। हम हिन्दी भाषा को जिस स्तर पर लाना चाहते हैं उसके लाने में बहुत सी कठिनाइयां हैं। पेशकार लोग या और जो वहां रिपोर्टर्स होते हैं वे हिन्दी भाषा को न अपना कर अभी तक उसी पुराने तरीके से काम करते चले आ रहे हैं और सारा काम इंगलिश में हो रहा है, इसलिये ऐसी स्थिति में ऐसा स्पष्ट आदेश देना चाहिये कि वे इंगलिश भाषा में कार्य न करें । जितनी भी दरख्वास्तें आवें वे सब हिन्दी भाषा में आनी चाहिये और किसी प्रकार से कोई कार्य अंग्रेजी में नहीं होना चाहिये।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---श्री उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण और अन्य सदस्यों का भाषण सुना। मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने सिर्फ १८ जिलों में न्याय और प्रबंध अलग कर रखा है और दूसरे जिलों में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट न्याय देने में कुछ गड़बड़ करते हैं । जब आप दो पावर एक ही आदमी के हाथ में रखते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि जो मैजिस्ट्रेट किसी आदमी को गिरफ्तार करवाता है या अपने हुकुम से यह अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुकुम से तो वह उसको किस प्रकार से न्याय देगा यह आप विचार कर सकते हैं। रही शिकायत की बात मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने पिछले साल भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम हमारे जिले में तो आप जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग कर दीजिये क्योंकि वहां पर न्याय नहीं मिल पाता है और मैजिस्ट्रेट जो है वह प्रबंध का अधिक ख्याल रखता है और न्याय की परवाह नहीं करता है। शायद माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात नहीं आ सकती है लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल मैंने कुछ मुलाजिमों के मुकदमों की एक अरजेन्ट (Indent) अप्लीकेशन दी थी इस गरज से कि उनके कागजों की नकल दे दी जाय। लेकिन अब एक साल

हो गया है वह नहीं दी गई । इसका कारण यह है कि मैजिस्ट्रेट को इस बात का डर नहीं रहता है कि वह उनके साथ न्याय बरते, मुलजिमों को केस की नकल दे और उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करे क्योंकि वह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पालिसी पर या उसके आदेश पर काम करता है । तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह न्याय दे ? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां पर इन शिकायतों का इंतजार न करे। यह तो सैद्धांतिक बात है कि न्याय और प्रबंध पृथक् होना चाहिये इसलिये कम से कम हमारे जिले में तो अवश्य जुडिशियरी अलग कर दी जाय। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो सरकार अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकती है तो उसको शासनारूढ़ रहने का अधिकार नहीं है। उसका यह परम कर्त्तव्य है कि वह इंसाफ दे। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कम से कम सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिये कि जो मुलजिम हों उनको बेल अप्लीकेशन की सुविधा अवश्य देनी चाहिये क्योंकि मुलजिमों को यह कानून की रूह से अधिकार है कि उनकी जमानत मंजूर की जाय लेकिन आम तौर पर मैजिस्ट्रेट स्वयं ही जब कानूनी कार्यवाही करता है तो उसकी दरख्वास्त को नामंजूर नहीं करता है। लेकिन तस्दीक के बहाने कई दिनों तक टालमटोल करता है । इसका नतीजा यह होता है कि बेचारे मुलजिम को इतना अरसा अण्डर ट्रायल में उसको रहना पड़ता है जितना कि उसको जुर्म साबित होने पर सजा भी नहीं मिल सकती है । इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मुलजिमों को बेल की सुविधा अवश्य होनी चाहिये जैसा कि वांचू रिपोर्ट में कहा गया है कि जमानत की दरख्वास्त पर आर्डर उसी रोज होना चाहिये जिस रोज दरख्वास्त पेश की जाय और जब तक वैरिफिकेशन होता है तब तक एफिडैविट पर जमानत मंजूर होनी चाहिये ।

इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव और पेश कर दूं कि बेल एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन होता है वह तहसीलदार पटवारी या पुलिस के जरिये से कराया जाता है, इसमें बहुत देर लगती है और गड़बड़ी होती है । अच्छा हो अगर वह ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाय ताकि लोगों को इससे सुविधा मिले। इसके अलावा जो लोकल मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं वह कतई न रखे जाने चाहिये चूंकि वह लोकल बायस्ड होते हैं और उनके प्रिजुडिसेज होते हैं और उनसे असर लेकर वह फैसले में ग़लतियां किया करते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक और अर्ज भी करना चाहता हूं वह यह है कि पहले तो टेहरी में हाई कोर्ट था, अब हाई कोर्ट न रखा जाय तो कोई बात नहीं है लेकिन सिविल एण्ड सेशन कोर्ट रहना वहां बहुत आवश्यक है और वह हमेशा से वहां है। अब ऐसा सुना जा रहा है कि उसको सरकार का हटाने का विचार है, मैं समझता हूं कि उस कोर्ट को हटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे सिविल ऐण्ड सेशन कोर्ट दो तीन जिलों के लिये एक रखा जाता है। जिस तरह से नैनीताल बग़ैरा में सुविधा है वैसे ही टेहरी में वह रखा जाय, वह घूमता रहेगा लेकिन वहां से रिकार्ड आफिस को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आफिसेज भी हटाये जायं तो प्रत्येक जिले के रिकार्ड के लिये एक रिकार्डकीपर रख कर रिकार्ड वहीं रखा जाय ताकि वकीलों को मिसल मुआयने में और नक़ल लेने में दिक्कत न हो और लोगों को वकीलों को लेकर दूर न जाना पड़े। इसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, जज तो घूमेंगे ही लेकिन प्रत्येक जिले की जो मिसलें हैं वह वहीं जिले में रहा करें। इसके अलावा जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा हाई कोर्ट के बारे में कि जो जिले लखनऊ के करीब पड़ें उनको लखनऊ के और जो इलाहाबाद के करीब पड़ें उनको इलाहाबाद के जुरिसडिक्शन में रखा जाय इससे हम भी सहमत हैं और बहुत सहूलियत होगी।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके

[श्री बलवीर सिंह]

लिये उनको बधाई देता हूं और मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि जब से उन्होंने जस्टिस का पोर्टफ़ोलियो लिया है उन्होंने हमारे सूबे की न्याय प्रणाली को ठीक करने की बड़ी भारी कोशिश की है और मुकदमात का डिसपोजल जल्द से जल्द कराने के लिये भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है । और उनकी इस भावना को देख कर बहुत ही खुशी भी होती है लेकिन उनकी हत्तुलइमकान कोशिश के बावजूद भी हमारे यहां मुकदमात के फैसले जो होते हैं, क्योंकि आज भी वहां वही अंग्रेजियत का तरीक़ा चला आ रहा है, उसकी खराबियों की वजह से जनता को वह सन्तोष नहीं होता जो कोर्ट में एक झगड़े को ले जाकर तै होने में होना चाहिये । मैं अपनी ३० साल की वकालत के दौरान में बराबर देखता आया हूं कि लोग चाहे वह पढ़े लिखे हों या बेपढ़े लिखे हों, वह कोर्ट में जाने से घबराते हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहां कोर्ट में जाने से लोग न्याय और रेमेडी फौरन पाते हैं । पर हमारे यहां का प्रोसिजर ऐसा ग़लत हो रहा है कि अव्वल तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती और अगर अदालत में जाना ही पड़ता है तो उसको जल्द इन्साफ नहीं मिलता बल्कि उससे पहिले उसकी तबियत का फ़ैसला हो जाता है और वह परेशान हो जाता है । यह चीज इस सरकार के बस की नहीं है जब तक कि इस सम्बन्ध में हमारी सहायता केन्द्रीय सरकार न करेगी तब तक कुछ होना कठिन है । जहां तक इस प्रदेश की सरकार का संबंध है यहां हत्तुलइमकान कोशिश जरूर की जाती है ।

अब मैं, माननीय नारायणदत्त जी ने जो हाई कोर्ट की बांच लखनऊ के विषय में कहा है उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा इस सदन को अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हाई कोर्ट का अमलगमेशन १९४८ में हुआ था । अमलगमेशन की खास वजह यह बतायी जाती थी कि मुकदमा वालों को सुभीता हो और उसके फलस्वरूप यह भी तय हुआ था कि उसकी एक बांच लखनऊ में नजदीक के जिलों के मुकदमे तय करने के लिये रहा करेगी । उम्मीद यह की जाती थी कि जो बांच यहां पर रहेगी वह स्थायी रूप से रहेगी और नजदीक के जिलों के मुकदमे तय कर लिया करेगी जिससे जल्दी मुकदमे तय हो जायेंगे । लेकिन आज यहां पर यह देखा जाता है कि जज स्थायी रूप से यहां पर नहीं रहते बल्कि २ या ३ जज यहां पर आते हैं और मुकदमों को तय करते हैं । ऐसी सूरत में उनको आने जाने का भत्ता, टी० ए० और डी० ए० दोनों ही मिलने का हक उनको हासिल रहता है । इससे गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो जाता है । साथ ही साथ इसकी दूसरी ख़राबी यह है कि जो यहां के नजदीक के जिले हैं उनमें से फ़ैजाबाद और सुल्तानपुर का ताल्लुक है, और मेरी बातचीत उन लोगों से हुई, और इस सदन में इन जिलों के जो माननीय सदस्य हैं कल उनकी बातचीत से भी यही भावना मालूम हुई कि इन जिलों के मुकदमे लखनऊ बांच में हों । लेकिन बावजूद इसके उनके मुकदमे इलाहाबाद में सुने जाते हैं । जो जिले लखनऊ से पश्चिमी क्षेत्र में हैं यानी पहाड़ी जिले और मेरठ कमिश्नरी और रुहेलखंड कमिश्नरी के जिले हैं उन लोगों को लखनऊ होकर दो सौ मील आगे और जाना पड़ता है । तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब लखनऊ में हाई कोर्ट की एक शाख रहती है तो क्यों न उनके मुकदमे दो सौ मील इधर ही सुन लिये जायं ? इसमें कोई राज नहीं मालूम होता है ? क्या वजह है कि गवर्नमेंट ज्यादा ख़र्चा भी करती है और मुकदमे वालों को भी कोई सुभीता नहीं होता । ऐसा तरीका जिसमें पश्चिमी जिले वाले अपने मुकदमे फैसल कराने के लिये लखनऊ होकर २०० मील आगे इलाहाबाद जाते हैं और इलाहाबाद के जजेज़ आन टुअर लखनऊ आते हों तो अगर मैं यह कहूं तो ग़लत नहीं होगा कि हमारे प्रदेश में जहां तक न्याय का सम्बन्ध है कुछ जुगराफिया ही ग़लत हो रही है । या तो लखनऊ की बांच स्थायी रूप से रख दी जाय या लखनऊ बांच को न रखा जाय । लेकिन अगर नहीं रखी जायगी तो लोगों को नुकसान होगा । यहां पर बड़ी आलीशान इमारत है जिसमें

हाई कोर्ट के दस जज काम कर सकते हैं। और अगर दस जज स्थायी रूप से यहां रख दिये जायं तो ऊपर के जितने जिले हैं, रुहेलखंड, मेरठ और कुमायूं कमिश्नरी के, उनके मुकदमे यहां तय हो सकते हैं। इसलिये मैं माननीय न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां तक हो सके वह इस सम्बन्ध में जनता की सुविधा का ध्यान रखें ताकि उनके मुकदमे कम खर्च और आसानी के साथ तय हो सकें। क्योंकि आज तो यह ख्याल है कि मुकदमे करने वालों को केवल कोर्ट फीस ही नहीं देनी पड़ती है, जो कि एक तरीके से यह भी दुर्भाग्य है कि हम को कोर्टफीस देनी पड़ती है, जस्टिस ह्विच इज सोल्ड इज नो जस्टिस, इसके अलावा तीन गुनी कीमत देनी पड़ती है। वकीलों की फीस देनी पड़ती है और मुकदमे के दूसरे खर्चे बरदाश्त करने पड़ते हैं। दिन भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, न्याय के मामले में जैसा न्याय अंग्रेजी शासन काल से होता आया है, अभी तक वैसा ही चल रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभी तक वही प्रथा चल रही है। वह प्रथा हमारे लिये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें इक्विटी (Equity) दब गयी और ला (Law) काम में लाया जा रहा है। कानून बनाया जाता है वास्तविक न्याय की रक्षा करने के लिये, परन्तु जब ला (Law) इस तरह का बन जाता है कि इक्विटी (Equity) खत्म हो जाय तो वह ला (Law) असल में एक अन्याय हो जाता है।

यहां पर जो कानून है, जैसे मुखालफाना कब्जा या रहननामे की सूरत में दो गवाह चाहिये और यह भी सबूत होना चाहिये कि दस्तखत गवाहों के भी और रहन करने वाले के भी हर एक गवाह के सामने हुए हैं। इन बातों में अगर कहीं कमी है तो मुकदमा ही खारिज हो जाता है। यह असल में अन्याय है। और चूंकि यह मामला सरकार के समक्ष है मैं न्याय मंत्री से यह अर्ज करूंगा कि न्याय को सरल किया जाय और वास्तविक न्याय, जो इक्विटी (Equity) है, उसकी रक्षा की जाय, न कि कानून ऐसा बनाया जाय कि जो उसको इतना जकड़ दे कि वास्तविक न्याय ही खत्म हो जाय।

यह सन्तोष की बात है कि हमारी जुडीशियरी (Judiciary) में जज ईमानदार हैं। मगर उनके होते हुए भी अदालतों में जो आज हो रहा है वह सत्य की जगह असत्य चल रहा है। कोई भी मुकदमा बिना झूठ के बोले कामयाब नहीं हो सकता। चाहे मुकदमा कितना ही सत्य हो उसमें भी झूठी गवाहियां देनी पड़ती हैं। रुक्का हो, प्रोनोट हो, प्रोनोट में आम तौर से गवाहियां नहीं होती हैं मगर जब कोर्ट में जाता है, गवाह की जरूरत मालूम होती है। इसलिये बाद में दस्तखत कराकर रुक्का पेश करते हैं। इस तरह की हालत है कि एक ईमानदार आदमी के लिये आज कल के न्यायालय में जाकर ईमानदारी से काम करना असम्भव हो गया है। इसलिये इस बात को दृष्टि में रखना चाहिये कि वास्तविक न्याय हो और असत्य न बढ़े। लोग यह भी कहने लगे हैं कि अदालत का झूठ झूठ नहीं है। इसका असर यह हुआ कि हमारे देश का नैतिक पतन इसके कारण बहुत ज्यादा हुआ है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे अदालत में जाकर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और वह अपनी नैतिकता से गिर जाते हैं। इसलिये इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तीसरी बात यह कह देना चाहता हूं कि आज कल मुकदमात में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर कोई दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट तक चला गया तो जितने का मुकदमा होता है, उसका आधा तो खर्च में लग जाता है। कहावत हो गयी है कि "जो जीता वह हारा और जो हारा वह मरा।" जीतने वाले का भी इतना नुकसान हो

[श्री रतनलाल जैन]
जाता है कि वह हारे के बराबर हो जाता है और जो हार जाता है वह खत्म हो जाता है। जिस न्याय का मूल्य पैसे से हो वह न्याय नहीं कहा जा सकता। वह न्याय के विरुद्ध है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा।

साथ में यह भी कह देना चाहता हूं कि आजकल न्याय में बड़ी देर होती है। अभी काटजू साहब ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया अगर कोई दीवानी का मुकदमा नीची अदालतों में जाता है तो दो तीन वर्ष लग जाते हैं और हाई कोर्ट में सात आठ वर्ष लग जाते हैं और यहां तक हो गया है कि एक पीढ़ी में भी बाज मुकदमे खत्म नहीं होते इतनी देर में न्याय का होना अन्याय है। "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" (Justice delayed is Justice denied) इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जस्टिस में देर इतनी नहीं लगनी चाहिये और कोई भी मुकदमा इतनी देर तक नहीं चलना चाहिये।

जापान में एक साहब गये थे उन्होंने बताया कि जापान में इतनी सरलता है कि एक मुकदमा दायर हुआ, किसी ने शिकायत की, फौरन ही जज ने एक आदमी भेज दिया प्रतिवादी को बुलाने के लिये और उसी रोज तय कर देते हैं। इतनी सरलता है वहां। हमारे यहां हालत यह है कि दो वर्ष लग जायं, चार वर्ष लग जायं, १० वर्ष लग जायं। हाई कोर्ट तक गया तो १० वर्ष लगना एक मामूली सी बात है। इसलिये यह सरल होना चाहिए।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि आज कल ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से कई जिले एक जज के मातहत हैं मगर सब-जज, सेशन जज आदि अलग-अलग हैं और सेशन जज और सब-जज आदि उन्हीं जिलों में काम करते हैं जिन जिलों के लिए वे तैनात हैं मगर जज दूसरे जिले में रहते हैं जैसे हमारा जिला बिजनौर है। उसका जज मुरादाबाद में है मगर सब जज और सेशन जज वहीं हैं। इसके लिये यह रूल बना दिया जाय कि मिसिलें वहीं रहनी चाहिएं। मिसिलों के दूसरे जिलों में जाने में बड़ा भारी खर्च होता है। कोई गवाह हो या किसी को जरूरत हो तो उसको मुरादाबाद भागना पड़ता है। बड़ी परेशानी होती है। तो यह बड़ी दिक्कत है। मैं समझता हूं कि अगर यह कर दिया जाय कि एक रेकर्ड अफसर या एक क्लर्क रख दिया जाय जो रेकर्ड रख सके तो बड़ी सहूलियत होगी। गवर्नमेंट का खर्चा बच जायगा, हजारहां रुपया जो मिसिलों के इधर-उधर भेजने में लगता है वह बच जायगा और साथ में मुकदमे वालों को भी बड़ा लाभ होगा। मैं इधर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्वाइंट पर खास तौर से तवज्जह दी जाय।

न्याय मंत्री जी ने कहा था कि फौजदारी के मुकदमों में गवाह नहीं मिलते। गवाह न मिलने का एक कारण यह भी है कि अगर कोई डाके का मुकदमा है तो गवाह गवाही देने में डरता है कि अगर कहीं वह झूट कर आया तो उसके ऊपर वार करेगा और फिर कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं होगा। पुलिस उसकी रक्षा करने नहीं जाती। इस बात को भी ध्यान में रखें कि जो गवाही में दिक्कत पड़ रही है उसका कारण एक यह भी है कि आतंक है और उस आतंक का भी ख्याल होना चाहिये। इसलिये मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज कल फौजदारी और डाकेजनी बढ़ रही है। इसलिये मैं उधर भी ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय, न्याय विभाग की सेवा में कुछ अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं। एक बात तो यहां पर मैं समझता हूं कि इधर और

उधर दोनों तरफ के लोग मानते हैं और स्वयं माननीय न्याय मंत्री महोदय ने भी कहा कि जो न्याय प्रणाली पहले से विदेशी सरकार की ओर से चली आ रही थी उसी के पीछे हम चल रहे हैं और अभी तक उसको बदल नहीं सके, बदलने की सख्त जरूरत है। यह बात निर्विवाद हर एक व्यक्ति मंजूर करता है और इस बात पर भी कोई जोर देने की जरूरत नहीं कि सदन का हर एक व्यक्ति चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो यह भी महसूस करता है कि आज कल की न्याय प्रणाली बहुत महंगी है और इसमें बहुत समय भी लगता है। साथ ही साथ यह भी बात हर एक भाई मानता है कि आज जितना करप्शन कोर्ट्स के अन्दर है वह भी किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल केवल इतना ही है कि जब हम यह जानते हैं कि रिश्वतखोरी, करप्शन वगैरह कोर्ट्स के अन्दर उतना ही साफ दिखलाई पड़ता है जिस तरह से कि सूर्य के दर्शन हमको होते हैं, तो फिर क्या वजह है कि इसकी हम रोक-थाम नहीं करते? मुझे कहना यह है कि आज आपके यहां न्यायालय का आदर्श है, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रिमकोर्ट एक तरह से न्याय विभाग के आदर्श हैं। इन आदर्शों के होते हुए भी नीचे के न्यायालयों में इतना करप्शन रहे, नीचे के न्यायालय में तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मैं यह कहूंगा कि इसमें सरकार का ही दोष है। इसमें और किसी का दोष नहीं है। मैं यह जानता हूं कि आज जितने डिप्टी कलेक्टर्स हैं और जितने भी आपके जूडिशल मैजिस्ट्रेट्स कायम किये गये हैं वे सब एक तरह से पुलिस की मुट्ठी में रहते हैं। आपने आज जिलों में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रखे हैं उनमें से बहुत लोग तो अभी तक अनकन्फर्म्ड हैं। उनकी सर्विसेज साल ब साल चलती हैं और वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रहम पर चलती हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं उनका जो सम्बन्ध है वह सेशन जज से होना चाहिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी चोटी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में रहती है। आज जो पुलिस का केस होता है वह चाहे कैसा भी क्यों न हो, कमजोर क्यों न हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डर से वह ठीक हो जाता है। वह कहते हैं कि हमें तो दूसरे साल भी नौकरी करनी है। यह तो नयों के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पुराने डिप्टी कलेक्टर हैं वह भी कहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कहेगी उस तरह से अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी खैर नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज कल के जमाने में जब कि किसानों की फसल खड़ी है और जिस तरह का वातावरण गांवों के अन्दर है किसी ने किसी करब में आग लगा दी, या एक जगह आग लग गयी और जिसकी करब में आग लगी · उसने रिपोर्ट लिखा दी कि इतने मन करब का नुकसान हो गया और इस किसान ने यह नुकसान किया तो वह सारा घर जेल में चला जाता है। अगर जमानत की दरख्वास्त देते हैं तो दरोगा कहता है कि हम आज तैयार नहीं हैं और फिर दूसरी दरख्वास्त देते हैं तो फिर दरोगा यही कहता है कि हम तैयार नहीं हैं। अब आप ही कहिये कि जब फसल खड़ी है और उस किसान के सब आदमी जेल में चले गये हैं तो इस तरह से सरकार अपना भी नुकसान करती है और जो लोग जमानत देते हैं उनको भी परेशान करती है। यह सब बातें सब-इन्सपेक्टर के रहम पर होती हैं। अगर मामला कोर्ट में भी गया तो जब तक प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर को रुपया न दिया गया तो कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात जमानत देने वालों की जांच तहसीलों में १०७–११७ की बात होती है। जब तक थानेदार न कह दे कि सेक्योरिटी देने वाला ठीक है तब तक वह नहीं माना जाता है। मैं कहता हूं कि इन सब बातों से आपके न्याय की शान नहीं बढ़ती बल्कि घटती है। मैं आपके सामने यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकारी आंकड़े सही बात नहीं बतलाते हैं। मैं भी आपके सामने कुछ आंकड़े बतलाता हूं। लड़कियों के भगाने में, रेप (बलात्कार), रोबरी और डकैती इन सब में चारों तरफ बढ़ोत्तरी हुई है और

[श्री मलखान सिंह]

कोई कमी नहीं हुई। नेक चलनी के सिलसिले में आज जेलखानों में कितने आदमी बन्द हैं वह इस तरह के आंकड़ों से साबित होता है। कानपुर में ७९४, लखनऊ में ४६६, आगरा में ६२८, इलाहाबाद में ३८० और सहारनपुर में ४०२। इसी तरह से मुकदमे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतला दूं कि मुकदमे ठीक समय पर नहीं होते हैं और एक एक मुकदमे में ७०-७० तारीखें पड़ती हैं। मैं आपको यह बतलाता हूं कि सन् १९५० में आपने गवाहों के ऊपर ८ लाख ४० हजार १३५ रुपया डाइट मनी पर खर्च किया है और इसी तरह से सन् १९५१ में आपने डाइट मनी पर ८ लाख ८४ हजार १९ रुपया खर्च किया है। इस तरह आपका एक ही साल में डाइट मनी पर ४४ हजार रुपया बढ़ गया। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके देखें कि ये बातें क्यों हो रही हैं।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो पौधा जहां पर और जिस वातावरण में पैदा होता है, वहीं पर वह अच्छी तरह से फलता फूलता है। लेकिन हमारे लिये खेद का विषय है कि यहां अभी तक जो पौधा रहा है वह बृटिश सिस्टम का रहा है और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी, हमने अभी तक उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की है। जो यहां पर पौधा न्याय का था, उसको बदलने में अभी तक मुश्किल थी लेकिन अब वह बदला जा सकता है। पहले उन्होंने अंग्रेजी के अपने इस सिस्टम को बहुत समझ बूझ कर यहां पर रखा था और बदलने में उन्होंने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। यदि आज हम उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिये हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और उसको तब्दील करने में बहुत सी मुश्किलें भी होंगी। मैं समझता हूं कि उस सिस्टम में जो अच्छी बातें हैं, उनको तो हम लेलें लेकिन जहां उसकी और बातें हैं जिनसे कि समाज पर बुरा असर पड़ता है, उनको हमें छोड़ देना चाहये। इस तरह से उनका जो सिस्टम चला आ रहा है और उसका बुरा असर पड़ता है, उसका प्रभाव जनता के दिमाग पर भी बुरा पड़ता है और आज जो कचहरी या न्यायालय हैं और वहां जो न्याय होता है, आज कचेहरी में आदमी सच नहीं बोल सकता है। सच बात तो यह है कि यहां की कचेहरी में जाकर आदमी से सच बोला नहीं जा सकता है। अगर आप यह समझते हों कि कोई आदमी कचेहरी में जाकर सच बोलेगा, तो आपका ख्याल गलत है। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो सिस्टम हमारे यहां है, उसमें आदमी कचेहरी में जाकर झूठ ही बोलेगा। आज हमारे यहां इस तरह के सिस्टम में जितनी बुराइयां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिये, मैं समझता हूं कि पहली चीज जो इसमें है वह यह है कि जो हमारे जस्टिस के काम के तरीके हैं, उनमें कुछ सुधार होना चाहिये उसके लिये हमें जरूर कुछ न कुछ ऐसे तरीके निकालने चाहिये जिससे कि न्याय ठीक तरह से हो सके। मेरी समझ में यह आता है कि पंचायतों का जो सिस्टम है, वही सबसे अच्छा और उपयुक्त सिस्टम है जिससे कि जल्दी और सही न्याय हो सकता है। हमारे यहां तो पहले भी पंचायतें फैसला करती थीं और वास्तव में पंचायतों का फैसला उचित हो सकता है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिये दुःख का विषय है कि हमारे यहां पंचायतों के फैसलों में भी वेस्टर्न तरीकों को ही क्यों अपनाया जाता है। मेरा अपना विश्वास यह है कि अगर हम पुराने तरीकों को अपनायें और उसी तरह के प्रयोगों को इकट्ठा करें, तो उचित फैसले होंगे। इसके लिये कहा जाता है कि इस तरह से गलत फैसले हो सकते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से गल्ती नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह खर्च के बारे में है। आज न्याय में बहुत खर्चा होता है और इस न्याय के जरिये सिर्फ अमीर आदमी ही फायदा उठा सकता है और गरीब आदमी के लिये इसमें न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि यह कानून तो सिर्फ बड़े आदमियों के लिये है, गरीबों के लिये इसमें न्याय नहीं हो सकता है क्योंकि वह इसके लिये अधिक रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि एक आदमी ही इसके लिये उचित जजमेंट दे सकता है, तो यह बात सही नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी, आदमी है और उसमें कमजोरिया हैं, तो यहां फैसला ठीक नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि कैपिटल

पनिशमेंट को एबालिश कर देना चाहये। इसकी वजह यह है कि जिस चीज को हम दे नहीं सकते लेने के बाद, उसको हमें लेना ही नहीं चाहिये।

तीसरी चीज में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आज कल हमारा सिस्टम है उसमें हमने जमाने की गति के अनुसार कोई तब्दीली नहीं की है। साइकालोजी के इंवेस्टीगेशन में हम यह देखते हैं कि जो हमारी क्रिमिनालाजी है वह बिल्कुल ही पुरानी हो गयी है, लेकिन हमारे सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। एक क्रिमिनल के बारे में यह माना गया है कि वह डेलीबरेट डूअर होता है लेकिन साइकालोजिकल इंवेस्टीगेशन से ऐसा पता चलता है कि ऐसी भी दशायें हो सकती हैं जब आदमी बिना समझे बूझे गल्तियां करता है और वह न्याय की दृष्टि में और आज कल के कानून के दृष्टिमें पाप है, अपराध है। मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसी कि मिसाल के लिये मैं आप को बता दूं कि सोमनामबलिज्म एक ऐसी डिजीज है जो एक दिमाग की बीमारी है। एग्जी-बिशनिज्म, विजिशनिज्म और क्लेप्टोमैनिया आदि ऐसी बीमारी हैं जिन के ऊपर मनुष्य का अपने आप कंट्रोल है नहीं। एक अनकांशस टेंडेंसी उसके ऊपर प्रभाव डालती है जिस के असर से वह गलती करता है। वह जानता नहीं है कि कानून किस चीज को रोकता है, वह मजबूर होता है। वह चूंकि एक पेशेंट है, इसलिये जरूरत इस बात की है कि उसका इलाज किया जाय। इन चीजों के साथ मैं यह चाहता हूं कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में तब्दीली हो और जो हमारा पुराना भारतीय सभ्यता का सिस्टम है वह अपनाया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से विरोधी दल के तीन सदस्यों के भाषण सुने। जहां तक ठाकुर साहब का संबंध है उनके भाषण के संबंध में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है क्योंकि वह एक पुराना गीत है, एक पुराना राग है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के कहने में रहता है। चाहे जैसी दुनिया बसा दी जाय लेकिन जो राग चल पड़ता है वह अपने ही रास्ते पर चलता है। जहां तक तिवारी जी का संबंध है, उनके विषय में भी मजबूर हो करके आज कहना पड़ता है कि वे भी केवल रिपोर्ट पर आधारित हैं और वास्तविकता की दुनिया से बहुत दूर हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या रिपोर्ट वास्तविकता से दूर है?

श्री रामनरेश शुक्ल—वे रिपोर्ट जब हुई तब से बहुत कुछ न्याय की प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। जैसे आप ने यह फरमाया कि मुंसिफों को तीन वर्ष या दो वर्ष तक वकालत करने के बाद ही इम्तहान में बैठने देना चाहिये। मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि यह पहले से कर दिया गया है और जो पिछला इम्तहान हुआ है इसमें दो वर्ष की प्रैक्टिस किये हुये जो वकील हैं वही इम्तहान में बैठ पाये हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसी चीज का सही पता न रख करके उसकी मांग कर देना उचित नहीं है। जहां तक श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट जी का संबंध है उनके विषय में मैं यह कहूंगा कि रियासतों में जो न्याय हुआ करता था, उस न्याय की प्रणाली से इस न्याय की प्रणाली में कोई समता हो ही नहीं सकती। टेहरी की न्याय प्रणाली मुझे पढ़ने का मौका तो नहीं मिला लेकिन जैसा और रियासतों में न्याय हुआ करता था, वे भी उनके छोटे भाई हैं, वहां भी वही न्याय प्रणाली रही होगी। उनको इस न्याय प्रणाली से संतोष होना बड़ा कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी से एक दो बातें निवेदन करूंगा। यह सच है कि लखनऊ में बेंच बनाई गयी। पहली बात तो यह समझ में नहीं आती कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट हो और लखनऊ में उसकी बेंच रहे। पंजाब की एक कहानी हम बचपन में सुना करते थे कि लाहौर में कालेज हो और लोधियाना में उसका होस्टल हो, ठीक वही चीज यहां चरितार्थ हो रही है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट हो उसकी एक बेंच लखनऊ में विराजमान रहे, वह इसलिये कि लखनऊ के कुछ बड़े वकीलों को खुश करना है, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। लेकिन अगर उनको खुश करना लाजिमी ही है तो वे बातें जो मैंने कही

[श्री रामनरेश शुक्ल]
थीं कि यह अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ लखनऊ है, इस का मुकाबला इलाहाबाद नहीं कर सकेगा, जब हमारा जमाना आयेगा। मालूम यह पड़ता है कि वह सब चीजें भूल गयीं। लेकिन अगर यह मुनासिब ही है कि एक बेंच लखनऊ में हो तो फिर प्रतापगढ़ को लखनऊ में क्यों शामिल कर लिया गया है। अवध में हम को रखिये, अवध में हम रहेंगे लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहने दीजिये। बहरहाल हमारे यहां जाने में आप को क्या दिक्कत है, हमें वहां जाने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि दीवानी अदालतों की जो इमारतें हैं वह बड़ी खराब हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां जो दीवानी अदालत की इमारत है, वहां यह कहावत महशूर है और ठीक भी है कि जब पहले-पहल अंग्रेज यहां आये थे तब उस जमाने में उनकी फौज के घोड़े उसमें बांधे जाया करते थे। उसकी हालत बहुत बुरी है और उसकी तरफ भी कुछ ध्यान होना जरूरी है। अलावा इसके हमारे यहां सेशन जज तो रहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब रायबरेली में तशरीफ रखते हैं, यह भी कठिनाई है।

यह जितनी घरेलू बातें हैं इनको छोड़ कर अब मैं एक दो शब्द सिद्धांत की बातों पर कहना चाहता हूं। श्री तिवारी जी ने कहा कि पंचायत अदालत में चुनाव हो करके तब पंचायत अदालत बननी चाहिये। मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ खराबी इस वक्त प्रान्त की न्याय शासन प्रणाली में है उसकी जिम्मेदारी पंचायती अदालतों पर है। इसलिये या तो पंचायती अदालतें हटा दी जायं या अगर वह तोड़ी न जायं तो जैसा कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पंचायती अदालतों के पंचों की नामजदगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिस संस्था से चाहिये, होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह बात सत्य है कि जहां तक वकीलों का संबंध है मैं बिलकुल सहमत हूं शिव कुमार जी से कि कुछ ऐसा रास्ता हमें निकालना है कि आज जो एवीडेन्शल जस्टिस हो रही है जिसके अन्दर इसका संबंध हो, आज की जो न्याय प्रणाली है वह ठीक वैसी ही मालूम पड़ती है जैसे एक लकड़ी को बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनाकर किसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस में जीवन नहीं है, इस में सत्यता नहीं है क्योंकि इसमें एक हाव भाव और देखाव है, चारों तरफ ऐसा किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जनता जानती है, और गवर्नमेंट जानती है और सब जानते हैं कि यह कत्ल किये चला आ रहा है लेकिन वह ठाठ से अदालत से छूट कर चला आता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि गवर्नमेंट कोई ऐसी प्रणाली निकाले कि जिससे सत्य का सत्य और झूठ का झूठ हो जाया करे।

श्री मुश्ताक़ अली खां (जिला बदायूं)—जनाबवाला, जो तकरीरें इस सिलसिले में हुईं उनको मैं गौर से सुनता रहा हूं। मुझे चन्द बातें अपने हलके के बारे में कहनी हैं। मैं यह नहीं अर्ज करूंगा कि न्याय कैसे होना चाहिये। मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास मुंसिफों की कमी है और आइन्दा जब कम्पटीशन होगा तब काफी आदमी मिल सकेंगे। मैं यह मालूम करना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में अपनी पालिसी कतई तौर पर बतला दें ताकि हम अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की शिकायतों का जवाब दे सकें। मैं बदायूं जिले से आया हूं। वहां ५ तहसीलें हैं और पहले हर तहसील में एक मुंसिफ रहा करता था। कुछ अदालतें बनी हुई हैं और वहां थोड़े से अहलकार अब भी काम कर रहे हैं मगर एक अरसे से वहां मुंसिफ नहीं हैं। मैं सहसवान से आया हूं और वहां १ साल पहले तक मुंसिफ था। हमारे यहां काफी बड़ी तहसील है और गुन्नौर के लोगों को जो कि अलीगढ़ और बुलन्दशहर से मिली हुई है और जो पहले सहसवान आया करते थे उन्हें अब २५ मील और जाना होगा। इसके अलावा मुफस्सिलात के वकला वहां के इलाकों और लोगों से वाकिफ हैं और उनकी जरूरतों को समझते थे। अब उनको बदायूं जाना पड़ता है जो कि वहां से ७५ मील है। क्या इस सिलसिले में हुकूमत यह पालिसी बना सकती है कि मुफस्सिलात में मुंसिफ साहबान न रखे जावें ?

मैंने एक सवाल किया था और यह जवाब मिला था कि चूंकि सहसवान में काफी काम नहीं है इसलिये वहां से मुंसिफ को हटा लिया गया है। लेकिन काम तो वहां उतना ही है जितना पहले था। अगर वहां काफी काम नहीं होता तो सहसवान की मुंसिफी के काम को तीन जगह में तकसीम नहीं किया जा सकता था। मगर वहां के अब जितने मुकद्दमे हैं वे बदायूं जाकर दायर होते हैं। तो क्या हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी मुंसिफ को वह सहसवान में या किसी दूसरी जगह तैनात कर दे और वह खफीफे के २५० रुपये तक के मुकद्दमात भी सुन सके? एक मेरी गुजारिश यह है कि मुंसिफ के न होने से बड़ी दिक्कत है। वकला भी बहुत परेशान हैं।

दूसरी बात जिसके बारे में और मुअज्जिज भाइयों ने भी कहा यह है कि हाई कोर्ट की अदालत की दुश्वारी है। हम लोगों को जो कि पश्चिमी अजला में रहते हैं क्या जरूरी है कि हम मजबूर किये जावें कि हम अपने मुकद्दमात के सिलसिले में इलाहाबाद ही जाकर पैरवी करें? जब हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट को एक कर दिया तो हम कोई वजह नहीं पाते कि हमको मजबूर किया जाय कि हम अपने मुकद्दमात के लिये लखनऊ को छोड़कर इलाहाबाद जावें। मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं गवर्नमेंट पब्लिक के लिये यह आसानी पैदा करती।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पश्चिमी जिले जैसे मेरठ, सहारनपुर, वगैरह के रहने वाले क्यों मजबूर किये जाते हैं कि अपने मुकद्दमे के लिये लखनऊ की बीच को छोड़कर इलाहाबाद ही जावें। अंग्रेजों के जमाने में मुझे खयाल है कि चिन्तामणि एडीटर आफ दि लीडर जब इस सदन के मेम्बर थे हमेशा इस सवाल को उठाते रहे कि इलाहाबाद के साथ अंग्रेज वह सलूक नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने वकालत शुरू की थी हमारे देश में उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में जितनी बुराइयां थं वह सब रायज थीं। लेकिन आजाद हो जाने के बाद भी अदालतों में जो काम हो रहे हैं उनमें अंग्रेजी हुकूमत के सामने से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया है। जो हालत तब थी वही हालत आज भी मौजूद है। सरकार ने इस बात को बड़े जोर से कहा कि जुडीशियल और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जायगा। आजादी के पहले हमने भी बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जायगा लेकिन यह काम अभी तक यदि कुछ हुआ भी है किसी अंश में तो वह इतना अधूरा हुआ है कि वह एक प्रहसन है। एक मजाक की चीज सी रह गयी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि जस्टिस का नग्न चित्र मूर्तिमान करना है तो जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेट होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अनिवार्य है और इसे इतने साहस से करने की आवश्यकता है कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही हो और देरी की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाय। अदालतों में आज विशेष रूप से जो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स में क्लायन्ट्स आते हैं दिन भर बैठे रहते हैं मैजिस्ट्रेट्स एक्जीक्यूटिव के काम में जिले के गांव-गांव में दौरा करते हैं और आये दिन केसेज पोस्टपोन हुआ करते हैं। नतीजा यह होता है कि दिन भर बैठा हुआ मुवक्किल परेशान हो कर चला जाता है और उसे कोई सरटेन्टी नहीं रहती कि उसका केस कब लिया जायगा। मैं अपने आजमगढ़ जिले की बात जानता हूं कि गांवों से दूर-दूर से मुअक्किल आते हैं और दिन भर परेशान होकर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जुडीशियरी के बारे में एक आतंक और भय लोगों पर छाया रहता है। जब वे कोर्ट में आते हैं तो वे इस वातावरण में नहीं आते हैं कि जस्टिस मिल जायगा बल्कि वैसे ही डरे हुये वहां जाते हैं जैसे कि पुलिस से डरते रहते हैं। जस्टिस भी डरानेवाली और परेशान करने वाली चीज हो गई है। इसका एक ही उपाय है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक

[श्री पद्मनाथ सिंह]

माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप बड़े साहस के साथ चाहे जितना भी खर्चा पड़े, चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन बिलकुल कर दें और उसमें कोई हिचकिचाहट या हाफवे बात न करें वरना कोई अन्तर नहीं होगा। बजट तो जरूर पास हो जायगा और उसकी आवश्यकता भी है जस्टिस के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये लेकिन अगर देश में एक स्वतंत्र जुडीशियरी रखनी है, अगर अंग्रेजों हुकूमत के जमाने से विभिन्नता रखनी है तो अविलम्ब बिना किसी हिचकिचाहट के आपको एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी को सेपरेट करना है।

इसके बाद जो हाई कोर्ट का बाईफरकेशन यानी विभाजन इलाहाबाद हाई कोर्ट और ब्रांच आफ हाई कोर्ट ऐट लखनऊ है वह बड़ी हिचकिचाहट से हुआ है। बड़े ही लहजे से, बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ वह कदम उठाया गया है। लेकिन आज उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लखनऊ बार असोसियेशन डेली डेटरीओरेट कर रहा है। क्लायन्ट भी परेशान है और बार असोसियेशन भी परेशान है कि क्या यह ब्रांच जो रहा है वह भी इलाहाबाद चला जायगा और लोग समझते हैं कि दो तीन चार वर्ष में यह ब्रांच अबालिश हो जायगी यह जेनरल चर्चा है। और यह चर्चा क्यों है, मैं नहीं जानता, शायद इसलिये है कि वहां की बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है और यहां की इमारत खाली पड़ी हुई है। अगर इसको अबालिश करना है तो अबालिश कर दिया जाय ताकि क्लायंट्स के दिलों में कोई बात पैदा न हो और अगर नहीं करना है तो यह ५२ जिलों का सूबा है तो इस तरह से कर दिया जाय कि जो जिले उससे पास हों उनको उससे संबंधित कर दिया जाय। जैसे कानपुर यहां से पास है और सीतापुर वग़ैरा पास हैं तो उनको यहां से मिला दिया जाय। इसी तरह से जो जिले इलाहाबाद के पास हैं उनको वहां से कर दिया जाय। आज सब से ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि जस्टिस ठीक तरह से हो ताकि पब्लिक के मन में जस्टिस के प्रति एक आदर हो, स्टेबिलिटी हो। इस बात का निर्णय कर दिया जाय कि हाई कोर्ट किस तरह से काम करेगा। इस बात पर साहसपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ ब्रांच को इसलिये अबालिश नहीं किया जाता है कि इससे लोगों के सैंटीमेंटल व्हिम्स को अफेक्ट होगा और फायनेंलाइज भी नहीं किया जाता है क्योंकि उसको ठीक नहीं समझा जाता है। इस तरह से हिचकिचाहट होना पब्लिक और क्लायंट्स के दिमाग को डेटरोरियेट करता है और नुकसान पहुंचाता है।

मैं नम्र निवेदन करूंगा और इन दोनों बातों की तरफ, एक तो जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन और दूसरे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ ब्रांच की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह साहस से कदम उठायें और निश्चित रूप से अपना कदम उठायें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद में सदन केवल दो तीन बातों में उलझा हुआ है। मैं दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर ग़ौर करेंगे। पहली बात तो यह है कि आज कम से कम यदि सन् १९३६ और १९३७ ई० से हिसाब लगाया जाय तो १३, १४ वर्ष कांग्रेसी शासन को हो गये हैं और अगर १९४६ से भी देखा जाय तो तब भी सेंटर में और हमारे सूबे में ७ वर्षों से कांग्रेसी शासन है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेसी शासन का रवैया कुछ निराला है और इसको बहुत देर में अक्ल आया करती है। जैसे प्लानिंग के मसले को देखिये कि ६ साल तक प्लानिंग विहीन रह कर हुकूमत चलती रही फिर कहीं इसका सवाल सामने

आया। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद सब से पहला काम यह होना चाहिये था कि इंडियान पैनल कोड, सिविल प्रोसीडचोर कोड और क्रिमिनल प्रोसीडचोर कोड में आमूल परिवर्तन यानी एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिये था। आज कांग्रेस इतने दिनों से हमारे देश में शासन कर रही है लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया।

हमारे एक माननीय सदस्य ने जापान की बात कही। चीन की नई मिसाल ले लीजिये वहां उन्होंने अपने यहां पैनल कोड को सस्पेंड कर रखा है और सिर्फ खून के और कुछ औरतों के मामले के ही कानून रह गये हैं। वह नये सिरे से कोशिश कर रहे हैं और उनमें आमूल परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह वकीलों की सर्विसेज के नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारे देश की व्यवस्था है कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि अगर कहीं जगह न मिले तो या तो टीचर हो गये या फिर वकील हो गये। नतीजा यह होता है कि केसेज की तादाद तो कम होती है और वकीलों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और उनको केसेज नहीं मिल पाते। इसलिये वह केसेज लाने के लिये एजेंट्स रखते हैं जो मुकदमों को बढ़ाते हैं। सरकार से मेरा निवेदन यह है कि इस किस्म से उनको नियुक्त करे। लोगों की परीक्षा लेकर सब वकीलों को सरकारी नौकर बना लिया जाय और उनका लोएस्ट और हाइएस्ट ग्रेडेशन हो। इस तरह से अगर सरकारी व्यवस्था की जायगी तो काफी सहूलियत होगी। पहली सहूलियत तो यह होगी कि जो गरीब लोग हैं और पैसा न होने से न्याय नहीं पा सकते हैं और वकीलों को फीस नहीं दे सकते हैं तो उनको मुफ्त में वकील दिये जायं और जो लोग हाई कोर्ट वग़ैरा में जा सकते हैं और खर्चा बरदाश्त कर सकते हैं, उनसे माकूल फीस ली जाकर सरकारी खजाने में जमा किया जाय और वकीलों को मासिक तनख्वाह दी जाय। यह हो सकता है कि फीस ज्यादा हो और तनख्वाह कम हो। इससे कुछ बचत भी हो सकती है।

दूसरी बात जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में सरकार ने हाफ हार्टेड मेजर्स लिये हैं। उधर हालत यह है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स १९५ हैं उनमें से केवल ६३ परमानेंट हैं और १३२ टैम्पोरेरी हैं। और जहां उनको ज्यादा ऊंचा पद देने की बात की जाती है उनकी तनख्वाहें ३०० रुपये से शुरू होती हैं और २ वर्ष में २५ रुपये साल तरक्की देकर ५०० रुपये पर खत्म हो जाती है। कोई दूसरा प्रोत्साहन नहीं मिलता। जब कि एस० डी० एम० को ४५० से शुरू करते हैं और २५ रुपये साल तरक्की देते हैं और आगे चल कर वह जिलाधीश भी हो सकते हैं और दो हजार या डेढ़ हजार तक उनकी तनख्वाह पहुंच सकती है। एस० डी० ओ० और तहसीलदार भत्ते के जरिये से भी अपने वेतन को कम्पेनशेट कर लेते हैं लेकिन जुडीशियल आफिसर्स के केस में यह भी गुंजायश नहीं है क्योंकि उनको एक जगह पर रहना पड़ता है। इतनी कम तनख्वाह पर उनका ईमानदारी से काम करना असंभव है।

दूसरी बात यह है कि आई० पी० सी० में आमूल परिवर्तन करने की बात तो दूसरी है लेकिन इतना तो बहुत आसानी से किया जा सकता है कि तफतीश के समय पर पाबन्दियां लगाई जायं। शिनाख्त के समय में भी पाबन्दी होनी चाहिये कि इतने दिन के अन्दर शिनाख्त हो जानी चाहिये। पुलिस जो ठीक ढंग से मुकदमों की पैरवी नहीं करती उसके लिये इस बात का इन्तजाम होना चाहिये कि वह ठीक ढंग से करे। मैजिस्ट्रेटों के बीच में जो मुकद्दमों का बटवारा होता है उसका कोई खास नियंत्रण जिलाधीश के जरिये नहीं होता, कोई किसी को दे दिया और कोई किसी को दे दिया,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस सबका नियंत्रण होना चाहिये। सब से जबरदस्त बीमारी यह है कि हर मैजिस्ट्रेट को यह हक है कि वह अपने मुकदमे को कुछ खास अदालतों में ट्रान्सफर कर सकता है। एक दो महीने मुकदमा चला और फिर एट विल (स्वेच्छा से) दूसरी अदालत में ट्रान्सफर कर दिया। इस तरह से हजारों की तादाद में मुकदमे ऐसे हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं और वकीलों, फरीकैनों और मुवक्किलों का वक्त बरबाद होता है। वकीलों के कहने से मुकद्दमे ट्रान्सफर होते हैं। क्रास एग्जामिनेशन में ज्यादा देर लगती है। चालान के साथ सब कागजात मुरत्तब करके नहीं भेजे जाते। दूसरी तरफ जो डिफेन्स विटनेसेज होते हैं उनकी तरफ से कोई न कोई बहाना करके तारीखें पड़ती रहती हैं जिससे वकीलों को फीस ज्यादा मिलती है। अगर वकीलों का सरकारीकरण किया जाय तो ये सब बातें अपने आप ठीक हो सकती हैं और मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करूंगा और उसके पहले मैं उनको धन्यवाद भी अदा करूंगा। जहां तक उनके विभाग का ताल्लुक है कोई ऐसा कानून उन्होंने नहीं बनाया जिसके बारे में कोई शिकायत की जाय। इस सदन के अन्दर हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण ने यह बतलाया कि जो पुराने कानून थे, वे बहुत खराब थे और उनकी वजह से खराबियां चली आती हैं। फिर यह बतलाया गया कि मुकदमों के फैसल होने में बहुत देर लगती है। मैं यह जानता हूं कि जब यहां चीफ कोर्ट थी तो ९९.९ फीसदी मुकदमों की जो पहली तारीख मुकर्रर होती थी उस पर फैसला हो जाता था। लेकिन अब तो कम से कम ७ दफा एक शख्स आये तब उसका फैसला होता है। दूसरी जगह भी यही हालत है। जैसे गोंडे में एक जगह उतरौला है जहां तीन चार साल से प्रेसाईडिंग आफिसर नहीं हैं लेकिन वहां का मुन्सरिम, दफ्तरी और चपरासी सबको तनख्वाह दी जाती है। पारसाल भी मैंने इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो कानून आज बनता है चाहे किसी कानून को देख लीजिये, पंचायत राज ऐक्ट को देख लीजिये, रेंट कंट्रोल ऐक्ट को देख लीजिये सब इस तरह के कानून बनते हैं जिनमें साल भर में कम से कम तीन बार तरमीमें आती हैं। अभी जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में गवर्नर महोदय का तीसरा आर्डर जारी हुआ है। एक संशोधन भी हो चुका है, अभी पहली जुलाई, सन् १९५२ ई० को वह लागू हुआ। अभी नौ महीने भी नहीं हुये और यह सब हो गया। इसी तरह से एक और कानून हमारे यहां बन गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जो जंगल ला कहा जाता है उस तरह का बन गया। १३५९ फसली में जिसका कब्जा जिस जमीन पर हो वह उसका अधिवासी हो जाय। क़ब्जा करने वाला कमजोर आदमी तो होगा नहीं, वह तो लठैत होगा। लट्ठ लेकर उसने क़ब्जा कर लिया १३५९ में और हमारे यहां कानून बन गया कि जिसने क़ब्जा कर लिया वह उसका अधिवासी हो गया।

अब यह कहा गया कि इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट हो। तो खैर उनका अमेंडमेंट प्राविंशल लेजिस्लेचर के बाहर है। यह तो बड़ी खैरियत है कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ। जैसे प्राविंशल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट है उसकी रू से जो नया मुंसिफ होता है वह तीन चार साल तक जब तक काम नहीं कर लेता तब तक उसको प्राविंशल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट में पावर्स नहीं दी जातीं, यानी खफीफा के मुकदमे नहीं कर सकता। मगर हमारे पंचायत राज ऐक्ट में यह नियम कर दिया गया कि जो पंच का फैसला हो उसका रिवीजन होगा मुंसिफ के यहां। यानी रिवीजन तो मुंसिफ सुनेगा जिसके खिलाफ को दादरसी क़ानून में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य असंगत सी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पंचायत कानून का सवाल नहीं है। यहां तो न्याय विभाग का सवाल है। कोई कानून इस सदन में जो पास हो जाय जब तक वह क़ानून सदन के सामने पेश न हो उसकी टीका टिप्पणी नहीं हो सकती।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा---अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। परन्तु चूंकि यहां दूसरे कानूनों का हवाला दिया गया इसलिये मैंने भी कहा, गो कि असंगत है मगर चूंकि कानून पेश करने की बात कही गयी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड का भी नाम लिया गया इस कारण मुझे भी साहस हुआ कि मैं भी कुछ अपनी तबा आजमाई कर लूं। मेरी तबियत में जो कुछ है वह मैं भी कह डालूं। इस कारण मुझे साहस हुआ परन्तु मैं आपके आदेश को मानता हूं और इस बात को भी मानता हूं कि हां वह असंगत बात है। मैं यह कह रहा हूं कि न्याय के सिलसिले में जो कुछ बातें हो रही हैं उसके मुताल्लिक अगर हम इस बजट को उठा कर देखें तो हमें मालूम होगा कि इसमें एक बहुत बड़ी रकम लगान के सिलसिले में जो मुकदमे चल रहे हैं उनके बारे में है। उनके हुक्कामान की तामील के सिलसिले में कई हजार रुपया रखा गया है। लेकिन एक जगह मैंने देखा कि मेडिसिन के लिये १०० ही रक्खा गया है। हजारों लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन मेडिसिन के लिये केवल १०० रुपया रक्खा गया है। अब देखना यह है कि वाकई न्याय अच्छी तरह से होता भी है। न्याय पर टीका-टिप्पणी तो मैं इस वक्त नहीं करूंगा। क्योंकि अन्त में कुछ बातें उनमें अच्छी भी हैं लेकिन देरी बहुत ज्यादा होती है। जैसी कि गोंडा की मिसाल मैंने दी। उसमें रुपया भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है और पब्लिक को परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मुकदमा दायर तो मुन्सरिम उतरौला के यहां होता है और फिर वह गोंडा या तरबगंज को मुन्तकिल कर देता है। जब डिग्री होती है तो फिर उसे दरख्वास्त देनी होती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह का जो बेजा खर्चा होता है और जो तरीका ग़लत चला आ रहा है उसको बन्द किया जाय।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब सदस्यों का जिन्होंने कि तकरीर की हैं शुक्रगुजार हूं। उन तकरीरों में कोई अहम ऐतराज इस किस्म का नहीं हुआ जिससे मैं यह समझूं कि मेरे विभाग में कोई बड़ी खराबी है जिसकी वजह से लोगों को बेइत्मनानी है। लिहाजा जो तजावीज पेश हुई जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट की बेहतरी से था, सब ऐसी हैं जो गौर करने के काबिल हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी व जल्द से जल्द की जायगी। दो चार बातें ऐसी हैं जिनका हवाला खास तौर से दिया जाता है।

माननीय तिवारी जी ने इस बात की शिकायत की कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट को एक डेढ़ साल हो गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुत सी ऐसी बातें हैं मस्लन जमानत के सिलसिले में अदालतों को क्या कार्यवाही करनी चाहिये उसके मुताल्लिक हमारे यहां से अहकाम जारी हो गये हैं। इसी तरह से मुआयना वग़ैरा के मुताल्लिक भी अहकाम जारी हो गये हैं और यह कह दिया गया है कि वे मुआयना करें और यह देखें कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इन बातों के ऊपर अमलदरामद हो रहा है। ऐसी और भी बातें हैं जो हो रही हैं नीज जिनको कर सकते हैं उनको किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी बातें हैं जैसे कि उन्होंने यह तजवीज किया है कि दो डिस्ट्रिक्ट जज बैठ कर अपीलों को सुन लिया करें और अपील का फैसला वहीं हो जाय, यह ऐसी चीज है जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं कह सकता कि आखिरी फैसला क्या होगा क्योंकि बाज अहम रायें ऐसी हैं जो उसके मुआफिक हैं और बाज अहम रायें उसके खिलाफ हैं।

[श्री सैयद अली जहीर]

दूसरे कमिश्नरों और रेवेन्यू बोर्ड के अबोलीशन की बात है, कहा नहीं जा सकता कि यह कहां तक मुनासिब होगा और यह कि हमें यह करना चाहिये या नहीं। इब्तदाई तक़रीर में मैंने जैसा कहा कि जमींदारी को अभी खत्म किया गया है, हम नहीं जानते कि उसकी रेवेन्यू के मुकदमों पर क्या शक्ल और सूरत होगी और उसके लिये कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू को रखना होगा या नहीं रखना होगा। बहरहाल ये मामले ऐसे हैं जिन पर यकायक फैसला नहीं किया जा सकता। यह रिपोर्ट बहुत पुरानी रिपोर्ट है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर प्रोसीजर और उनके फैसलों के मुताल्लिक हर तरह से ग़ौर किया गया है। और बहुत सी ऐसी उसूली बातें हैं जिनके ऊपर एकाएक फैसला करना किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा। जो कुछ वक्त हम गुजार रहे हैं, यह नहीं कि बेकार वक्त गुजार रहे हैं बल्कि और भी ऐसे जजों और ऐसे लोगों की रायें जो मुस्तसना हैं वे भी हमारे यहां हैं और जब हम इन सब बातों पर ग़ौर कर लेंगे तो उसके ऊपर जो कदम उठावेंगे वह ऐसा होगा जो कम से कम हमें उम्मीद है कि उसको पब्लिक एप्रिशिएट करेगी। बहुत सी तरमीमों की जो तजवीजें दी गयी हैं उनमें कई एक को गवर्नमेंट आफ इंडिया को करना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिलसिले में तरमीम करनी होगी। तो जाहिर है कि अगर कोई पसन्द न करे तो भी जब तक कि इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया को तरमीम करना मंजूर न हो उस वक्त तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इन वजहों से उसमें देर हो रही है।

जहां तक जुडिशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन का आम सवाल है मैं तो समझता हूं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम इस वक्त रायज है वह यह मैं नहीं कहता कि बुरा है या खराब है, शुरू में मैंने कहा कि उसके सिलसिले में बदकिस्मती से जो हमारे यहां की जनता है वह उसको अपना नहीं समझती। वह तो यह समझती है कि यह जो जुडिशियल सिस्टम यहां रायज हुआ है जिसकी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उसका उसूल क्या है, किस बुनियाद पर ये कायदे बने हुये हैं यह उनकी समझ में नहीं आता है। इसका कुछ न कुछ ख़याल रखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो रखनी पड़ेंगी और अपनी जनता का खयाल बदलना पड़ेगा और उसको बतलाना पड़ेगा कि किस वजह से ऐसे कायदे बने हुए हैं और ये क्यों रायज हैं? लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हमें लकीर के फकीर बन कर महज इसलिये कि वे भी अभी तक रायज हैं लिहाजा अब भी उसे रायज रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोसीजर मुकदमों का है उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक दो रायें हो सकती हैं लेकिन यकीन यही है कि जो हम लोगों के आइडियाज आफ जस्टिस हैं या जो सही प्रोसीजर हैं वे भी उसके मुआफिक हों लिहाजा उस पर भी दो रायें हो सकती हैं। मुमकिन है कि उसमें भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़े लेकिन यह चीज बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि एकायक फैसला कर लें और उसके ऊपर अमलदरामद कर लें। ये चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे यहां चल रही हैं। एक सिस्टम हमारे यहां है और नये माहौल में आजादी के बाद उसका तजुर्बा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं और यह सब देखते देखते जब ५,१० वर्ष हो जायंगे, और हमारी इक्तसादी हालत बेहतर होगी, हमारी जनता में जागृति होगी, उनमें कुछ रोशन खयाल आ जायगा और वे समझेंगे कि वे भी इंसान हैं और एक आजाद मुल्क के नागरिक होने के नाते उनके क्या क्या फरायज हैं, तो इन सब बातों को जब वे जान लेंगे तो वह वक्त होगा जब कि हम तमाम हिन्दुस्तान की एक केन्द्रीय कमेटी बनावें जो घूम घूम कर ऐसा कानून या ऐसी तब्दीली इस कानून में सजेस्ट करे जो हमारे मुल्क के लिये जरूरी हो। बग़ैर इसके कोई बात

यकायक आज कर दें और फिर कल अफसोस करें कि क्यों ऐसी बात कर दी या देखें कि यह सही नहीं है, फिर इसको बदलें, उसको बदलें, इस तरह से खेलें तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा मेरी मंशा जो कुछ शुरू में कहने की थी वह यह थी कि जहां तक यह सिस्टम है उसकी वजह से डिले देख रहे हैं इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सी-दिक्कतें महसूस हुईं और हमारे यहां की जनता इन उसूलों पर जिन पर इस कानून की बुनियाद है उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं है और उसमें एक बड़ा फासला है। तो इस फासले को जब हम कम कर लेंगे उसके बाद वक्त होगा कि इसमें तरमीम करें।

देर में फैसला होने और अखराजात की भी शिकायतें की गयी हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया यह सिस्टम जो मौजूदा तहजीब कही जाती है, जो तहजीबयाफ्ता मुल्क हैं उनकी यह टेंडेंसी होती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में देर होती है और अखराजात भी ज्यादा होते हैं। उसको देखने से हमने अपने यहां के लिये इसी वजह से पंचायत के सिस्टम को रायज किया है। उसकी गर्ज यही है कि जहां तक अखराजात का ताल्लुक है वह कम किया जाय और देर भी जो होती है वह न हो। छोटे छोटे मामलों में जो सैकड़ों रुपये गरीबों के खर्च हो जाया करते थे वह उनको अपने देहात की अदालत में फैसल करा सकते हैं। हमने इसकी तरफ कदम उठाया है लेकिन कोई और बड़ा कदम एकदम उठा देना मुनासिब नहीं होगा। देर के लिये आप जानते हैं कि जुडीशियरी आजाद है और हमारा कोई ताल्लुक उसके ऊपर नहीं है। अगर वह समझते हैं कि किसी मुकदमे में इतना वक्त लगना चाहिये तो बहैसियत गवर्नमेंट उनसे हम यह नहीं कह सकते कि तुम इतना कम वक्त इसमें लगाओ। हमारे लिये तो यही है कि हम कमी न होने दें और काफी तादाद में हमने अदालतों को हाई कोर्ट वगैरा को आदमी मुहैया किये हैं। वह कितनी देर करें इसके मुताल्लिक जुडीशियरी आजाद है और अपनी जगह पर उनके ही समझने की जरूरत है और उसको फैसल करने की जरूरत है। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि हम उनकी तादाद को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा, हमने तादाद को बढ़ाया है और जरूरत होगी तो और भी तादाद को बढ़ाया जायगा लेकिन जो देर हो रही है उसके लिये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ असबाब हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बार बार कहने से और उनकी तवज्जह दिलाने से अदालत की तवज्जह इस तरफ होती जाती है और अब उतनी ताखीर नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर किसी खास मामले के मुताल्लिक हो तो उसके मुताल्लिक कार्यवाही हो सकती है। अभी मुझे दो एक मामले के मुताल्लिक इत्तिला मिली तो उसमें मैंने रिपोर्ट मांगी कि जल्द से जल्द फैसल हो जाय। एक चीज और है जिसके ऊपर बहस हुई और उसका जिकर भी किया गया कि लखनऊ और इलाहाबाद के मुताल्लिक कुछ झगड़ा है। अभी इस किस्म की तजवीज यहां पर हुई कि जो जिले लखनऊ के नजदीक हों उन अजला का फैसला लखनऊ में हो। लेकिन जितने भी कटमोशन जहां तक मैंने देखे हैं और मेरी इत्तिला है इसके मुताल्लिक मैं यह समझता हूं कि कोई कटमोशन इस तरह का नहीं है कि इस सवाल को आज बहस के अन्दर उठाया जायगा कि आया लखनऊ और इलाहाबाद का जो जुरिस्डिक्शन है वह यहां रहे या वहां रहे। इसके मुताल्लिक कोई लिटरेचर भी मेरे पास नहीं है और न मैंने इस पर गौर किया था कि आया इस किस्म का कोई सवाल यहां पर उठाया जायगा।

लिहाजा जो ख़यालात यहां पर जाहिर किये गये हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट गौर करेगी। हमारे मेम्बर साहबान ने कुछ करप्शन के मुताल्लिक भी यहां पर जिक्र किया। मैं यह अर्ज करूंगा कि कम से कम मुझे तो अपनी जगह पर यह यकीन है कि हमारी जुडीशियरी जो हायर लेविल की है उसमें करप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत काबिले फख्र की चीज समझता हूं कि हमारे इतने डिपार्टमेंट हैं उनमें यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर पब्लिक का काफी एतमाद है। हर मामले में बिला लिहाज इस बात के कि बाहरी असर हो वह कानून की बुनियाद पर फैसला करते हैं। यह एक ऐसी चीज है कि जिसकी हमको सख्ती से

[श्री सैयद अली जहीर]

हिफाजत करना जरूरी है। हम जनता के राज्य की कामयाबी की बुनियाद यही समझते हैं कि हमारे यहां जुडिशियरी आजाद है और इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर किसी का असर नहीं है सिवाय इसके कि जो कानून है जिस तरह से वह समझें वैसा वह फैसला कर सकते हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी जुडिशियरी अभी तक ऐसी रही है कि जिसके ऊपर जनता का पूरा एतमाद है। बहरहाल अगर करप्शन कहीं पर किसी के इल्म में है तो वह तफ़सील से एक कंक्रीट बात हमारे इल्म में आनी चाहिये महज जनरल एलिगेशन के तौर पर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता अगर कोई खास केस बतलाया जायगा तो मेरा फर्ज होगा उसकी पूरे तौर से इन्क्वायरी कराने का और उसका जो नतीजा निकले उसको भी मैं आपको बतलाना अपना फर्ज समझता हूं। छोटे दर्जों में भी बाज बाज जगह कुछ शिकायतें होती हैं और अगर कहीं कोई सीरियस अहम किस्म की या शदीद किस्म की करप्शन की इत्तला होती है तो मैं फौरन इन्क्वायरी कराता हूं और मेरी कोशिश होती है कि असल वाकयात मालूम हों और उस के मुताबिक अमल किया जाय और कार्यवाही की जाय। मैं अर्ज करूंगा कि हमें यह उसूल बना लेना चाहिये कि जब कभी भी कहीं कोई करप्शन की शिकायत हो तो पूरी सर्विसेज पर आम इल्जाम लगाने से कोई फायदा न होगा बल्कि स्पेसिफिक केस के बारे में पूरी इत्तला देना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि जो मुलजिम हो, जिस पर इलजाम हो उसको सजा मिले। अगर ऐसा किया जायगा तो मैं वायदा करता हूं कि जहां तक हमारी हमदर्दी और सहायता का ताल्लुक है वह पूरे तौर से आप के साथ रहेगी और कोशिश की जायगी कि ऐसी बात हमारे यहां न होने पाये। आखिर में मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि जो डिमांड है उसको आप मंजूर फरमावें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो इस अनुदान के संबंध में साधारण विवाद हुआ उस से एक बात स्पष्ट हो गई कि सदन की एक मत से राय है कि सरकार को जल्दी से जल्दी जुडिशियरी और एग्जिक्यूटिव के फंकशन्स को और अथारिटी को अलग-अलग करना चाहिये लेकिन मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की कि वह कब तक इन फंकशन्स को अलग अलग कर देंगे। दूसरी बात जिस पर यहां माननीय सदस्यों का ध्यान गया वह इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच के बारे में था। हमारे शुक्ला जी को गलतफहमी हो गई कि लखनऊ की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का होस्टल है। मेरे कहने का उद्देश्य यह था कि अगर लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच है तो इस में हमारा कसूर नहीं है यह जो सरकार का निश्चय था वह उसने हाईकोर्ट के जजेज और गवर्नमेंट आफ इंडिया से राय लेकर तय किया था और यह सरकार अब भी निश्चय कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर सरकार चाहे तो सारी बेंच को उठा ले जाय और अगर यहां की ही उस की उपयोगिता समझी गई है तो यहीं रखा जाय लेकिन अगर अलग लखनऊ में रखी जाती है तो इतना जरूर खयाल किया जाय कि जो पास के जिले हों उन को करीब के हाईकोर्ट से संबंधित किया जाय और ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि कोई कारण नहीं है कि कुमायूं को वंचित रखा जाय। अगर फतेहपुर और सुल्तानपुर और हमारे जिले लखनऊ से दूर हैं तो प्रतापगढ़ इलाहाबाद में मिला दिया जाय। इसमें कोई इलाहाबाद या लखनऊ का सवाल नहीं है लेकिन चूंकि सिर्फ सहूलियत का ही सवाल है और जब यहां बेंच रखी जाती है तो प्रश्न जरूर उठता है। मैंने वांचू कमेटी का हवाला देकर कहा था कि पंचायती अदालतें नामजद न होनी चाहिये लेकिन उस के भी गलत अर्थ लगाये गये और उन्होंने समझा कि मैं यह कह रहा हूं कि सारा जुडीशियरी सिस्टम जनता के जरिये ही चलना चाहिये। मैं फिर मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जब फिर हम इस अनुदान पर विचार करें तब तक बहुत सी गलतियों और जुडिशियल सिस्टम की बुनियादी खराबियों की ओर ध्यान देकर हमें उन को कम करने की कोशिश करना चाहिये और जो मुकदमों में देर होती है वह भी कम होना चाहिये और जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के फंकशन्स को अलग करने की बात कही गई उस की तरफ भी खास ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री कुछ कहेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलग करने के बारे में मैंने इस वजह से जिक्र नहीं किया चूंकि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर ही में शायद बतला दिया था कि गवर्नमेंट ने इस तरफ अभी कोई कदम किसी वजह से नहीं उठाया था। इसलिये अब मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,२२,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

विधान सभा द्वारा जो संशोधन किये गये हैं वह नत्थी ४ में दिये हुये हैं। कोई ऐसा उसूल का मामला नहीं है। उसमें केवल तफसीली और टेक्निकल बात है जो कि यहां विधान सभा में जिस वक्त विचार हो रहा था उस वक्त हम लोग चूक गये थे तो बाद में उन चीजों का ध्यान आया। इसलिये विधान परिषद् ने उन संशोधनों को करना जरूरी समझा। मसलन एक तो यह है कि बुन्देलखंड के इलाके में हार तराटा सिस्टम है। वह सिस्टम यह है कि किसान एक जगह जहां खेती करता है, तीन चार साल के बाद वह जमीन बेकार हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर खेती करता है। तीन-चार, पांच साल के बाद जब उस जमीन पर खेती करने के बाद वह समझता है कि पैदावार कम हो गयी तो जहां दूसरी खाली जमीन मिले वहां पर वह खेती कर लेता है। तो यह तरीका, पद्धति हार तरेटा कहलाता है। तो इसमें यह संशोधन किया गया है कि जिस जगह उसने पहले खेती की थी, लेकिन अब खेती करना छोड़ कर दूसरी जगह खेती करना शुरू कर दिया है तो जहां वाकयी खेती कर रहा है वही उसकी जोत समझी जायगी और जिस जमीन पर पहले खेती करता था, जिसको उसने छोड़ दिया वह खाते में शामिल नहीं मानी जायगी और उसकी मालगुजारी नहीं देनी पड़ेगी। केवल उतनी आराजी पर लगान देना पड़ेगा जिस पर वह वास्तव में खेती करता है। एक तो संशोधन यह किया गया।

दूसरा संशोधन यह है कि दफा १३४ में जहां सीरदार दस गुना देकर भूमिधर बनना चाहे तो जैसा यहां से विधेयक गया उसमें केवल यह था कि जो असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ सब-डिवीजन हो उसके यहां रुपया जमा करे तब जाकर भूमिधरी का प्रख्यापन मिल सकता है। अब विधान परिषद् ने यह मुनासिब समझा कि उसमें इंचार्ज आफ सब-डिवीजन निकाल दिया जाय। अगर तहसीलदार के यहां दरख्वास्त देकर भूमिधर बनना चाहे तो बन सकता है। यह भी तफसीली तरमीम है।

फिर दफा १५७ में जहां हमने कुछ ऐसे लोगों को इजाजत दी है जो अपनी जमीन लगान या पट्टे पर उठा सकते हैं उसमें पचीस साल के विद्यार्थी को भी रख दिया गया है

[श्री चरणसिंह]

जो किसी रेकाग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो। लेकिन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की कोई तारीफ, कोई परिभाषा, नहीं दी गयी है। अब परिषद् ने जो संशोधन किया है उस के अनुसार गवर्नमेंट जिस संस्था को डिक्लेअर कर देगी, घोषणा करती है कि यह रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वह ऐसा माना जायगा।

चौथी तरमीम इस तरह की है कि किसी ने मुआहिदा किया जमींदार से कि पहले साल में एक रुपया देंगे, दूसरे साल में दो रुपया देंगे और तीसरे साल में तीन रुपया लगान देंगे, तो ऐसी सूरत में क्या मालगुजारी उस पर मुकर्रर हो। तो संशोधन यह किया गया है कि इसके सिलसिले में नियम बन जायेंगे, उनके मुताबिक मालगुजारी का निर्धारण किया जायगा, बशर्ते कि जो उसमें सब से ज्यादा मालगुजारी आखिरी साल में रखी गयी है उस से किसी सूरत में मालगुजारी से ज्यादा मुकर्रर न हो सके।

इस तरह के तीन चार संशोधन हैं और जैसे-जैसे संशोधन आते जायेंगे, अगर किसी सज्जन को उस पर कहना हुआ तो उस वक्त अर्ज कर दूंगा। मैंने आम तौर पर जो उनका अन्तर है वह बयान कर दिया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की बातें भी सुनी हैं और कुछ संशोधनों को भी समझने की कोशिश की है। इसमें शक नहीं कि कुछ संशोधन ऐसे हैं कि जो जरूरी थे और वह केवल शाब्दिक तरीके से जो झंझट था उसको दूर कर देते हैं और यह अच्छा ही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन संशोधनों में से अगर अधिकांश नहीं तो कई संशोधन ऐसे हैं जिन पर कि इस सदन ने सोचा ही नहीं था कि उस पर विचार करना चाहिये या उस कानून में किसी प्रकार परिवर्तन करना चाहिये। जैसे कि उन्होंने जो १२९ धारा में संशोधन करने की कोशिश की है या और भी कई ऐसे हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि जिस समय यह संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया था उस के पहले माननीय राजस्वमंत्री जी के ध्यान में यह संशोधन नहीं आये थे और विधेयक में कहीं उसकी गुंजाइश नहीं की गयी।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या इस प्रकार के संशोधन जो इस सदन में न आये हों, जिन पर चर्चा यहां नहीं हुई हो इस प्रकार के संशोधन अपर हाउस में हो सकते हैं या नहीं। इसपर तो विचार आप को करना है, मेरी उस टेक्निकलिटी में जाने की इच्छा नहीं है यदि उससे जो हमारे प्रदेश के किसान हैं उनको कुछ अधिकार दिये जारहे हों, या उनको कुछ अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हों।

इसके पहले हम ने कई बातों की तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और जिसको वह भी आवश्यक तो समझते हैं कि होना चाहिये लेकिन कुछ इसी तरह की पेचीदगी की वजह से उन्होंने इनकार किया था कि उसके करने का समय यह नहीं है, कोई अलग से ही उसके लिये विधेयक ले आया जा सकता है, जैसे कि सन् १९३९ के काश्तकारी कानून के मुताबिक १७१ और १८० धारा से कुछ लाख किसान हमारे प्रदेश के बेदखल हो गये थे और उसके लिये हमारे प्रदेश के जिन लोगों के हाथ में हुकूमत सन् १९३७ से १९३९ तक थी उनकी ओर से एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा यह बात कही गयी थी कि जिस समय हमारे हाथ में ताकत आयेगी हम उस जमीन को जो जमींदार आज बेदखल कर रहे हैं, उन्हें वापस दिलायेंगे और जिस समय सन् ४६ में कांग्रेस की हुकूमत फिर वापस आयी तो उस वक्त सबसे पहले उसने एक काम हाथ में लिया और वह काश्तकारी कानून को संशोधन करने का। उस संशोधन के बाद यह कानून बना कि जिसके अनुसार जिन काश्तकारों की बेदखली १७१ और १८० के मुताबिक हुई थी उनकी जमीन वापस दिला दी जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अनुसार हजारों किसानों को जमीन

वापस भी मिली, लेकिन हजारों की तादाद में किसान ऐसे भी बाकी रह गये थे जिनको जमीन वापस मिलने वाली थी और इस वजह से उसमें देर हो रही थी कि कानून संशोधित जिस वक्त किया गया था उस वक्त यह कानून में गुंजाइश की गई थी कि जिस जमीन को सीधे जमींदार के कब्जे में पाया जाय या उसके रिश्तेदार के कब्जे में या उसके नौकर के कब्जे में तो उस तरह की जमीन को तुरन्त वापस दिला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बहुत पुरानी बातें कह रहे हैं। यह इससे संबंधित नहीं है। इसको मुख्तसर में कहें उदाहरण के स्वरूप में तो मुझे कोई एतराज नहीं है मगर उदाहरण ऐसा विस्तृत नहीं होना चाहिये, मुख्तसर में होना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह—तो मैं केवल यह याद दिलाना चाहता था कि जिन्हें तुरन्त जमीन वापस न हो सकी थी उसमें इत्तफाक से बोर्ड ने यह फैसला कर दिया कि जिन लोगों के पास ३ वर्ष तक जमीन रह गई थी उनको फिर से मुकदमा दायर करना चाहिये। कानून बनाने का मंशा इस सदन का यह था कि उनको जमीन बगैर मुकदमा दायर किये हुये वापस मिल जाय। तो एक ऐसी हालत हो गई कि जिन लोगों को जमीन सरकार वापस दिलाना चाहती थी उन लोगों को भी जमीन वापस न मिल सकी सिर्फ इसलिये कि एक लफ्जी गलती हो गई और उस लफ्जी गल्ती की वजह से हजारों किसान परेशान हो रहे हैं, मुकदमेबाजी बढ़ रही है तमाम अदालतों में मुकदमे दायर हो रहे हैं और मालूम नहीं कि उसमें कब तक लड़ना पड़े। तो मेरा कहना केवल इतना ही था कि अगर इस तरह की त्रुटियां रही हैं तो उसे दूर करना उस विधेयक का उद्देश्य होना चाहिये था। इत्तफाक से जिस समय यह कानून यहां आखिर में पास किया जा रहा था उस दिन बड़ा एक अप्रिय प्रसंग आ गया और उस अप्रिय प्रसंग की वजह से हम लोगों को भी सदन को छोड़ कर चला जाना पड़ा। इतनी जल्दी थी कि ११ बजे रात में उसे पास किया गया और इसके बाद वह कानून अपर हाउस में गया। तो फिर इस तरह के सुझाव हो सकते थे कि झांसी की तरेटी की जमीन के संबंध में या १५७ में कुछ करने की बात कही गई थी तो ऐसे परिवर्तन भी आ सकते थे। हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां पर हम देखेंगे कि वह किसानों की भलाई की बात है उसमें हम यह नहीं सोचते हैं कि ख्वामख्वाह हम उसमें अड़ंगा डालें और उसमें देर करें, लेकिन इस पर मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि क्या यह ऐसा हो सकता है कि जिस बात की चर्चा तक विधेयक में न हो उसकी चर्चा फिर हम जाकर के अपर हाउस में करें और अपर हाउस में एक नयी धारा जोड़ कर के वह हमारे सामने आये। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। इस पर कुछ आप अपना फैसला दे दें। फिर इसके बाद हम लोगों की और बातों पर जो राय होगी वह आप के सामने पेश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक यह सवाल उपस्थित किया गया है कि कोई विधेयक जो यहां पारित होता है उसमें कोई ऐसा संशोधन विधान परिषद् द्वारा हो सकता है जिसका इस सदन में विचार न किया गया हो और कोई नयी धारा विधान परिषद् में पास हो सकती है या नहीं, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि जब विधान परिषद् में पूरे विधेयक के विधेयक शुरू से आखिर तक पास होकर यहां आते हैं और विधान सभा को पूरा अधिकार है उस नये पूरे विधेयक पर विचार करके उसको पारित करे तो विधान परिषद् को यह भी अधिकार है कि कोई भी विधेयक जो यहां से पास होकर जाता है वह उसके ऊपर कोई नया संशोधन ऐसा करे जिस पर इस सदन में विचार न हुआ हो। अब यह दूसरी बात है कि बहुमत उसको स्वीकार न करे या जल्दी की वजह से उचित न समझे कि कोई भी संशोधन पास हो और बाद में संशोधन के लिये दूसरा संशोधन विधेयक लायें। यह सदन के सोचने की बात है। प्रस्तुत विधेयक में नयी धारा जोड़ने का उस सदन को पूर्ण अधिकार था और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लायक दोस्त ने जो यह बात कही कि जो संशोधन विधान परिषद् में किया गया, मालूम होता है कि मेरे दिमाग़ में पहले से नहीं था, यह बात सही है। अगर वह मेरे दिमाग़ में या हमारे सलाहकारों के दिमाग़ में अथवा इस

[श्री चरणसिंह]

सभा के सदस्यों के दिमाग़ में भी होती तो यहां मंजूर कर ली जाती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का इम्पलीमेन्टेशन एक मामूली चीज नहीं है। खुद मैं इस बात को जानता हूं कि जितना इस पर अमल होता जा रहा है वह मेरी जहन में धीरे-धीरे आता जाता है कि पुरानी व्यवस्था जो सैकड़ों वर्षों से थी जिसकी जड़ें समाज रूपी भूमि में इतनी गहरी गई थीं कि जब उसको उखाड़ा तो इसमें तरह-तरह की समस्यायें आ रही हैं। मैं इस बात का वादा नहीं करता कि इस विधेयक से ही काम चल सकेगा और न मैं इस बात का वादा करता हूं कि आगे जो संशोधन करने पड़ेंगे वे मेरे दिमाग में हैं। अब भी जो चीजें सामने आ रही हैं अगर उनको हल करने का कोई रास्ता न सोचा तो हो सकता है कि दूसरा संशोधन विधेयक में करना पड़े। यह पुराना जमाना नहीं है कि सन् १८७० में एक कानून बन गया और सन् १९५० में भी उसमें तरमीम करने की जरूरत न पड़ी। डायनमिक और डेमोक्रेटिक जरूरतें होती हैं। जैसा सदन और जनता चाहेगी वैसा ही इस कानून में क्या हर कानून में तरमीम हो सकती है। यह नहीं कि जमींदारी विनाश कानून पास हो गया है लिहाजा कुछ संशोधन नहीं हो सकते। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह कैसे जान सकता है कि आगे क्या होगा। चाहे जितनी कोशिश करें पहले से कोई इस तरह का शास्त्र नहीं बन सकता जो हमेशा के लिये और नियत समय के लिये सही हो और अबाइडिंग हो। एक और चीज का श्री गेंदासिंह जी ने जिक्र किया कि काश्तकारों को परेशानी हो रही है और उनको मुकद्दमेबाजी में फंसना पड़ता है। उनका मतलब उन काश्तकारों से है जो १७१ में बेदखल किये गये थे और उनकी जमीन बेदखल होने के बाद जमींदारों ने किन्हीं और लोगों को दे दी थी। तो इसके लिये सन् १९४७ में जो ऐक्ट पास हुआ था उसमें यह रखा गया था कि नये तीन साल तक शिकमी के तौर पर रहेंगे और पुराने तीन साल के बाद अपनी जमीन पा सकेंगे। इन लोगों को हमने इस कानून में असामी करार दिया है। अदालतों ने इस कानून में यह फैसले दिये हैं कि इन लोगों को बाकायदा एक नालिश अपने पुराने शिकमियों से जो असामी हो गया है जमीन पाने के लिये करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेंदासिंह जी चाहते हैं कि जो पहले आर्डर हो गया है उसका एक्जीक्यूशन कर दिया जाय ताकि उन काश्तकारों को फिर दोबारा नालिश न करनी पड़े। यह कई बार मुझसे जिक्र किया जा चुका है और कई बार इस पर विचार भी हो चुका है और इसके लिये जो आफीसर हैं उनके सामने इस पर विचार हुआ है। तो माननीय गेंदा सिंह जी यह मानेंगे कि खुद मेरा इरादा इसको करने का था लेकिन चूंकि इसके लिये पहले एक्जीक्यूटिव आर्डर्स नहीं थे और सिर्फ डिक्लेरिटिव आर्डर्स थे, तो ऐसी हालत में वह नहीं किये जा सकते थे। वह कानून जो सन् ४७ का था, वह खुद तरमीम करने वाला कानून था और पुराना यू० पी० टेनैंसी ऐक्ट जो कि कानून हो चुका है और मंजूर हुआ है, तो वह कानून अब रिपील हो चुका है तो उसको अमैंड इस तरह से किया जा सकता है और वह एक्जीक्यूटिव करार दिया जा सकता है। तो उसमें पहले मजबूरी थी। काश्तकार को नालिश दायर करनी पड़ेगी लेकिन मेरे माननीय गेंदासिंह जी यह कहना चाहते थे कि काश्तकारों को उनके हकूक से महरूम कर दिया गया है, तो मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उनके अधिकारों को हम नहीं लेना चाहते हैं और उनके अधिकारों पर इस तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है बल्कि यह तो और अच्छी तरह से उनको महफूज रक्खा जा रहा है। उनको नालिश दायर करना पड़ेगा। और कोई बात माननीय गेंदासिंह जी ने नहीं कही। यही बातें थीं, जो मुझे अर्ज करनी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्न-लिखत संशोधन स्वीकार करता है।

खंड २४ के बाद निम्नलिखित नये खंड २४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"२४-क---मूल अधिनियम की धारा १२९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १२९-क के रूप में बढ़ा दीया जाय:

१२९-क---अस्थिर और अस्थायी कृषि (Shifting and unstable cultivation) के क्षेत्रों अर्थात्, झांसी जिले के हार तरेटा भूखंडों (tracts) और बुंदेलखंड में अवर श्रेणी की भूमि (inferior classes of soil) के खंडों, के सम्बन्ध में इस अध्याय और अध्याय १० के प्रयोजनों के लिये शब्द "खाता" का आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिनमें तत्समय (for the time being) कोई खातेदार तत्सम्बन्धी किसी आचार या प्रथा (usage) के अनुसार वास्तव में खेती करता हो।"

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि ये संशोधन आते जा रहे हैं, तो इसको यदि उन्होंने समझा हो, तो वे हम लोगों को भी इसको समझाने की कोशिश करें। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि यदि राजस्व मंत्री जी इन संशोधनों को रखते हैं तो कम से कम उनको स्पष्ट कर दें ताकि वे माननीय सदस्यों की भी समझ में आ सकें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह हो नहीं सकता है। जितने संशोधन हैं, आपने पहले अपने भाषण में कहा कि मैंने उनको पढ़ लिये हैं और ऐसी अब कोई चीज नहीं रह गई है जिसको कि पढ़ने का आपको वक्त न मिला हो। मैं सदन का समय इस तरह से, क्लाज बाई क्लाज विचार करके आपको समझाया जाय, खराब नहीं कर सकता हूं। जो संशोधन हैं उनको सबने पढ़ लिये हैं और यहां इस तरह से उनको समझाया जाय, तो इसके लिये यहां कोई मौका नहीं है।

(इसके पश्चात् प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्न-लिखित संशोधन स्वीकार करता है---

खंड २६ के उपखंड (१) (क) की दूसरी पंक्ति में से शब्द "प्रथम श्रेणी का" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्न-लिखित संशोधन स्वीकार करता है---

खंड ३० के बाद, निम्नलिखित नया खंड ३०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"३०-क---मूल अधिनियम की धारा १४० में शब्द "परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" रखे जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है---

खंड ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"३५---मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में---

(१) शब्द और संख्या "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५)" के स्थान पर शब्द "धारा ११" रख दिये जायं।

[श्री अध्यक्ष]

(२) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में बढ़ा दिया जाय--

"स्पष्टीकरण--खंड (ङ) में प्रयुक्त शब्द "स्वीकृत संस्था (recognised institution)" का आशय किसी शिक्षा संस्था या ऐसी संस्थाओं के वर्ग से है जो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकार की संस्था प्रख्यापित किये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ५० के उपखंड (१) (ग) में प्रस्तावित खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय --

"(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर बना हो, तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भूमिधर द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रकार असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो भूमिधर द्वारा उक्त संविदा या आचार के अनुसार देय होती।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्निलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ५० के बाद निम्नलिखित नया खंड ५०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"५०-क--मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित प्रतिबन्ध के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार, जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में किसी सीरदार द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी, जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धातों के आधार पर असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस प्रकार से अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो सीरदार द्वारा उक्त संविदा या आचार के अनुसार देय होती।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ५२ के बाद निम्नलिखित नये खंड ५२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"५२-क—मूल अधिनियम की धारा २५१ को धारा २५१ को उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में रखा जाय—

(२) सीरदार द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार पर परिवर्तित की जा सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ६२ में—

(१) उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नये खंड (क-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(क-१) क्रम संख्या ६ के इन्दराज के स्तम्भ ४ में से शब्द प्रथम श्रेणी निकाल दिये जायं।"

(२) उपखंड (१) में उपयुक्त इन्दराज के स्तम्भ ४ में से शब्द प्रथम श्रेणी निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ६२ में—

(१) खंड (१) के बाद निम्नलिखित नये खंड (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(१-क) क्रम संख्या ६-क के इन्दराज के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या ६-ख नये इन्दराज के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"६-ख	१४० रुपये की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र।	असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर

(२) खंड (२) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२-क) और (२-ख) के रूप में बढ़ा दिये जायं—

"(२-क) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज क्रम-संख्या १६-क पर बढ़ा दिया जाय—

"१६-क	२३२ ऐसे अधिवासी सम्बन्ध में धारा २० का खंड (ख) लागू होता हो, कब्जे की वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र।	परगना का अधिकारी द्वारा जिसके असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर।

[श्री अध्यक्ष]

(ख२–) क्रम-संख्या १७ के इन्दराज के बाद, निम्नलिखित नया इन्दराज क्रम-संख्या १७–क पर बढ़ा दिया जाय —

"१७–क	२३३–क	लगान की नक़दी में परिवर्तन करने का प्रार्थना-पत्र।	असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है —

अनुसूची में क्रमसंख्या ५ के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज क्रमसंख्या ५–क के रूप में बढ़ा दिया जाय —

५–क ३९ वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"39—Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, the Collector may, on his own motion and shall, on the application of any person correct any error or omission in the annual register".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा यह संशोधन विधेयक अब विधान मंडल से संशोधित हो चुका है, मेरा निवेदन है कि वह पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन ने स्वीकार किया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५–ग के बाद वाले हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है कि परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गयी हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कल ही प्रस्तुत हुआ और सम्भावना इस बात की है कि माननीय राजस्व मंत्री इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव करें लेकिन इसके पहले भी सदन की राय जान ली जाती है जिससे प्रवर समिति के सदस्यों को आसानी हो जाती है। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इस पर विचार करने का एक ही दिन में मौका नहीं मिला है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस नियम के अनुसार इस पर आज विचार करने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री चरणसिंह—वैसे तो २ दिन हो चुके हैं। कल यह हाउस के सामने आया था और आज का दिन। लेकिन यदि सदन चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो यह कल लिया जायगा।

इवैकुई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास यह सूचना आई है कि माननीय मुख्य मंत्री एक विधेयक सदन के सामने पेश करना चाहते हैं। सिर्फ पेश ही करना है। इसका नाम है इवैकुई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९५३ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह कल ही रखेंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० मार्च, १९५३।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

सूची

सड़कें जो मार्च, १९५२ के बाद पी० डब्लू० डी० ने जिला बोर्ड मुजफ्फरनगर को वापस की हैं—

१—चरथावल—मुजफ्फरनगर
२—बघरा—हरसोली
३—बघरी—छटैला
४—बघरी—बटरारा
५—सिसोली—मुजफ्फरनगर कैराना सड़क का १२वां मील
६—थाना-भवन कादिरगढ़
७—शामली—लांक
८—ऊन—झिनझिना
९—विडोली-चौसाना
१०—विडोली-झिनझिना
११—कैराना—खैरगांव
१२—कैराना—ऊंचागांव
१३—काधला—राजपुर
१४—जानसठ—ककरोली
१५—भोपा—जौली
१६—भूकरहेडी—मोरना
१७—भूकरहेडी—सिकरी
१८—बसेरा—बरला।

विधान भवन